# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३ ] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ४४वां दिवस [ संख्या २४



मंगलवार, २५ मार्च, १६५८

---

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न, डॉ० चन्द्रकला।

### राजस्थान कॉलेज

**८२५. डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कॉलेज में इस समय कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं ? इनसे क्या ट्यूशन फी ली जाती है ? कितनों को फ्री शिप मिली हुई है ?

(२) क्या उक्त कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रतिशत प्राप्तांक की कोई सीमा निश्चित की गई थी ? कम से कम कितने प्रतिशत अंक-प्राप्त छात्रों की भर्ती की गई ?

(३) कॉलेज में कितना स्टॉफ है व उनके साथ क्या विशेषताएं रखी गई हैं ?

(४) कॉलेज का वार्षिक बजट कितना है (रैकरिंग और नॉनरैकरिंग) ? कॉलेज पुस्तकालय के लिए इस साल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ५१ छात्र तथा ७ छात्राएं हैं। इन्टर के विद्यार्थियों से १० रु० मासिक तथा डिगरी के विद्यार्थियों से १५ रु० मासिक ट्यूशन फीस ली जाती है। इन्टर के २ विद्यार्थियों को फ्रीशिप तथा २ को हाफ फ्रीशिप और बी० ए० के ३ विद्यार्थियों को फ्रीशिप तथा तीन को हाफ फ्रीशिप मिली हुई है। छात्राओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।

(२) ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों तक की भर्ती की गई।

(३) ७ प्रोफेसर तथा २ लेक्चरार्स हैं। उनको अन्य कॉलेजों से अच्छे ग्रेड दिए गए हैं।

(४) १६५७-५८ का बजट निम्न-लिखित है:

| रैकरिंग | नॉनरैकरिंग |
|---|---|
| १,४६,००० रु० | ६१,००० रु० |

पुस्तकालय के लिए इस साल ५०,००० रु० नॉनरैकरिंग व ५,००० रु० रैकरिंग मंजूर हुए हैं।

**डॉ चन्द्रकला** : क्या राजस्थान कॉलेज में वही पढ़ाई होती है जो दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई होती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : पढ़ाई वही होती है लेकिन स्तर कुछ अच्छा है ।

**डॉ चन्द्रकला** : क्या यह सच है कि राजस्थान कॉलेज के प्रोफेसरों को जो तनख्वाह मिलती है उससे कहीं कम तनख्वाह दूसरे कॉलेजेज़ के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को मिलती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : नहीं, ऐसा नहीं है । इधर ५०० से १००० की ग्रेड है और दूसरे कॉलेजेज़ में ५०० से ८५० है । स्टार्टिंग वही ५०० ही सभी जगह है । फर्क इतना है कि इधर तो ग्रेड १००० पर खत्म होती है और उधर ८५० पर ।

**डॉ चन्द्रकला** : मैं यह पूछ रही हूं कि क्या यह सही है कि दूसरे कॉलेज के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को जो तनख्वाह मिलती है उसकी अपेक्षा यहां के प्रोफेसरों को अधिक मिलती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : हां, यह बात सही है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : इससे क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि जो इनकी तनख्वाहों में अन्तर है उससे प्रोफेसरों की मनोभावनाओं को बिगड़ने का पर्याप्त कारण मिलता है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : नहीं, यह बात नहीं है । हमने सिलेक्शन के लिए अर्जियां मांगी थीं और फिर सिलेक्शन किया था। इसलिए ऐसा कारण नहीं होना चाहिए था ।

**श्री पी० के० चौधरी** : Is it correct that Mehta Committee in its report has criticized the weakness of certain State Governments for this sort of public schools ?

**श्री अध्यक्ष** : It is outside the scope of the question.

**डॉ चन्द्रकला** : क्या सरकार से दूसरे इसी तरह की पढ़ाई करने वाले कॉलेजेज़ को पुस्तकालय के लिए ऐसी ही सहायता दी जाती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सरकार पुस्तकालयों के लिए दूसरे कॉलेजों को भी सहायता देती है परन्तु इतनी नहीं, क्योंकि वहां की लाइब्रेरी इक्विप्ड होती है और यहां पर लाइब्रेरी नहीं बनाई जा रही है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : राजस्थान कॉलेज खोलने के उद्देश्य क्या क्या हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

## तहसीलदार की नियुक्ति

**८२६. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, हैड क्वार्टर अलीगढ़ में अर्से से तहसीलदार नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) तहसीलदार की अनुपस्थिति में कौन तहसीलदारी का काम करता है ?

(घ) क्या यह सही है कि जो अनुपस्थिति में काम करता है वह मेजिस्टीरियल और रजिस्ट्रेशन पॉवर इस्तेमाल करता है ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (क) यह सही नहीं है ।

# Page No.3



( श्री सम्पतराम )

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नायब तहसीलदार ।

(घ) जी नहीं ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** आपने (क) के जवाब में कहा, "यह सही नहीं है;" तो वहां तहसीलदार है । तो उसके बाद में वहां तहसीलदार भेजा गया या पहले से ही नहीं है ?

**श्री सम्पतराम :** तहसीलदार के भेजने का इस सवाल से ताल्लुक नहीं है । मुझे पता नहीं, आपने कौनसी तारीख को सवाल भेजा ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** मैंने कहा कि वहां तहसीलदार नहीं है और आपने कहा कि यह सही नहीं है । तो यह बताओ कि वहां तहसीलदार था भी या नहीं ?

**श्री सम्पतराम :** तहसीलदार तो रहता है । अब वह कहीं छुट्टी पर चला गया हो या कहीं तबादला हो गया हो तो दूसरी बात है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** तबादला कितने-कितने दिनों में और किन-किन तहसीलदारों का किया गया ?

**श्री तनसिंह :** यह तो स्पेसिफिक सवाल है, इसका जवाब तो आप दीजिए ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) **:** ट्रांसफर्स आमतौर से दो-तीन कारणों से होते हैं । सब से पहला तो प्रशासनिक कारण है....

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** क्या यह प्रशासनिक कारण हैं कि किसी तहसीलदार का २।। घन्टे में ट्रांसफर कर दिया और एक का १५ दिन में ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है । आप कोई स्पेसिफिक नाम बतायेंगे और इसकी जानकारी देंगे तो मैं आपको बता सकूंगा ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** मैं जानकारी दे रहा हूं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** हां, आप बताइये ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** यह क्या बात है कि हमारे वहां अलीगढ़ में तहसीलदार लोग ठहरते ही नहीं हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आप मुझे जानकारी दीजिए ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** मैं आपको देता हूं ....

**श्री अध्यक्ष :** यहां तो आप जानकारी लीजिए, दीजिये मत ।

श्री रामकरणसिंह ।

**शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति**

**८२७. श्री रामकरणसिंह** ( कोटपुतली ) **:** क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ जातियों के कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

(ख) उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

# Page No.4



(श्री रामकरणसिंह)

(ग) क्या यह सही है छात्रवृति के लिए जो फॉर्म्स आये थे उनमें से कुछ रिजेक्ट किये गये ?

(घ) यदि हां, तो कुल कितने फॉर्म्स आये और उनमें से कितने रिजेक्ट हुए ?

(ङ) रिजेक्ट किस वजह से किये गये ?

(च) क्या इसकी जिम्मेदारी हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन्स पर नहीं है ?

(छ) क्या इस विभाग की ओर से उनको इस बारे में इन्स्ट्रक्शन्स भेजे गये थे ?

(ज) यदि हां, तो कब तथा उन पर अमल किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप समाज कल्याण मंत्री** (श्री भीखाभाई) : (क) आंकड़े समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा रही हैं, अतः पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) रिजेक्ट निम्न कारणों से किये गये हैं:—

(१) जाति ठीक नहीं अंकित होना ।

(२) स्कूल का नाम ठीक नहीं लिखा होना ।

(३) फॉर्म का हैडमास्टर द्वारा फार्वर्ड नहीं किया जाना ।

(४) छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति पा रहा हो अथवा किसी राजकीय होस्टल में रह रहा हो जहां मुफ्त खाने आदि की व्यवस्था हो ।

(५) छात्र गत वर्ष असफल रहा हो ।

(६) छात्र की जाति पिछड़ी जातियों की मानित सूची में न हो ।

(७) फॉर्म पर छात्र के हस्ताक्षर न हों

(८) फॉर्म का नियमानुसार न भरा होना आदि, आदि ।

(च) जी हां, नहीं है ।

(छ) जी नहीं ।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री रामकरणसिंह** : आपने प्रश्न के (ख) भाग के जवाब में कहा कि प्रश्न नहीं उठता । मेरा प्रश्न है कि उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी और आपने यह उत्तर दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता । अब छात्रवृति उनको दी नहीं जायेगी या उनके आंकड़े आपके पास नहीं हैं ?

**श्री भीखाभाई** : मेरे ख्याल से जो जिलेवार सूची है वह प्राप्त नहीं है ।

**श्री रामकरणसिंह** : आपने यह भी बताया कि 'जी हां'; तो जितने भी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए उनकी भी संख्या आपके पास नहीं है ?

**श्री भीखाभाई** : इस वक्त प्राप्त नहीं है ।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह सही है कि अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि यह छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

**श्री भीखाभाई** : जो सूचना इकट्ठी की जानी थी, वह नहीं हो सकी है।

**श्री रामकरणसिंह** : मेरा अर्ज करना बिल्कुल साफ है कि फॉर्म्स रिजेक्ट-हुए। जब कि आप समय-समय पर यह फरमाते हैं कि साल में दो दफा छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, तो क्या दोनों बार ही अलग-अलग फॉर्म्स भरवाये जाते है ?

**श्री भीखाभाई** : जो फॉर्म्स डाइरेक्टर के पास आते हैं उनको असिस्टेंट डाइरेक्टर के पास भेज दिया जाता है। अब क्योंकि हमने उसमें डी—सेन्ट्रलाइज़ेशन किया है; पहले संचालक महोदय यहां से ही स्वीकृति दे देते थे। अब वह सहायक डाइरेक्टर के पास जाते हैं और यह अधिकार अब उनको ही दे दिये हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : आपने (ज) में कहा है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसका जवाब ठीक नहीं मिला है ?

**श्री भीखाभाई** : मैं समझा नहीं।

**श्री रामकरणसिंह** : प्रश्न का जो (ज) भाग है इसमें आपने फरमाया कि हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है, तो वह जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी जाती है ?

**श्री भीखाभाई** (उपमन्त्री) : यह शिक्षा विभाग का सवाल है और आपने पूछा है कि वहां पर जो हैड हैं उन पर जिम्मेवरी आयद हो सकती है या नहीं। उसके बारे में हम इतना लिखते हैं कि फॉर्म को ठीक ढंग से फॉर्वर्ड कर दें। इनके सिवाय कोई कठिनाई उपस्थित होती है, तो शिक्षा विभाग के सामने तो हम उसकी जिम्मेवरी समाज कल्याण पर नहीं आयद करते हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : मेरा अर्ज करना साफ है। जब प्रश्न किया जाता है तो न तो हैड ऑफ दी इन्स्टीट्युशन की जिम्मेवरी है और न विभाग की। यह किसकी जिम्मेवरी है कि फॉर्म सही भरे जायं कि कितना है, किस प्रकार है, कैसे है, इसके लिए साफ जवाब चाहिए।

**श्री भीखाभाई** : सही फॉर्म का सवाल राजस्थान में नहीं है सभी प्रान्तों में है, विद्यार्थी सही फॉर्म नहीं भरते हैं। यदि कोई लिख देता है आदिवासी या हरिजन तो वह फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के ऑर्डर के तहत जो जो जातियां बताई गई हैं, स्पेसीफाइड की गई हैं, उन जातियों के नाम दर्ज करने पड़ेंगे तब जाकर वे स्वीकार हो सकेंगे।

**श्री रामकरणसिंह** : शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिए किसी हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन या अधिकारी पर जिम्मेवरी डालें कि वक्त पर सही रूप में फॉर्म भरे जायं और उन्हें उपलब्ध हो सकें।

**श्री भीखाभाई** : मैं अर्ज करूं कि यह छात्रों की जिम्मेवरी है, वह हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन की नहीं हो सकती है। यह दूसरा सवाल है कि क्या क्या होगा। यह रीति-नीति का सवाल है। इसके बारे में मैं अभी जवाब नहीं दे सकता।

**श्री अध्यक्ष** : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की जिम्मेवरी नहीं। वहां के हैडमास्टर को कह दें कि वह देख ले कि फॉर्म ठीक ढंग से भरा गया है, कोई गलती तो नहीं रहती है। इस तरह के इन्स्ट्रक्शन दे दें तो सहूलियत होगी।

**श्री भीखाभाई** : इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स पहले से ही हैं कि अच्छी तरह से

( श्री भीखाभाई )

फॉर्म को देख लें कि जाति-वाति दर्ज है, इसके बावजूद भी कोई ओवरसाइट से गलती हो सकती है।

## पट्टियों की खानें

८२८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि टोडा ग्राम, तहसील टोडा, टोकरीयावास ग्राम तहसील दूनी व ककौड़ ग्राम तहसील उनियारा, में बढ़िया पट्टियों की खानें हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या वे चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उक्त खानों की पट्टियां सड़क तक पहुंचाने के क्या २ साधन हैं ?

**उप उद्योग मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल ) : (१) जी हां।

(२) केवल एक ग्राम टोडा में काम चालू है और दो में नहीं। टोकरियावास में काम इस कारण नहीं होता है कि इस खान के मजदूर टोडा और पातलिया के डूंगर में काम कर लेते हैं। ककोड़ में काम लगभग १० साल से नहीं हो रहा है। काम न होने का कोई विशेष कारण नहीं है।

(३) पट्टियां सड़क तक बैलगाड़ियों से पहुँचाई जाती हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : बैलगाड़ी से टोडा से पट्टियां सड़क तक जाती हैं तो उसका कितना फैसला है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह तो जानकारी मेरे पास में नहीं है। आपको ज्यादा मालूम होगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मुझे मालूम है, मगर मैं यह कहता हूँ कि वहां पर जो पट्टियां मिलती हैं वे अभी जो इस वक्त पट्टियां हैं, उनमें बैस्ट पट्टियां हैं। उनको सड़क तक पहुँचाने के लिए सरकार साधन बनाने के विचार में है क्या ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, इस पर विचार किया जा रहा है।

## ग्राम रावतसर कूंजला, तहसील राजगढ़ (चूरू) में फर्जी नामों पर तकावी का वितरण

८२९. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के ग्राम रावतसर कूंजला के १५ ऐसे आदमियों के नाम तकावी लिखी हुई है जो कि गांव में हैं ही नहीं ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है ?

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा ?

**उप राजस्वमन्त्री** ( श्री सम्पतराम ) : (क) जी हां।

(ख) जांच की जा रही है।

(ग) जांच पूर्ण होने पर परिणाम बताया जा सकता है।

**श्री मोहरसिंह** : १२ महीने वहां से दरख्वास्तें दी जा रही हैं और यह मामला चल रहा है तो यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ? उनके नाम पर फर्जी तकावी लिखी गई है और वे लोग गांव में हैं ही नहीं और जिनके नाम से जमानत के खाने में जामिन का नाम लिखा हुआ है वे हस्ताक्षर झूठे हैं।

**श्री सम्पतराम** : यह मामला एन्टी-करप्शन को दे दिया गया और उनके खिलाफ चार्ज–शीट बनाई जा रही है और थोड़े ही दिनों में उसका फैसला हो जायगा।

**श्री मोहरसिंह** : कौन सी तारीख को दिया गया है ?

**श्री सम्पतराम** : ३०–१–५८ को यह मामला बोम्बे वाला को दे दिया गया था।

## सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास एवं समारोह के उद्घाटन

**८३० श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या इस आशय की कोई सरकारी आज्ञा जारी की गई है कि सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास एवं समारोहों के उद्घाटन करने से पूर्व सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या इसी प्रकार से मन्त्रियों पर सरकारी अधिकारियों तथा स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले भोज अथवा मान-पत्र आदि पर पाबन्दी लगाई गई थी ?

(३) उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद कितने और किन–किन अधिकारियों एवं मन्त्रियों ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनुमति मांगी ? यदि नहीं, तो क्या अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

**मुख्य मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया) : (१) इस विषय में सरकार ने अपने परिपत्र संख्या एफ ४।२१।जी।ए।ए।५७ दिनांक १४ जून, १९५७ के द्वारा आदेश जारी किये है कि :

कोई भी सरकारी ऑफिसर पब्लिक फंक्शन अथवा पब्लिक भवन का शिलान्यास बिना सरकारी आज्ञा के न करे।

पब्लिक के चन्दे से बनाये गये छोटे पब्लिक भवनों के विषय में हो रही सभाओं का कमिश्नर अथवा कलेक्टर आधिपत्य कर सकते हैं। ऐसे मामलों में कलेक्टरों को कमि-श्नरों से व कमिश्नरों को चीफ सेक्रेटरी से आज्ञा लेनी होगी।

(२) जी नहीं।

(३) किसी अधिकारी द्वारा इजाजत नहीं मांगी गई। अवहेलना करने पर अधि-कारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

## पाली तहसील में धर्मपुरा नामक संस्था को दी जाने वाली सहायता

**८३१. श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली तहसील में धर्मपुरा नाम की कोई संस्था है ?

(ख) क्या सरकार उसको आर्थिक सहायता देती थी ? अगर हां, तो कितनी ?

( श्री मूलचन्द डागा )

(ग) क्या उक्त सहायता आज तक चालू है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री संपतराम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । चार माही किश्त ५६६ रु० १ आ० ६ पाई यानी सालाना १६६८ रु० ४ आ० ६ पाई देती थी ।

(ग) इस संस्था को ३१-७-५२ तक सहायता के रूप में रकम मिल चुकी है । दिनांक १-८-५२ से ३१-३-५५ तक का पेमेन्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस संस्था के एक मेम्बर की मृत्यु सन् १९५२ के पहले हुई और दूसरे मेम्बर की नियुक्ति सरकार से सन् १९५६ में मन्जूर हुई और इस बकाया रकम को देने के लिए कार्यवाही जारी है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : कब तक दे दी जायगी ?

**श्री संपतराम** : चार सदस्यों में से एक सदस्य के मर जाने के कारण रकम नहीं दी गई थी, अब चूंकि नये सदस्य के नामजद हो जाने के बाद कोई आपत्ति नहीं; ५६ में उसकी कार्यवाही शुरू हुई, और मैं समझता हूं कि इस साल में पूरी रकम मिल जानी चाहिये ।

### लूणकरनसर में नमक बनाने का कार्य पुनः चालू किये जाने की व्यवस्था

**८३२. श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग व वाणिज्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भू० पू० बीकानेर रियासत के वक्त लूणकरणसर, जिला बीकानेर में नमक बनाया जाता था ? अगर हां, तो क्या सरकार वहां पर नमक बनाने का काम पुनः प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

**उप उद्योग मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

**श्री भीमसेन** : क्यों नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वह इस वजह से कि यह एरिया बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के पास में है और यह एरिया उनको सेलोनाइट बनाने के लिए दिया गया है, तो उन्होंने अब भारत सरकार को नमक बनाने के लिए दरख्वास्त पेश की है, क्योंकि वह एरिया जो कि बीकानेर स्टेट ट्रीटी एरिया में था और भारत सरकार को दे दिया गया था ।

**श्री भीमसेन** : कुछ एरिया ऐसा भी है जो लीज़ के बाहर भी है ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मेरी जानकारी में कुल एरिया उनके पास में है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह एरिया उनके पास में किस प्रकार से है ? क्या कोई लिखित एग्रीमेंट हुआ है कि यह एरिया उनके पास में रहेगा ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, लिखित एग्रीमेन्ट है लेकिन जिप्सम के लिये एरिया दिया है । पर्टिकुलर लीज़-एग्रीमेन्ट के तहत दिया है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या यह बात निश्चित रूप से लिखी हुई है कि यहां पर वे ही लोग निश्चितरूप से वही काम करेंगे जो लीज़ में दिया गया है ?

# Page No.9



**श्री रिखबचंद धारीवाल :** मैं मतलब नहीं समझा। लीज़ दिया है, दोनों पार्टीज़ मौजूद हैं। जब कांट्रैक्ट दिया जाता है तो लीज़ पीरियड के लिये वह उनके पास ही रहेगी।

**श्री मुरलीधर व्यास :** लीज़ इसलिये कि २० साल के लिये लीज़ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन यह बात है क्या कि नमक बनाने का काम भी वे ही करेंगे, इस प्रकार का एग्रीमेंट है क्या ?

**श्री रिखबचंद धारीवाल :** जी नहीं, सॉल्ट के लिये कोई एग्रीमेंट नहीं है। सेलोनाइट बनाने के लिये एरिया दिया गया था। अब भारत सरकार के पास उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उनको सॉल्ट बनाने की इजाजत दी जाय। इससे राजस्थान गवर्नमेंट को ६, ६॥ हजार करीब मिलते हैं। सॉल्ट भारत सरकार के अधीन है। वे इजाजत देते हैं तो बना सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** भारत सरकार को कब दिया गया ?

**श्री रिखबचंद धारीवाल :** सन् १९१३ में दिया गया।

**श्री मुरलीधर व्यास :** मैं पूछ रहा था कि भारत सरकार से नमक के बारे में कब इजाजत मिली।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री मुरलीधर व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं नमक के बारे में जानकारी चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** उन्होंने १९१३ बताया है।

## चौमू के बाढ़ ग्रसित लोगों को दी गई सहायता

**८३३. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष वर्षा से चौमू, तहसील आमेर, में बहुत से घर बाढ़ग्रस्त हो गये थे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त लोगों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

**उप राजस्व मन्त्री :** ( श्री संपतराम ) (क) हां।

(ख) पीड़ितों को सहायता के रूप में २००० रु० व तकावी के रूप में ७१७५ रु० सरकार द्वारा वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त श्री मुख्य मन्त्री महोदय ने ५७५ रु० प्रदान किये। जिन व्यक्तियों के घर गिर गये थे और जिन्हें आवश्यकता थी उनको टीन के पर्मिट भी दिये गये।

## शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

**८३४. श्री भैरोसिंह** ( श्री माधोपुर ) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा विभाग के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारियों ( गजटेड ऑफिसर्स ) के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग, विभागीय खरीद-फरोख्त में अनियमितता तथा टैक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन एवं उनके राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित अनियमितताओं के विषय में जांच की जा रही है ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी द्वारा किस-किस तारीख से किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध और किस-किस सम्बन्ध में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

( श्री भैरोंसिंह )

(ख) पिछले पांच वर्षों में ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा चुकी है और प्रत्येक का क्या नतीजा रहा ? जांच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उप शिक्षामन्त्री** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये अगली टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : In next week ?

**प्रश्न संख्या ८३५**

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

( अनुपस्थित )

श्री दयाकृष्ण विजय।

**खरंजा बनाने का ठेका**

**८३६. श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विकास विभाग की ओर से ग्राम कवाई, तहजील अटरू, जिला कोटा में खरंजा बनाने के लिये ग्राम पंचायत को कितना रुपया दिया गया तथा किसे ठेका दिया गया था ?

(२) ठेकेदार को कितनी रकम किस सरपंच द्वारा दी जा चुकी है ?

(३) क्या खरंजा पूरा बन चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या जो खरंजा बना है उसका किसी ओवरसीयर के द्वारा नाप व एस्टीमेट बनवाया गया है ? यदि हां, तो वह कितने रुपयों का एस्टीमेट बना है ?

**उप विकास मन्त्री** ( श्री सम्पतराम ) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी इसलिये इसको अगली टर्न पर लेना चाहिए।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं बताना चाहता हूं कि जहां से सूचना आने वाली थी वह मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि सूचना भेजी जा चुकी है। पता नहीं मन्त्री जी इसका उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

**श्री सम्पतराम** : यदि माननीय सदस्य को सूचना मिल गई थी और बाद में उन्होंने प्रश्न पूछा है तो मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन हम जैसी सूचना चाहते हैं वैसी सूचना अभी नहीं आई है।

**हनुमानगढ़ में किसानों को बेदखल कर जंगलात के लिये जमीन का छुड़वाया जाना**

**८३७. श्री शिवपत सिंह** ( हनुमानगढ़ ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इस साल हनुमानगढ़ के पास साढ़े चार हजार बीघा जमीन वहां के किसानों को बेदखल करके जंगलात के लिये छुड़वाई गई ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस जमीन से बेदखल करने से किसानों की सावणी की फसल मारी गई और बार बार प्रार्थना करने पर भी उन किसानों को एक फसल काश्त करने का हुक्म नहीं दिया गया जबकि वह जमीन इस साल बंजड़ पड़ी है ?

**उप राजस्व मन्त्री** ( श्री संपतराम ) : जी नहीं, बल्कि ६५४६ बीघा रकबा हनुमानगढ़ के पास काश्तकारान को दूसरी जमीन के तबादले में उनकी रजामन्दी से दी जाकर जंगलात के लिए लिया गया है।

(ख) जी नहीं। इस जमीन पर काश्त के संबंध में केवल एक दरख्वास्त आई थी जो महकमा जंगलात को भेज दी गई। जंगलात ने काश्त की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि उस भूमि के बदले दूसरी भूमि पहले दी जा चुकी थी।

**श्री शिवपतसिंह** : क्या यह सही है कि ६ हजार बीघा जमीन बिना काश्त के बंजर पड़ी है वह किसानों को न देकर बंजर रखी गई है ?

**श्री संपतराम** : यह हो सकता है, लेकिन नियमानुसार जमीन का कब्ज़ा दे दिया गया।

**श्री शिवपतसिंह** : क्या इससे सरकार को कई हजार मन अनाज का नुकसान नहीं हुआ ?

**श्री संपतराम** : किसानों की रजामन्दी से उनकी जमीन के बदले में दूसरी जमीन दे दी गई थी, इसलिये नुकसान का कोई सवाल नहीं है।

**श्री शिवपतसिंह** : लेकिन वह जमीन तो बंजर पड़ी है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि १ साल के लिये वह जमीन हमें दे दो। ६ हजार बीघा जमीन जिनसे छुड़ाई गई थी उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जो जमीन हमें दी जा रही है वह जब तक काबिल काश्त न हो जाय तब तक के लिये यह जमीन हमें दे दी जाय; इस प्रकार की दरख्वास्त दी गई थी उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई ?

**श्री संपतराम** : इस प्रकार की कोई दरख्वास्तें नहीं आई। एक दरख्वास्त आई थी लेकिन क्योंकि उनको पहले जमीन एवज में मिल चुकी थी उस पर वे कल्टीवेशन कर सकते थे इसलिये उसे जमीन नहीं दी गई।

**श्री शिवपतसिंह** : मैं आपको जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब केबिनेट की मीटिंग इस संबंध में हुई थी तब डेपुटेशन मिला था और कहा था कि एक साल के लिये यह जमीन उनको दे दी जाय। यह ठीक है कि उनकी रजामन्दी से जमीन ली गई थी, लेकिन यह कहा गया था कि फसल का मौका है और जो जमीन उनको दी गई थी वह काबिल काश्त नहीं है इसलिये वह जमीन उनको एक साल के लिये दे दी जाय, लेकिन वह उनको नहीं दी गई और आज भी बंजर पड़ी है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जो जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई उसको काश्त करने के लिये देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

## राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड

**८३८. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा साबुन उद्योग तथा चर्म उद्योग केन्द्र के निमित्त गत वर्ष में कितना कितना रुपया किस किस संस्था को दिया गया ?

(ख) उक्त संस्थाओं के काम की क्या प्रगति है ?

(ग) क्या प्रत्येक संस्था के काम का बोर्ड द्वारा निरीक्षण करके तसल्ली करली गई है ?

**उप वित्त मन्त्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सन् १९५६-५७ में साबुन उद्योग व चर्म-उद्योग में जो अनुदान विभिन्न संस्थाओं या समितियों को दिये गये हैं, उनकी तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) साबुन उद्योग व चर्म उद्योग में कार्य करने वाली संस्थायें या समितियां अभी निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, जिनका कार्य प्रारम्भ हो गया है, उनके नाम के सामने दोनों तालिकाओं में 'श्री' अक्षर का संकेत है।

(ग) पूर्ण संस्थाओं व समितियों का निरीक्षण अभी नहीं किया जा सका है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : जो संस्थाएं चर्म-उद्योग का काम करती हैं उनके नाम तो बता दें ?

**श्री अध्यक्ष** : आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं।

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : लिस्ट लम्बी चौड़ी है, आप उसमें देख लीजिये।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र बेनीवाल को चर्म उद्योग के लिये सहायता दी गई थी, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है !

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जिनको जो सहायता दी गई वह लिस्ट में दर्ज है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय कि उनको कोई सहायता नहीं दी गई !

**श्री अध्यक्ष** : आप लिस्ट देख लीजिये !

**श्री भैरोंसिंह** : हमारे पास लिस्ट नहीं है। मैं यह पूछ रहा था कि श्री रामचन्द्र बेनीवाल को चर्म उद्योग के लिये सहायता दी गई है और कोई काम हो रहा है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : इतनी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है और आप अमुक आइटम के लिये पूछ रहे हैं, तो आप लिस्ट देख सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : वह अमुक आइटम इम्पोर्टेन्ट है, उसके बारे में सब को मालूम है।

### शिक्षा शुल्क

८३९. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार को फीस वृद्धि से कितनी आमदनी होगी ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तथा क्या सरकार का उद्देश्य पूरा हो रहा है ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : फीस वृद्धि से कितनी आमदनी होगी, यह इस समय बताना सम्भव नहीं है। सरकार शिक्षा क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति करती जा रही है जिससे सरकार पर काफी भार बढ़ता जा रहा है। इस भार को उठाने में सरकार को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी भार को थोड़ा हल्का करने के लिये सरकार को फीस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। भारत के अन्य प्रान्तों में राजस्थान से कहीं अधिक फीस ली जाती है। सरकार का उद्देश्य तो शिक्षा क्षेत्र को विस्तृत करना है जो किसी न किसी हद तक पूरा हो ही रहा है।

### पुरुषार्थी नारीशाला, कोटा

८४०. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( श्री रामेश्वरदयाल )

क्या कोटा नगर की पुरुषार्थी नारीशाला को भोपाल हटा दिया गया है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : कोटा नगर की पुरुषार्थी नारीशाला को भोपाल नहीं हटाया गया, बल्कि यह नारीशाला ३१–५–५५ को बंद कर दी गई। इसके साथ ही विधवाओं के भरण-पोषण की भी आवश्यक व्यवस्था की गई।

**श्री रामेश्वरदयाल** : इस नारीशाला को बंद करने का क्या कारण है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भारत सरकार ने एक के बाद दूसरी नारीशाला को बंद करने का तय किया है। जो विधवाएं काम नहीं कर सकतीं उनको मासिक मेन्टीनेन्स अलाउन्स मुकर्रर किया है और जो काम कर सकती हैं उनको २५० रुपये एक मुश्त देकर काम खोलने के लिये कहा गया है।

**श्री पी. के. चौधरी** : मासिक भत्ता क्या फिक्स किया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (अश्रव्य)

**श्री रामेश्वरदयाल** : नारीशाला बंद करने के बाद भारत सरकार से उन बस्तियों में उद्योग खोलने के लिये रुपये मिले थे उनमें से कितने रुपये इस पर खर्च किये गये और किस प्रकार किये गये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जिस समय इसे बंद किया उस समय ८१ विधवाएं यहां पर काम करती थीं, उनमें से ४७ को २५० रु० की आर्थिक सहायता दी गई और बाकी ३४ को १० रुपया मासिक सहायता-जीवन मुकर्रर कर दी गई।

**श्री रामेश्वरदयाल** : मेरा प्रश्न यह है कि इन बस्तियों में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार से कुछ रुपया मिला था उन रुपयों में से कितना रुपया बल्लभनगर में उद्योग-धंधों के प्रोत्साहन के लिये खर्च किया गया और किस प्रकार किया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इससे आपका मतलब क्या है ? यह नारीशाला के लिये प्रश्न है और आप उद्योग धंधों के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री रामेश्वरदयाल** : नारीशाला में भी उद्योग धंधे चल रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : क्या माननीय सदस्य बल्लभनगर और नारीशाला को एक ही चीज समझ रहे हैं ?

**श्री रामेश्वरदयाल** : बल्लभनगर के अन्दर ही यह नारीशाला थी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**प्रश्न संख्या ८४१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार।

**भाखड़ा क्षेत्र में स्थापित की जानेवाली नई मंडियों व शहरों के लिये सीमेंट, लोहे इत्यादि के वितरण की व्यवस्था**

८४२. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भाखड़ा प्रोजेक्ट एरिया में जो नई मंडियां तथा शहर आबाद होने जा रहे

( श्री धर्मपाल पंवार )

हैं, उनके लिये सीमेन्ट, लोहा, ईंट इत्यादि देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

(२) यदि हां, तो व्यवस्था की रूप-रेखा क्या है ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : (१) ईंट बनाने के लिये भूमि नियत कर दी गई है। सीमेन्ट के लिये यह आशा की जाती है कि प्रतिबन्ध उठ जाने के कारण यह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

(२) भाखड़ा मंडी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित हो गया है जो सीमेन्ट व लोहा वगैरह उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा।

**श्री शिवपतसिंह** : क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट में साफ लिख दिया है इस बोर्ड ने कि सीमेन्ट, लोहा और ईंट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है ?

**श्री सम्पतराम** : मुझे कोई सूचना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

## शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दी गई सहायता, जिला जयपुर

८४३. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रेल, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक जयपुर जिले के अन्तर्गत कहां-कहां के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को रुपये ३५० फिक्स्ड ३५० रु० की सहायता दी गई ?

(ख) क्या चौमूं के बाढ़ ग्रसित परिवारों को इस प्रकार की सहायता दी गई ? यदि दी गई, तो कितनी-कितनी और कब-कब ?

**उप समाज कल्याण मन्त्री** (श्री भीखाभाई) : (क) अप्रेल ५७ से जनवरी, ५८ तक जयपुर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गृह निर्माण हेतु ३५० रु० प्रति परिवार निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की गई है :

१. सांगानेर के ५० शिड्यूल्ड कास्ट परिवार
२. चौमूं के २८ ,, ,, ,,

(ख) तहसील आमेर के अन्तर्गत चौमू में सहायता दी गई है। तहसील जयपुर में अभी तक कोई सहायता नहीं दी जा सकी है। चौमू के २८ बाढ़ ग्रसित परिवारों को प्रति परिवार ३५० रु० के हिसाब से सहायता देना स्वीकार किया है। इस प्रकार की सहायता माह अगस्त १९५७ में स्वीकार की गई है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ऐसी सहायता जिन लोगों को दी जाती है उनके लिये शर्त है कि सरकार के बनाये हुए नक्शे के अनुसार ही अपना मकान बनायें ?

**श्री भीखाभाई** : यह सही नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय कि ३५० रुपये की सहायता देकर सरकार की ओर से इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि सरकार द्वारा बनाये हुए नक्शे के अनुसार वे अपना मकान बनाते हैं या नहीं ?

**श्री भीखाभाई** : ऐसा होता है कि दरअसल ३५० रु० की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन बाकी सामान वे खुद इकट्ठा करते हैं और जो वहां पर वेलफेअर इन्सपेक्टर होते हैं वे निगरानी में काम पूरा कराते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिन लोगों को सहायता दी है, उनसे यह एग्रीमेंट किया गया है कि उन लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार मकान बनाना पड़ेगा ?

**श्री भीखाभाई** : जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य बता रहे है तो मैं जानकारी हासिल करके बताऊंगा।

**श्री धर्मपाल** : जिन लोगों को सहायता दी गई वे हरिजनों की जाति में से किस जाति से सम्बन्ध रखते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री भैरोंसिंह** : मैं माननीय उपमन्त्री के जवाब को चुनौती देता हूँ, उन्होंने हमें असत्य सूचना दी है। एक एग्रीमेंट फॉर्म है, उसमें यह शर्त है कि जो नक्शा सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाय उसके अनुसार मकान बनाया जाय। इस सम्बन्ध में सदन को गलत इत्तला दी जा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने कहा, कि जानकारी नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : उनकी जानकारी में है, लेकिन एक गलत बात कह दी है, उसको वे हाउस में दुरुस्त नहीं करना चाहते हैं, वैसे उनकी जानकारी में है।

**श्री भीखाभाई** : मेरी जानकारी मे नहीं है.......

**श्री भैरोंसिंह** : फिर काम क्या करते हैं और मोटी-मोटी तनख्वाह हमसे क्यों लेते हैं ?

**श्री सतीशचन्द** : आपने उत्तर दिया है, सरकार के द्वारा जो नक्शा प्रेस्क्राइब होता है उसके अनुसार मकान बनाने की शर्त नहीं होती। आप चाहें तो प्रोसीडिंग्स देख लें। उन्होंने एक बात रखी गलत आधार पर, इसके लिए वे माफी मांगे।

**श्री भीखाभाई** : अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में और जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहते हैं और वह यह है कि दर असल अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम हैं; हरिजनों के लिए अलग चीज है, आदिवासियों के लिए अलग चीज है। आपने जिस सम्बन्ध में पूछा है उसके बारे में मैंने बताया। सब चीजों को कन्सोलिडेट करना मुश्किल है। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पूछें तो मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं जानकारी लेकर माननीय सदस्य को चेम्बर के बाहर भी दे सकता हूं।

**श्री पी. के. चौधरी** : आदिवासियों के मकान के बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपके पास में है ?

**श्री भीखाभाई** : यह सवाल जिला जयपुर के शिड्यूल्ड कास्ट वालों के बारे में है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं यह इसकी परिधि से बाहर है।

**श्री भैरोंसिंह** : जयपुर जिले में जो सहायता दी गई है उन सबके लिए एक से नियम हैं ?

**श्री भीखाभाई** : पहला नियम यह है कि जमीन प्राप्त करें, दूसरा नियम यह है कि नींव खुदावें, उसके बाद में सहायता दी जाती है। आपने कहा कि एग्रीमेंट है और उसमें शर्त है, इस सम्बन्ध में मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

# Page No.16



**श्री भैरोंसिंह** : सहायता देने के सम्बन्ध में एक-समान नियम हैं, या अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग प्रकार के नियम हैं ?

**श्री भीखाभाई** : सहायता देने के बारे में स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : किन किन जातियों के लिए कौन कौन से नियम हैं ?

**श्री भीखाभाई** : हरिजन, आदिवासी, विमुक्त जन-जाति, जिनको सहायता देने के समय स्थानीय परिस्थिति है, उसके अनुसार एडजस्टमेंट किया जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जयपुर जिले में जो सहायता दी गई है, उनके लिए एक नियम हैं, और उसके अनुकूल मकान बनाने की शर्त है ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने इसके बारे में अर्ज कर दिया कि मैं जानकारी हासिल करके बताऊंगा।

**प्रश्न संख्या ८४४**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

## भाखरा क्षेत्र में प्रति परिवार हेतु सिंचित भूमि का आवन्टन

**८४५. श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या मंत्री, राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भाखरा क्षेत्र सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए सरकार ने क्या मुकर्रर की है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्धारण हेतु माने गए परिवार में स्त्रियों व बच्चों को नहीं माना गया है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

(४) उपरोक्त जमीन के लेने और देने की क्या कीमत निर्धारित की गई है ?

(५) जिन काश्तकारों ने पीढ़ियों के परिश्रम से जमीन को काबिल काश्त किया उनके लिए विशेष सुविधा क्यों नहीं दी जाती ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (१) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान भाखरा परियोजना राज भूमि आबंटन के नियम १६ व १६ (ए) दिनांक २५-५-५६ की ओर आकर्षित किया जाता है।

(२) यह सही है कि कुटुम्ब के मेम्बरान की तादाद में औरतों और बच्चों की भूमि आराजी एलाटमेंट में मान्यता नहीं दी गई है।

(३) चूंकि औरतें और बच्चे (नाबालिग) अपने बालिग मर्दों पर ही मुनस्सर होते हैं अतः इसी वजह से उन्हें कुटुम्ब के मेम्बरान की संख्या में शामिल नहीं किया जाता।

(४) आराजी अवाप्त करने के लिये मौजा मुतल्लिका के पांच सालों यानी सन् १९४८-४९ से १९५२-५३ तक की फरोख्त की हुई आराजी की कीमत की औसत निकाल कर कीमत मुकर्रर की गई है जो कम से कम ३८ रु० फी बीघा और ज्यादा से ज्यादा

( श्री संपतराम )

३३६ रु० की बीघा है जिसमें बैटरमेंट लेवी शामिल नहीं है और इसकी अदायगी एक मुश्त में ही है। सरकारी जमीन की कीमत जो सरकार की ओर से मुकर्रर की गई है वह इस प्रकार है, जिसमें बैटरमेंट लेवी शामिल है और वह १५ सालाना किश्तों में वसूल की जायगी :

| | |
|---|---|
| १. नाली अव्वल | ४०० रु० की बीघा |
| २. नाली दोयम | ३०० रु० ,, ,, |
| ३. लीम व लाइट लीम | २८० रु० ,, ,, |
| ४. सैन्डी लीम व सैन्डी | २०० रु० की. बीघा |
| . अनकमान्ड बारानी | ५० रु० की. बीघा |

(६) जिन लोगों ने मेहनत करके पुश्तों से अपनी कब्जे शुदा सरकारी आराजी को काश्त की है, यानी जो सम्वत् ८५ के पहले से आराजी राज काश्त कर रहे हैं, उनको, पहले २५ बीघा आराजी राज बिला कीमत दिये जाने की सुविधा दी गई है, उस पर केवल बैटरमेंट लेवी ही लगेगा उसके बाद सन् १६४७ तक के काश्तकारों को ५० बीघा आराजी दिये जाने की सुविधा तथा उसके काश्तकारों को २५ बीघा भूमि दी जाती है। यह अलॉटमेंट राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर शुदा कवायद राजस्थान उपनिवेशन भाखरा परियोजना राज भूमि (आवंटन) नियम, १६५५ के तहत किया जाता है। जागीर के देहात में सम्वत् १६८१ के पहिले के काश्तकारों का जिनका कब्जा बाकायदा रहा है २५ बीघा जमीन बिला कीमत दी जाती है, अलबत्ता बैटरमेंट लेवी उक्त जमीन पर काबिल वसूल है।

**श्री गिरधारीलाल** : सरकार ने परिवार कितने सदस्यों का माना है, कितने सदस्यों का एक परिवार है ?

**श्री सम्पतराम** : यह रूल्स में है, आप रूल्स में देख सकते हैं।

**श्री गिरधारीलाल** : रूल्स में कितने सदस्यों का परिवार माना जाता है; स्त्रियां कितनी होनी चाहिए, मर्द कितने होने चाहिए ?

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न यह है...

**श्री गिरधारीलाल** : परिवार कितने सदस्यों का माना है, यह आपको पता नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : उनके पास जानकारी नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग (५) में जो उत्तर दिया गया है उसको देखते हुए क्या सरकार के यह ख्याल में है कि ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जो काश्त तो स्वयं करते हैं, परन्तु उनके नाम पर जमीन दर्ज नहीं होती। ऐसी हालत में वे काश्तकार जमीन से वंचित रह जाते हैं; क्या इसकी जानकारी सरकार के पास में है ?

**श्री सम्पतराम** : इस स्पेसिफिक पॉइन्ट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब दे दिया गया है। यदि आप डिटेल में जानकारी चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ लीजिये। इस समय डिटेल्स अर्ज करने में मैं असमर्थ हूं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया गया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): नम्बर (५) में ऐसा सवाल नहीं है। इसमें यह है जिन काश्तकारों ने पीढ़ियों से, परिश्रम से जमीन को काबिल काश्त किया उनके लिए

( श्री दामोदरलाल व्यास )

विशेष सुविधा क्यों नहीं दी जाती ? उसका जवाब दे दिया गया है कि जिन लोगों ने मेहनत करके पुश्तों से अपनी कब्जे शुदा सरकारी आराजी को काश्त की है यानी जो सम्वत् ८५ के पहिले से आराजी राज काश्त कर रहे हैं उनको पहिले २५ बीघा आराजी राज बिला कीमत दिये जाने की सुविधा दी गई है, उस पर केवल बैटरमेंट लेवी ही लगेगा। उसके बाद सन् १६४७ तक के काश्तकारों को ५० बीघा आराजी दिये जाने की सुविधा तथा उसके काश्तकारों को २५ बीघा दी जाती है। यह अलॉटमेंट.... ..यह बताया आपको।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य का पूछना यह है कि कुछ काश्तकार जमीन काश्त करते हैं, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं है रिकॉर्ड में, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य गवर्नमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स करना चाहते हैं ? जिन लोगों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, उनका रिकॉग्नीशन कैसे किया जायगा ?

**श्री मुरलीधर व्यास :** इस सम्बन्ध में देहात के आस पास के लोगों से दर्याफ्त की जा सकती है कि कौन काश्त करता था ? इसका पता लगा कर जमीन दी जा सकती है। ऐसी कई पुरानी जमीन हैं जिन्हें कुछ अपने नाम से रखते हैं लेकिन काश्त दूसरों से करवाते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रहेगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** हमने इसके लिए रूल्स बना रखे हैं और डॉइरेक्टर ऑफ कोलोनाइज़ेशन को पावर्स दे रखी हैं कि वे मेरिट्स पर डील करें। अगर कोई किसी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है और उसे दूसरा अपने नाम से दर्ज कराना चाहता है तो इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में डिक्लेरेशन करना चाहिए। हम इस पर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते।

**श्री शिवपतसिंह :** परिवार में औरतों और बच्चों को शामिल न करना सरकार ने क्यों उचित समझा है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** उन्होंने नहीं कहा है कि उनको शामिल नहीं करते हैं।

**श्री शिवपतसिंह :** उन्होंने कहा है कि औरतों और बच्चों को शामिल नहीं करते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसका जवाब भाग (३) में दिया जा चुका है।

**श्री शिवपतसिंह :** इसका कारण क्या है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसका जवाब दिया जा चुका है।

**श्री रामकिशन :** इसका जवाब नहीं दिया है, साहब। जवाब में कहा गया कि औरतों और बच्चों को परिवार में शामिल नहीं किया गया है, तो सरकार की क्या मन्शा है औरतों और बच्चों को परिवार में शामिल नहीं करने की ?

**श्री तनसिंह :** क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या किसानों की उनकी औरतें काश्त में सहयोग देती हैं ?

**श्री अध्यक्ष :** उन्हीं से पैदावार बनती है।

**श्री रामकिशन** : उन्हें परिवार में शामिल नहीं कर रहे हैं, साहब।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने जवाब दिया और यह दिया कि चूंकि औरत और बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक मर्द पर ही आश्रित रहते हैं इसलिए इनको अलग नहीं किया है।

**श्री रामकिशन** : औरत क्या नाबालिग होती है?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने बच्चे के लिए नाबालिग कहा है।

**श्री रामकिशन** : औरतों को परिवार में शामिल क्यों नहीं किया गया है?

**श्री अध्यक्ष** : चूंकि वे आदमी पर मुनस्सर रही हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भाखरा रूल्स के अन्दर माननीय सदस्य जानेंगे कि अलग-अलग तादाद मुकर्रर की गई है अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड के लिए। कहीं तीन आदमियों का परिवार मान लिया है। औरतों और बच्चों को इसलिए शामिल नहीं किया है कि इससे अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड बढ़ जाता है।

**श्री पी० के० चौधरी** : भाखरा के रूल्स बना दिये, पर कोमन कन्सेप्शन है, कोमन लॉ है कि औरतें और बच्चे फेमिली मेम्बर्स माने जाते हैं; इसको कैसे इन्कार कर सकते हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फैमिली मेम्बर्स तो हैं ही, पर यहां जो एक परिवार की सीमा निर्धारित की है उसमें औरतों और बच्चों को शामिल करने से १५-१५ बीघा जमीन और बढ़ती है, इसलिए बालिग मेल मेम्बर को ही लिया गया है कि एक फैमिली के लिए इतना इकोनोमिक होल्डिंग काफी होगा, इसलिए यह तादाद मुकर्रर की गई है।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या सरकार यह मानती है कि किसानों की स्त्रियां पुरुषों पर आश्रित रहती हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नहीं।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो फिर उनको परिवार में शामिल क्यों नहीं किया गया है?

**श्री अध्यक्ष** : कहीं-कहीं उनको हावी किया है।

(हंसी)

**प्रश्न संख्या ८४६**

श्री नरपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज।

## कच्चे मकानों को पक्के बनाने पर नजराने की वसूली, जिला जयपुर

**८४७. श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए भूतपूर्व जयपुर राज्य के भागों से ही नजराने के नाम पर शुल्क क्यों लिया जा रहा है?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष, इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए इसको दूसरी टर्न पर लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

## राजबाग (जोधपुर) की अनुसूचित जाति द्वारा भवन निर्माण हेतु ऋण की मांग

**८४८. श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या

( श्री सूरजमल )

मन्त्री, समाज-कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के समीप राजबाग ग्राम की अनुसूचित जातियों द्वारा लो इन्कम हाउसिंग योजना के अन्तर्गत लोन की मांग की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या सरकार उक्त अनुसूचित जातियों के लोगों को लोन देने का विचार रखती है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

**उप समाज–कल्याण मन्त्री** ( श्री भीखाभाई ) :

(क) लो इन्कम हाउसिंग योजना का समाज-कल्याण विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः प्रश्न में पूछी गई सूचना इस विभाग के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री तनसिंह** : यदि इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं था तो उन लोगों से दरख्वास्तें क्यों ली गई; उनसे सिक्योरिटीज़ क्यों ली गई, यह क्यों किया गया ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने अर्ज किया कि इसका सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से नहीं हैं, उन्होंने बाला-बाला जोधपुर कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें दी हैं।

**श्री रामचन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इसका डाइरेक्ट सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से नहीं है फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए इस विभाग द्वारा अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त करके जानकारी देना चाहिये।

**श्री भीखाभाई** : हां, ऐसा किया जाता है, जब कि प्रार्थी इस प्रकार की सूचना कि इस प्रकार के लोन के लिए एप्लाई किया है, समाज कल्याण विभाग को दे तो सम्बन्धित अधिकारी को वह एप्लीकेशन सिफारिश के साथ भेज दी जाती है।

**श्री रामचन्द्र** : क्या भविष्य में इस प्रकार की सूचना देने का प्रबन्ध किया जायगा ?

**श्री भीखाभाई** : जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन-पत्र दिये जायेंगे उनको सिफारिश के साथ सम्बन्धित अधिकारी के पास जरूर भेज दिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

### माध्यमिक पाठशाला ग्राम बूसी, तहसील देसूरी

८४६. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देसूरी तहसील के बूसी ग्राम में माध्यमिक पाठशाला में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है ?

(ख) इस समय उस पाठशाला में कितने शिक्षक नियुक्त हैं ?

(ग) अगर शिक्षकों की कमी है तो उनकी पूर्ति कब तक करने का इरादा है ?

**उप शिक्षा मन्त्री** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) ६ अध्यापकों की।

# Page No.21



(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(ख) ६ अध्यापक नियुक्त हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष :** श्री सोहनलाल भटनागर।

### अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के गावों में लगान की छूट

८५०. **श्री सोहनलाल भटनागर** ( सलूम्बर ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अभाव ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामों में कुल कितने लगान की छूट व मुल्तवी के बारे में आदेश हुए हैं ?

(ख) जिन ग्रामों में गत खरीफ में ६ आने से ८ आने के बीच हानि हुई है उनकी संख्या कितनी है और इन्हें अभाव-ग्रस्त क्यों घोषित किया गया है ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम ) :

(क) राजस्थान में जिन जिन क्षेत्रों में अभाव की घोषणा की गई है लगान मुल्तवी करने के आदेश कर दिए गये हैं, लगान मुल्तवी की वास्तविक खरी रकम जिलाधीशों से मंगवाई जा रही है तत्पश्चात् छूट के सम्बन्ध में नियमानुसार आज्ञा जारी की जायगी।

(ख) ऐसे ग्रामों की कुल संख्या १२६३ है। सरकार ने इन्हीं ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी है, जिनमें एक फसली क्षेत्र में ८ आ० व उससे अधिक तथा दो फसली में १० आना व उससे अधिक क्षति हुई हो।

**प्रश्न सं० ८५१**

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

( अनुपस्थित )

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

### चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन

८५२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार के चपरासियों का तथा भूतपूर्व अजमेर स्टेट से आने वाले चपरासियों का वेतन दर क्या है ?

(ख) चपरासियों के वेतन में एकता लाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(क) राजस्थान :

रु० २५—१—४० अलावा मंहगाई भत्ता

अजमेर :

रु० ३०—१/२—३५ अलावा मंहगाई भत्ता।

(ख) कोई नहीं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** अजमेर से आने वाले चपरासियों को जब इतना वेतन दिया जा रहा है तो राजस्थान के चपरासियों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** सौतेली मां का सा व्यवहार करने का प्रश्न नहीं, अजमेर स्टेट में पहले ज्यादा मिलता था, वही चला आ रहा है। अब चाहे कोई कहीं का हो, जो नई नियुक्ति होगी तो सबको समान वेतन दिया जायगा।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** राजस्थान में जो कम वेतन पाने वाले चपरासी हैं उनकी तनख्वाह और क्यों नहीं बढ़ा दी जाती ताकि समान वेतन हो जाय ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसका जवाब (ख) में दिया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : अजमेर के चपरासी हैं उनको केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिया जाय, भेद को मिटानेके लिये केन्द्रीय सरकार को कहा जाय कि उन्हें अपने डिपार्ट-मेंट्स में रख लें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : समझा नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : अजमेर वालों को सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाय ताकि यहां यह भेद नहीं रहे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं कि यह अजमेर के कर्मचारी अच्छा नहीं समझेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह भेद की नीति ठीक नहीहै, इसकोआगे भी सोचना पड़ेगा। तो सरकार इस बारे में स्पष्ट नीति रखे कि सबके समान वेतन हों, इस पर सोचा जाय।

**श्री अध्यक्ष** : ज्यादा सोचेंगे. तो उनका भी कुछ कम हो जायगा।

( हंसी )

**श्री दलपतसिंह** : क्या माउंट आबू पर कर्मचारियों को हिल एलॉउन्स मिलता है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह अजमेर का प्रश्न है, माउन्ट आबू का नहीं।

श्री रामनारायण वर्मा।

**तहसील किशनगढ़ में पटवारियों द्वारा किसानों को गश्त गिरदावरी की पर्चियां नहीं दिये जाने की शिकायत**

**८४३. श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ तहसील में कौन कौन पटवारी किसानों को गश्त गिरदावरी की पर्चियां नहीं देते ?

(ख) किन ग्रामों के कृषकों ने तहसीलदार किशनगढ़ एवं रेवेन्यु मिनिस्टर के समक्ष उक्त शिकायत प्रस्तुत की है ?

(ग) क्या सरकार ने उक्त शिकायत को दूर करने हेतु कोई सक्रिय कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) :

(क) सब ही पटवारी पर्चियां देते हैं।

(ख) मौजा नया गांव के काश्तकारों ने तालाब रन समद के पेटा काश्त की गिरदावरी स्लिपें न मिलने बाबत रेवेन्यू मिनिस्टर के समक्ष शिकायत पेश की थी।

(ग) इस तालाब के पेटे में काश्त करने वाली दो पार्टियों में झगड़ा है, झगड़ा निबटते ही स्लिपें दे दी जायेंगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पृथ्वीराज पटेल।

**प्राथमिक पाठशाला ग्राम मोरन (सवाई माधोपुर)**

**८४४. श्री पृथ्वीराज पटेल** ( गंगापुर ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मोरन ग्राम तहसील बौंली ( जिला सवाई-माधोपुर ) की प्राथमिक पाठशाला का वार्षिक खर्चा कितना है ?

(ख) उक्त पाठशाला में छात्रों की निर्धारित उपस्थिति कितनी रहती है ?

**उप शिक्षामन्त्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

# Page No.23



( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

(क) वार्षिक खर्चा ७१४ रु० है।

(ख) नियमित छात्रों की उपस्थिति १० और १५ के बीच में रहती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लालूराम।

## भूमिहीन लोगों को काश्त के लिए दी गई जमीन जिला टौंक

**८५५. श्री लालूराम** (टौंक) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला टौंक में कितने भूमि-हीन हैं, हरिजन कितने व अन्य कितने ?

(२) कितनी प्रार्थनाएं भूमि-हीनों की काश्त की भूमि के लिये तहसीलों में आईं, कितने लोगों को भूमि दी गई व किस-किस नम्बरों की ! तहसील वाइज़ बताने की कृपा करें।

(३) जो भूमि दी गई, क्या वह उनके कब्जे में है, नहीं, तो क्यों ?

**उपराजस्व मन्त्री** ( श्री सम्पतराम ) : This is a very deep and detaile question which needs at least 15 days' notice more.

**श्री लालूराम** : कब तक जवाब मिल जायगा ?

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जानकारी चाही गई है वह ऐसी है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी समझ में १५ दिन की और मोहलत मिलनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रावतराम।

## खेती की जमीन का लगान जिला बाड़मेर

**८५६. श्री रावतराम** ( बालोतरा ) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने जिला बाड़मेर में खेती की जमीन का लगान लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा ?

(२) क्या लगान गत ५-६ साल से लिये जाने वाले लगान से कई गुना अधिक लगाया गया है तथा क्या सरकार अब लगान कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम) :

(१) उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया जो लैंड रेवेन्यु एक्ट में दर्ज हैं।

(२) जी नहीं।

**श्री रावतराम** : वहां के कई गांवों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है जो लैंड रेवेन्यु एक्ट में दर्ज है, क्या सरकार द्वारा जांच करने की कृपा करेगी ?

**श्री सम्पतराम** : वैसे एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं उन्हीं के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये, फिर भी ऐसी बात सरकार के नोटिस में लाई जाती है तो सरकार उचित समझेगी तो जानकारी करके जांच करेगी।

## राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड, हनुमानगढ़

**८५७. श्री शिवपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) हनुमानगढ़ राष्ट्रीय विकास सेवा खंड में २-१०-५६ से आज तक किस किस गांव में कितने कुए, डिग्गियां व स्कूल भवन बनाये गये हैं ?

# Page No.24



( श्री शिवपतसिंह )

(ख) उपरोक्त राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड द्वारा आज तक कितना कितना खर्चा किया गया ? गांववाइज तालिका मेज पर रखी जावे ।

**उप विकास मंत्री** (श्री सम्पतराम) :

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**श्री शिवपतसिंह** : मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि अब तक कितने स्कूल और कूए आदि बनाये गये ?

**श्री सम्पतराम** : रुपये कितने दिये गये ये सूची में दिया गया है ।

**श्री शिवपतसिंह** : रुपये कितने दिये गये, यह आपने लिख दिया है । लेकिन मैंने पूछा है कि कितने स्कूल, कुए, डिग्गियां बनाये गए हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने बनाये गये ?

**श्री सम्पतराम** : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ?

**श्री गिरधारीलाल** : इनका कहने का मतलब यह है कि जो रुपया आपने दिया वह किस कार्य में लगा । काम हुआ या नहीं और हुआ तो क्या क्या काम हुआ ? आया वह रुपया किसी की जेब में तो नहीं गया ।

**श्री सम्पतराम** : मैंने सूची आपको दे दी है, आप देख सकते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : इन्होंने उत्तर दिया है कि इतने रुपये खर्च किये गये हैं ?

**श्री शिवपतसिंह** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने काम हुए; कुए, डिग्गियां व स्कूल भवन बनाये गए हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आप और जांच कर लें । नेक्स्ट ।

## कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा ठिकाना शाहपुरा की रकम का भुगतान

**८५८. श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ठिकाना शाहपुरा, जिला जयपुर, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से कब मुक्त हुआ ?

(ख) कोर्ट से मुक्त होने के दिन ठिकाने की कितनी रकम कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जमा थी ?

(ग) उक्त रकम अधिकारी ठाकुर को दी गई या नहीं ? यदि दी गई, तो कब ?

(घ) क्या यह सही है कि कोर्ट से मुक्त होने के बावजूद भी इस रकम को देने में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की ओर से काफी देरी की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स की ओर से इस ठिकाने की जमा शुदा रकम में से कुछ रकम किन्हीं व्यक्तियों को कर्ज पर दी गई थी ? यदि हां, तो किन किन को कितनी और किन तारीखों में व किसके हुक्म से ?

(च) ठिकाने के कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त होने पर इस रकम की लाएबिलिटी किसके जिम्मे रही और यह रकम वसूल हुई या नहीं ?

# Page No.25



**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) ता० १४. ३. ५४ को।

(ख) खजाने में नकद ५२५४) ।

नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स व नेशनल प्लॉन लोन सर्टिफिकेट्स २१,०००); कुल २६२५४)

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सम्बन्ध में श्री बद्रीप्रसाद का प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि उनका ठिकाने की तरफ कुछ द्रव्य है और उसे ठिकाने की जमा शुदा रकम में से दिलाई जावे। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन होने से रकम ठाकुर को नहीं दी गई।

(ङ) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सुपरिन्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ वार्ड्स की आज्ञा से।

(च, ठिकाने के जिम्मे विवरण के लिये उपर्युक्त प्रश्न में अंकित सूची देखिये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपको नोटिस ऑफिस से लेनी चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं जाकर आया हूं। सूची नोटिस ऑफिस से मुझे नहीं मिली।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (अश्रव्य)

**श्री भैरोंसिंह** : हमेशा सोरी से काम नहीं चलता। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आयन्दा पर रखा जावे। मैं सूची देख कर सप्लीमेन्ट्री करूंगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सूची आपके पास आ गई है। आप उसको देख लें।

**श्री भैरोंसिंह** : सूची मेरे पास नहीं आई है।

**श्री अध्यक्ष** : अगले टर्न पर रखते हैं।

**प्रश्न संख्या ८५६**

श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट: श्री किशनाराम।

## तहसीलदार सुजानगढ़

८६०. **श्री किशनाराम** ( रतनगढ़ ) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या श्री हीरालाल कौशिक, तहसीलदार, सुजानगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

(२) यदि हां, तो क्या उनकी कोई जांच हुई है ?

(३) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

**उप राजस्व मन्त्री** ( श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां।

(२) जनता सुजानगढ़ की ओर से एक नाम रहित टाइप शुदा पत्र कार्यालय राजस्व मंडल में पेश हुआ है, इसमें अन्य कर्मचारियों के साथ श्री हीरालाल कौशिक, तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत की गई है। जांच कराई जा रही है।

(३) जांच की जा रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : जांच कौनसे अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और कौनसी तारीख से कराई जा रही है ?

**श्री संपतराम** : निश्चित तो याद नहीं है लेकिन कमिश्नर को लिखा गया है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि अभी तक कोई इन्क्वायरी शुरू नहीं हुई है ?

**श्री संपतराम** : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि वास्तव में इन्क्वायरी हुई या नहीं।

**श्री शिवपतसिंह** : जब आपको यह मालूम नहीं कि जांच की जा रही है या नहीं, तो आपने कैसे उत्तर दिया कि जांच को जा रही है ?

**श्री संपतराम** : जांच की कई स्टेजेज़ होती हैं। आॅर्डर जांच के लिए होने चाहिये; बाद में किसके द्वारा होती है, क्लेक्टर करता है या एस. डी. ओ. द्वारा कराई जाती है....

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आपने कहा कि अन्य कर्मचारियों के साथ तहसीलदार के विरुद्ध भी शिकायत एक गुमनाम पत्र द्वारा की गई....

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार की ओर से किसी विशेष अधिकारी को इसकी जांच के लिये नियुक्त किया है ?

**श्री संपतराम** : जी नहीं।

**श्री चन्दनमल वेद** : क्या तहसीलदार का ट्रान्सफर वहां से हो गया है ?

**श्री संपतराम** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

[शेष प्रश्न (प्रश्न संख्या ८६१ से ८६८ तक) प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के कारण सदन की मेज पर रखे गये; कृपया परिशिष्ट ४ देखिये।]

१२.५ म.प.

## उदयपुर (जिला झुंझुनू) की पुलिस के दुर्व्यवहार सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष** : एक स्थगन प्रस्ताव आज श्री रघुवीरसिंह व अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कस्बा उदयपुर, जिला झुंझुनू में दिनांक ६. ३. ५८ को सदैव की भांति निकलने वाले छारंडी के शांत जुलूस को एस. डी. एम. द्वारा रोके जाने व पुलिस द्वारा उदयपुर में किए गए अनुचित लाठी चार्ज के विरोध स्वरूप होने वाली आज तक की हड़ताल पर सरकार द्वारा अपनायी गई उपेक्षापूर्ण नीति के फलस्वरूप सम्पूर्ण जिले की स्थिति बड़ी गंभीर बन गई है, अतः इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर उक्त विषय पर विचार किया जाय।

इस विषय में माननीय गृह मंत्री कुछ समय बाद वक्तव्य देंगे।

## बीकानेर में ऊन के भावों में आकस्मिक गिरावट सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

इसी तरह से श्री गिरधारीलाल द्वारा एक स्थगन-प्रस्ताव कि बीकानेर शहर के एक मात्र उद्योग, ऊन के भावों में अकस्मात भारी गिरावट आने से बीकानेर के हजारों मजदूर भूखों मरने की स्थति तक पहुंच गये हैं, इस विषय पर विचार करने के लिये हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाये; इस विषय में माननीय मंत्री एक बयान देंगे।

१२. ८ म० प०

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है कि ऊन के भाव गिर जाने से वहां के कुछ मजदूरों को नुकसान हुआ। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऊन का व्यापार सरकार के किसी तरह से कन्ट्रोल में नहीं है और इसी तरह से बहुत सी कोमोडिटीज़ हैं जिनके भाव रोज बढ़ते और घटते रहते हैं और भावों के रोजाना घटने-बढ़ने से ऊन का जिसके पास स्टॉक है और भाव घट गया है इसलिये उनको नुकसान हो गया तो इसके लिए तो सरकार के पास कोई चारा नहीं और सरकार इसमें क्या कर सकती है ? इसलिये ऐसी सूरत में हम इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी कर रहे हैं कि क्या विशेष कारण है ? जो कुछ सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वह मैंने बता दी और इन सूरतों में किसी प्रकार की बात इससे अधिक नहीं बताई जा सकती।

**श्री गिरधारीलाल** : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ जानकारी के लिये पूछना चाहते हैं ?

**श्री गिरधारीलाल** : मैंने माननीय अध्यक्ष, यह प्रस्ताव रखा है। ऊन के भाव गिरने से मजदूरों में बेकारी आ गई है और उनकी स्थिति ऐसी है कि भूखों मरें। उन भूखे मजदूरों को, बेकार मजदूरों को सरकार किसी तरह से काम दिलाए। इस आशय का मेरा प्रस्ताव था न कि भावों को गिरने से रोकने के लिये। ऊन के भाव तो न आप रोक सकते हैं-और न भारत सरकार यह तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है और भाव नीचे ऊंचे होते ही रहते हैं लेकिन वहां के मजदूर जो काम करते थे बेकार हो गये हैं, उनकी कमर टूटी है, उनके लिए कुछ प्रबन्ध किया जाये। यही मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ऊन के भाव गिरने से मजदूर बेकार कैसे हो गये ? उन पर इसका क्या असर हुआ ? यह तो हमारे समझ में नही आया कि उन पर क्या असर हुआ।

**श्री गिरधारीलाल** : समझाता हूं। मजदूर लोग सेठों के यहां; जहां ऊन का स्टॉक रहता काम करते और ऊन को साफ करके वहां से बाहर भेजते, किसी प्रकार से ऊन को साफ करके गांठें बनाकर भेजते। इस धन्धे में दो हजार मजदूर काम करते और अब ऊन में मंदी आई तो उसके कारण वहां के मजदूर बेकार हो गये। व्यापारियों ने काम बन्द कर दिया और वे मजदूर बेकार हो गये। अब आप बताइये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप यह कहते हैं कि व्यापारी ऊन का काम करवाते थे उनसे और अब काम करवाना बन्द कर दिया, यह मुझे समझ में नहीं आया कि ऊन का भाव गिर जाने से काम कैसे बन्द हो गया ? भाव आ जायगा तो वे लोग फिर से साफ करवाने का काम शुरू कर देंगे। यदि फिर भी वे मजदूर बेकार हो गये हैं तो उनको चम्बल में काम चल रहा है वहां भेज दीजिये। उनको वहां हम लगा देंगे। राजस्थान केनाल का काम शुरू कर रहे हैं वहां उनको भेज दीजिये, काम पर लगा देंगे।

**डॉ० चंद्रकला** : ऊन साफ करने वाले फावड़े का काम कैसे करेंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : समय समय पर कर सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वे मजदूर उनके स्थायी नौकर की हैसियत से रखे हुए थे। लेकिन अब ऊन के भाव घट जाने से जो वर्षों से स्थायी रूप से रखे हुए थे उनको निकाल दिया गया है जब कि फेक्ट्री कानून के मुताबिक उनको हटाया नहीं जा सकता है। सरकार को चाहिए कि कानून के अन्तर्गत उनको रखवाने का प्रबन्ध करें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : कानूनी कार्यवाही कीजिये, यदि यह फेक्ट्री एक्ट में आता है।

**श्री गिरधारीलाल** : बीकानेर में फेक्ट्री एक्ट लागू है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष** : यह दूसरा प्रश्न है।

**श्री गिरधारीलाल** : यह इसी से सम्बन्धित हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : फेक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आते हैं।

**श्री गिरधारीलाल** : क्या सरकार को...

(घंटी)

**श्री मुरलीधर व्यास** : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव इसीलिए रखा गया कि दो हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और जब कानून के अन्तर्गत आते हैं तो इस प्रकार से मालिकों को उनको हटाने से रोका जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : यह स्थिति पहले ही बता देते कि फेक्ट्री एक्ट से गवर्न होता है या नहीं, लिखा पढ़ी हुई है या नहीं?

**श्री गिरधारीलाल** : बीकानेर में फेक्ट्री एक्ट लागू है!

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह तो मामूली बात थी और उनको बता देना था।

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य।

**श्री होतीलाल** : मेरे मोशन के लिए कोई निर्णय नहीं दिया गया गया।

**श्री अध्यक्ष** : जो आपकी शंकायें हैं उनका निवारण किया जायगा।

### राजस्थान सैल्स टेक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

( पुरःस्थापित )

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टेक्ट (सैकन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय अध्यक्ष, पहले इस बात को स्पष्ट किया जाय कि इसमें गवर्नर की सैंक्शन ले ली गई है या नहीं, इस बात को स्पष्ट किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : This motion will be taken later on.

१२. १२ म० प०

### श्री पालीवाल के आचरण सम्बन्धी एक समिति का निर्माण किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री होतीलाल ने एक पत्र भेजा है जो इस प्रकार है :

"Sir, I beg to give the notice for the following motion to be moved by me in the House :—

( श्री अध्यक्ष )

1. That the Committee of five members of the House be appointed by the Speaker:

(a) to investigate into the conduct of Shri Tikaram Paliwal, an Hon. Member of Rajasthan Legislative Assembly regarding acceptance by him of fees to promote the cause of his client on the floor of the House during the general discussion of the Budget which establishes prima facie the following facts with regard to his conduct as member of this House:

(i) Shri Tika Ram Paliwal obtained fees from M/s. Satyendra Nath Nrapendra Nath in his capacity as a lawyer to advocate his cause in the Legislative Assembly of the State and thereby promote the cause of his clients,

(ii) That Shri Tika Ram Paliwal delivered a speech in the House on 13. 3. 58 in which he strongly advocated the cause of M/s. Satyendra Nath Nrapendra Nath in the matter of payment of compensation in lieu of land acquired by Rajasthan Government and thereby attempted to influence the Government in favour of his clients M/s. Satyendra Nath Nrapendra Nath for which the Hon. Member has charged fees.

(b) That the acceptance of fees by an Hon. Member of this House to promote and advocate any cause in the House is a high crime and misdemeanour and is a breach of privilege. A member is constitutionally incapable of advocating the cause of his client in the House. Such a conduct renders him guilty of breach of privilege.

2. That the quorum of the Committee shall be three.

3. (a) That the Committee shall have power to hear and/or to receive evidence, oral or documentary, connected with the matters referred to the committee or relevant to the subject matter of the enquiry and that it shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential; and.

(b) that the Committee shall have the power to hear and to receive evidence, oral or documentary, in Jaipur or any other place as the Speaker may decide.

4. That Shri Tika Ram Paliwal has leave to be heard before the Committee by himself or by counsel, if he thinks fit, and the Committee may hear counsel to such extent as they think fit on behalf of any other person.

5. That the Hon'ble Speaker may, from time to time, issue such directions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedure and organisation for the work of the Committee.

Yours faithfully,
Hotilal."

( श्री अध्यक्ष )

इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय या नहीं इस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री श्रीमानसिंह** : I rise on a point of order, Sir, I would like the Hon. Chair or the Hon. Member to inform the House under what rule this montion is being moved and taken today ?

**श्री अध्यक्ष** : I don't think we have a general debate on this, unless we decide the admissibility of it.

**श्री श्रीमानसिंह** : But before the Hon. Member moves his motion or the admissibility is discussed, I want to know under what rule is hhe moving the motion today ?

**श्री अध्यक्ष** : He is not moving it today. He has sent a notice for moving this motion which is being considered and not whether permission to him to move the motion be given or not.

**श्री श्रीमानसिंह** ; Exactly, Sir, I want to know under what Section is the House considering this motion under the Rules of Procedure ?

**श्री अध्यक्ष** : It is not considering the motion. I am just informing the House of an incident because the Hon. Member was keen to know about it.

**श्री श्रीमानसिंह** : But under some rule the House must discuss the admissibility of the motion. So I would like to know under what rule of the Rules of procedure is the House discussing the admissibility of the motion ?

**श्री अध्यक्ष** : We are not discussing the motion or its admissibility. It is being considered by me. The stage has not come when it will be before the House for discussion of admissibility or any such thing.

( श्री होतीलाल के बोलने के लिए खड़े होने पर )

**श्री श्रीमानसिंह** : Then how the Hon. Member is standing up to speak.

**श्री अध्यक्ष** : No there is no debate on this. I merely informed the House of an incident to which I am giving due thought.

**श्री श्रीमानसिंह** : The Chair is giving due thought ?

१२.१६ म० प०

**राजस्थान सेल्स टैक्स ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, १९५८ ( पूर्व क्रम से )**

**श्री अध्यक्ष** : Yes, रिकमन्डेशन ऑफ गवर्नर आ गई हैं।

( विराम )

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२.१७ म० प०

**मांग संख्या १५-शिक्षा ( पूर्व क्रम से )**

**श्री अध्यक्ष** : अब शिक्षा विभाग की मांग पर जो कल बहस हुई थी उसका उत्तर माननीय सदन के नेता देंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : होम मिनिस्टर साहब की ओर से स्टेटमेंट आने वाला था उसका क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : इसके बाद। वे कुछ इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। घंटे भर बाद में दे देंगे।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, के खड़े होने पर राज्यपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि )

**एक माननीय सदस्य** : यह करतल-ध्वनि कैसी !

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग पर सदन के सदस्यों ने काफी रुचि ली है। स्पष्ट है कि जितना समय इस मांग पर लगा और उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं कि इस विषय पर काफी वाद-विवाद भी हुआ और कई विचार इस सदन के समक्ष भी आये। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में उनकी क्या आवश्यकतायें हैं, हाई स्कूलें कहां खुलनी चाहिए, क्या क्या सबजेक्ट्स खुलने चाहिए, कहां कॉलेज होने चाहिए, वगैरह बातों पर जोर दिया। उनके एक एक के जवाब में पड़ने का, मैं समझता हूँ, यह अवसर नहीं है क्योंकि, जैसा कि बजट से भी ज्ञात होगा, इन चीजों के बारे में हमने रकम रखी है, लेकिन अलग अलग स्थानों से इन्स्पेक्टर्स डिप्टी डाइरेक्टर्स, सबसे जानकारी प्राप्त की गई है और सारी जानकारी जब उपलब्ध हो जायगी तो जितनी धन-राशि रखी गई है उसमें अधिक से अधिक जो किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं एक एक जगह के बारे में उत्तर दूं, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर यह मुश्किल होगा।

दूसरा यहां पर जो वाद-विवाद हुआ उसमें एक प्रश्न कइयों की तरफ से उठाया गया है वह है सरकार द्वारा एक अध्यापक की स्कूल शुरू करने की पद्धति जो है वह ठीक नहीं है, वह नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए निवेदन कर देना चाहता हूं सिंगल टीचर की स्कूल स्टार्ट करने की योजना भारत सरकार द्वारा अन एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के सिलसिले में कुछ अर्से पहले लागू की गई थी इसके अनुसार न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों मे भी इस बारे में कार्यवाही की गई है। इसके साथ साथ यह कहना भी उचित होगा कि सरकार की ओर से जो ये स्कूलें खोली जाती हैं उनमें यह मुगालता न हो कि एक ही अध्यापक को एक बार भेजा जाता है या इस स्कूल में हमेशा के लिये एक ही अध्यापक रहेगा। यह बात नहीं पहले साल जब स्कूल चालू की जाती है उसमें एक अध्यापक देते हैं और उसके बाद में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की वृद्धि की जाती है। हमारे इस बजट में एडीश्नल टीचर्स के लिये जो मांग रखी गई इसी का एक कारण है कि जहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो, वहां पर अध्यापक बढ़ाये जांय। सिंगल टीचर की स्कूल न खोली जाय यह सिद्धान्तः और कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है लेकिन हमारी आवश्यकता को देखते हुए यह उचित व्यवस्था भी है।

# Page No.32



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बोलते हुए कई वाद–विवाद भी खड़े हुए, कहीं पर अध्यापकों की कमी आदि का उल्लेख किया गया। इसके साथ साथ यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि जितना ध्यान शिक्षा के विस्तार की ओर देना चाहिये, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया उसमें एक सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि जिस तेजी के साथ हमें शिक्षा का विस्तार करना पड़ रहा है उससे भी कुछ दिक्कतें और खामियां आती हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सदन के अन्दर भी वाद-विवाद हुआ और यह कहा गया कि इन खामियों को दूर किया जाना चाहिये। एक तरफ कुछ सदस्य यह भी कहते हैं कि कॉलेजों में खर्च करने की आवश्यकता नहीं, प्राइमरी स्कूलों में ही खर्च होना चाहिए। यह सिद्धान्ततः ठीक है कि हम अधिक से अधिक प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करें। लेकिन उसके साथ-साथ सदन में जो बहस हुई उससे स्पष्ट मालूम हो सकता है हर कोन्स्टीट्युएन्सी और हरएक जिले में अलग-अलग तौर से कहीं पर हाई स्कूल, कहीं मिडिल स्कूल और कहीं इन्टर कॉलेज और जहां इन्टर कॉलेज हैं वहां डिग्री कॉलेज और जहां डिग्री कॉलेज है वहां पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें खोलने की मांग आई है। इस तरह से आज शिक्षा-विभाग से चारों तरफ से यह आकांक्षा अनुभव की जाती है कि उनके यहां इस-इस प्रकार का प्रबन्ध हो। इससे एक बात स्पष्ट प्रगट होती है कि राजस्थान भर में इस शिक्षा के प्रति कितना उत्साह लोगों के अन्दर है, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद होना स्वाभाविक है। लोग बाग हजारों रुपया भवन बनाने के लिये और कई-कई जगह पर तो लाखों रुपया खर्च करके इमारतें बनवाते हैं, उसके लिए चन्दा इकट्ठा करते हैं ताकि उनके यहां स्कूलें खोल दी जावें। इस तरह से लोगों के उत्साह को देख कर शिक्षा विभाग के सामने पेचीदगी भरी स्थिति होती है अगर हम यह चाहें कि जितने भी स्कूल खुलें उनमें फर्नीचर लाइब्रेरी आदि की किसी प्रकार की कमी न हो और यह सत्य भी है कि जिस प्रकार के फर्नीचर और लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए वह कमी है, यह सत्य है और हम भी इसको मानते हैं। लेकिन हम लोगों को परेशानी अनुभव करनी पड़ती है, एक तरफ तो गांव के लोग पांच दस हजार रुपया खर्च करते हैं इसलिए कि वहां पर प्राइमरी या मिडिल स्कूल बना दी जाय या शिक्षकों का इन्तजाम कर दिया जाय ताकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ सकें। जब इन चीजों की तरफ ध्यान शिक्षा-विभाग देता है तो इसकी वजह से कुछ खामियां जरूर रह जाती हैं, पूरी तौर से उन स्कूलों को सुसज्जित हम कर नहीं पाते। अगर सदन यह तय कर देता है कि हमें ज्यादा स्कूलों का विस्तार न करके जो मिडिल और हाई स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूलें हैं उनको एक दो वर्ष में पूर्णतया सुसज्जित कर दें तो आसानी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं इस बात को अगर हम करने जायेंगे तो सदन के अधिकांश सदस्य इसको पसन्द नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग कोन्स्टीट्यूएन्सी के लिए जिस-जिस चीज की आवश्यकता होती है उस दृष्टिकोण से यह विचार रखे गये। जैसे धौलपुर में डिग्री कॉलेज के खोलने की बात कही गई तो दूसरी ओर जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने प्राइमरी स्कूल खोलने पर जोर दिया। इससे यह प्रतीत होता है जहां एक तरफ; एक प्रकार

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

की शिक्षा की सुविधा है तो दूसरी ओर दूसरी प्रकार की शिक्षा की सुविधा । तो हमें कुल मिला कर इन सारी चीजों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है और अधिक से अधिक व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है, यह परेशानी की बात होती है । एक तरफ यह कहा जाय कि कम्पलसरी एज्युकेशन लागू कर देना चाहिए । तो मैं निवेदन करूंगा जितना हम कर रहे हैं उसमें भी हमारे सामने मुश्किलें हैं । अगर हम कम्पलसरी एज्युकेशन को लागू करने जांय तो जहां हमें एक तरफ आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वहां दूसरी ओर इसके साथ बहुत से अभाव और बढ़ जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कम काम किया जाय तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है और किसी काम को ज्यादा फैला दिया जाता है तो उसमें कमियां होना स्वाभाविक है वे खामियां हमें इस शिक्षा के विस्तार में आ रही हैं इससे हम इन्कार नहीं करना चाहते । जितना अधिक से अधिक ठीक प्रबन्ध किया जा सकता है, हम करने में प्रयत्नशील हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य जो हनुमानगढ़ से आते हैं उनका कहना है कि हम देहातों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं । मैं समझता हूं दो-तीन वर्ष या इससे भी पहले के आंकड़े उठा कर देखें और सारी चीजों को गहराई के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि हमें देहातों में प्राइमरी और मिडिल, और जहां-जहां आवश्यकता हुई वहां हाई स्कूल तक खोले हैं । आज राजस्थान में जितनी मांग है, जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं और मांगों को पूरी करने में हमारे सामने दिक्कतें हैं । इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में जहां तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है हम ने एक आधार निश्चित करने का सोचा है । जहां हम ६०० या १००० स्कूलें खोलते हैं तो उनमें से तीन सौ या पांच सौ स्कूलों को इस आधार पर अलग अलग जिलों में बांट दें । उसके बाद आधी स्कूलों को इस आधार पर बांट दें कि जिन जिलों के अन्दर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं वहां की स्कूलों की तादाद को बढ़ा दें । इस प्रकार यदि हम चलें तो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक रूप से शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं । प्राथमिक शिक्षा का जहां तक ताल्लुक है वहां पर किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का भेद-भाव होता हो यह कहना गलत है और न इसके लिये आर्थिक दृष्टिकोण से ही विचार किया जाता है । इस बारे में जहां से भी लोगों की तरफ से मांग होती है, हो सकता है कहीं की जनता का कम ज्यादा सहयोग हो सकता है लेकिन जहां तक शिक्षित होने की भावना है उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं हो, इस दृष्टि से काम करने का प्रयत्न शिक्षा विभाग करता है । समय-समय पर जो क्षेत्र विशेष को लेकर वाद-विवाद खड़े होते हैं, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने किसी क्षेत्र विशेष की ओर इस नीति विशेष को कार्यान्वित करने में भेद किया हो यह कहना गलत है । मैं आपके सामने सन् ५७-५८ के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा कि कितनी स्कूलें खुली हैं, जिससे आपको अन्दाज हो जायगा कि किस क्षेत्र विशेष में कितनी-कितनी स्कूलें खुली हैं । प्राइमरी स्कूलस के आंकडे इस प्रकार हैं :—

अलवर में २१

भरतपुर में ३०

चूरू में १५ इसमें भी अलग-अलग जगहों की आबादी में अन्तर है ।

बांसवाड़ा में १३

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

डूंगरपुर में ६.
सीकर में १८.
बीकानेर में १०.
जयपुर में ५३.
भीलवाड़ा में ३०.
सवाई माधोपुर १६.
जैसलमेर १४.
उदयपुर ३१.
सिरोही १५.
बाड़मेर ३६.
नागौर ५०.
झूंझनू.
टोंक १२.
पाली १८.
गंगानगर १८.
कोटा २१.
चित्तौड़ ३१.
जोधपुर ४८.
बांसवाड़ा ११.
बून्दी २.

यह जो फिगर्स सदन के सामने रखे गये हैं उनसे स्पष्ट मालूम हो जायगा कि जो ये स्कूलें चल रही हैं-वे इस हिसाब से हैं कि पचास प्रतिशत तो आबादी के लिहाज से और पचास प्रतिशत ऐसी जगह हैं जहां स्कूलों की तादाद बढ़ाने का प्रयत्न किया है। सांचोर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा जालौर जिले की तरफ इस संबन्ध में विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया जाता है। पर इससे एक अन्दाजा होगा कि वहां की प्राइमरी शिक्षा भी डेवलप नहीं थी जिससे कि हाईस्कूल डेवलप हो पाये। क्योंकि वहां की आबादी चार-पांच लाख होगी और उस पांच लाख की आबादी पर ३१ प्राइमरी स्कूल्स जालौर में खोले गए जब कि उदयपुर में जिसके बारे में यहां वाद-विवाद होता है और जिसकी आबादी १३ लाख है वहां सिर्फ ३६ खुले हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर के बारे में, जिसका सिलसिला बहुत आता है, वहां पर ६ खुले हैं इसलिए कि वहां पर पहले से ही इनकी तादाद ज्यादा थी और जो संख्या ज्यादा थी उसको दूसरों के स्तर पर लाने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए ही यह सारी बात-चीत की गई। तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि इन्हीं चीजों पर हर एक बार अपनी बहस को इसी आधार पर ढालने का प्रयत्न करना उससे मैं यह अधिक अच्छा समझता हूं कि एक बार प्रयत्न कर लें। लेकिन बार-बार वह तथ्यों से परे बात करते हैं।

फिर अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो कुछ हमारी आर्थिक स्थिति है और जो दिक्कतें हैं उनको देखते हुए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो प्रमुख राज्य हैं उन राज्यों के ५७–५८ के इस मद में आंकड़ों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि हमने विभिन्न सालों में राजस्थान में शिक्षा पर कितना बजट रखा है। राजस्थान में हमने सन् ५४–५५ में शिक्षा का बजट; सारे बजट में से १५.५ पर्सेन्ट रखा था। वह ५५–५६ में १६.२ पर्सेन्ट हुआ, ५६–५७ में १८.४ पर्सेंट हुआ, ५७–५८ में १८.६ पर्सेन्ट हुआ और इस ५८–५९ में यह १९.८ पर्सेन्ट हो गया। यह आंकड़े मैं सदन के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं सदन को बता सकूं कि टोटल बजट का कितना पर्सेंट बजट शिक्षा पर है और वह निरन्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है.......

# Page No.35



**श्री बृजमोहनलाल शर्मा** (ब्यावर) : अबकी से अजमेर की वजह से ज्यादा बढ़ गया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : नहीं, अजमेर की वजह से बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो मैंने निवेदन किया इससे मालूम होता है कि निरन्तर इस ओर बजट के आंकड़ों में वृद्धि हुई है और शिक्षा के लिए अधिक पैसा रखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेडीकल कॉलेज है वह शिक्षा के बजट के बाहर है। आखिर वह भी शिक्षा है। पहले हम बजट में सारी चीजों को एक ही मद में लेते थे। इनमें जो आज लाखों रुपया खर्च होता है वह बजट के बाहर है। जिस प्रकार इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट है वह भी अपने कुछ ट्रेनिंग सेन्टर्स शुरु करता है, इसी तरह से लेबर डिपार्टमेन्ट भी अपने सर्टेन ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलता है, इस तरह से इन सारी चीजों को जोड़ें तो २ पर्सेंट के करीब आंकड़े और आगे जा सकते हैं। मगर यह सब चीजें अलग हैं। हालांकि यह भी शिक्षा का ही अंग है। तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए हम निरन्तर इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न राजस्थान में स्कूलों के विस्तार के लिए किया जा सकता हो करें।

एक प्रश्न कई बार इस सदन में आता है कि शिक्षित बेकारों की संख्या बहुत बढ़ रही है और इसके लिए राजस्थान में क्या हो रहा है ? यह सत्य है कि हमारे पास सही आंकड़े कि कितने शिक्षित बेकार हैं, नहीं हैं यह मुश्किल बात है लेकिन कुछ चीजें जिनसे ट्रेंड मालूम हो सकता है, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर हमने अभी एल० डी० सी० के लिए पी० एस० सी० के द्वारा एडवर्टाइज़मेंट करवाया कि हमें दो सौ चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन्स मांगी गईं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि उन २०० स्थान के लिए दर्ख्वास्तें कुल ३०० आईं। जहां हम सोचते थे कि हजारों आयेंगी....

**श्री भैरोंसिंह** : एडवर्टाइज़मेन्ट किस प्रकार से हुआ ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सारे पत्रों में हुआ।

**श्री भैरोंसिंह** : वह एडवर्टाइज़मेन्ट कब निकाला और एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने की कौन सी तारीख थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इस समय मेरे पास नहीं है कि किस तारीख को एडवर्टाइज़मेन्ट हुआ...

**श्री भैरोंसिंह** : इसी में कमी-बेशी है जिससे दरख्वास्तें कम आईं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं कहता हूं कि इसमें कोई उत्साह की बात है। हम तथ्यों में जाने का प्रयत्न करें। इसके अन्दर इन्कारी की बात नहीं है। अच्छा लीजिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। कई हमारे स्कूलों के अन्दर जहां मैट्रिकुलेट्स टीचर्स चाहिए थे नहीं मिले और आज के दिन भी बहुत सी जगह जहां हमें मैट्रिकुलेट्स अध्यापक भेजने चाहिएं थे वहां हमने उससे भी लोअर क्वालीफिकेशन्स के अपॉइन्ट कर के भेजे हैं....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं भेज दिया करूंगा, जितने भी मैट्रीकुलेटस चाहिएं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बड़े शहरों के लिए तो बहुत से मिल जायेंगे। जिनके लिए हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉएड हैं, कोई काम नहीं है। उनकी तो परीक्षा तब होगी जब कि वे बाहर जाने के लिए तैयार हों, जो जालौर जाने के लिए तैयार हों, सिरोही जाने के लिए तैयार हों। अगर जालौर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इसका मतलब ग्राल्टर्नेटिव एम्प्लॉयमेंट उनके लिए कोई न कोई है। यह तथ्य की बात हमारे सामने है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़कर निवेदन करूं कि हमने लेक्चरार्स के लिए मांग निकालीं और जिसका पी० एस० सी० ने एडवर्टाइज़मेंट किया और इसके लिए ४०० ही दरख्वास्तें आईं जो कि सारे हिन्दुस्तान भर से थीं। अब यह ४०० कोई राजस्थान के तो थे ही नहीं। इसमें राजस्थान के कितने हैं यह जानकारी तो इस समय मेरे पास नहीं है। इससे तो मेरा निवेदन करना केवल इतना था कि राजस्थान के अन्दर मैं यह दावा नहीं करता कि कोई व्यक्ति शिक्षित बेकार न हो, हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे यहां एक्सटेन्शन वर्क्स हो रहे हैं, उससे काम मिलता है।

अब हमारे यहां जैसा कि एक माननीय सदस्या ने कहा था कि हमें स्कूल्स, कॉलेजेज़ और दूसरी चीजों पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि यहां परिस्थितियां क्या हो रही हैं। जितने प्राइमरी स्कूल्स बढ़ते हैं उनकी तीन चार साल में यह स्टेज़ आती है, मिडिल स्कूल की मांग आती है और वह बढ़ाने पड़ते हैं। इसके बाद में हाई स्कूल की मांग बढ़ती है और उसके बाद में कॉलेज की मांग आती है। तो यह सब चीजें एक साथ में जुड़ती हैं। टेक्निकल एज्युकेशन के विषय में अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा नहीं हुई लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राजस्थान के अन्दर आज दो इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं। पहले राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जहां एक कॉलेज में सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्लॉसेज़ चलती थीं, पिलानी इन्जीनियरिंग कॉलेज़ में वहां सिविल इन्जीनियरिंग की क्लासेज़ भी शुरू कर दी हैं। जोधपुर के अन्दर अगले वर्ष में केवल सिविल इन्जीनियरिंग की क्लॉसेज़ थीं और अब वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी शुरू हो गई हैं और अब पोलीटेक्निक को अलग करके वहां पर स्टूडेन्ट्स की तादाद बढ़ गई है। तो जहां प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता है वहां टेक्निकल एजुकेशन की भी आवश्यकता हो जाती है। इसके साथ ही एक नए मेडिकल कॉलेज को खोलने के बारे में निर्णय लिया गया जो कमेटी ने निर्णय लिया उसके अनुसार। तो हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि सेकन्ड फॉइव ईयर प्लॉन में तो नहीं थर्ड फाइव ईयर प्लॉन की बात कहता हूँ क्योंकि जो कॉलेज खुलेंगे वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं तीसरी योजना में जाकर लाभप्रद होंगे। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमने हर एक प्रकार से जितना अधिक से अधिक हो सका करने का प्रयत्न किया है।

बेसिक एज्युकेशन के सम्बंध में यहां पर काफी चर्चा हुई और यह कहा गया कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब बेसिक एज्युकेशन मंहगी है तो उसको लागू करके और उस पर चलने की क्या आवश्यकता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मद्रास ने एक एक्सपेरीमेंट किया है कि इसकी प्रोडक्टिव युटिलिटी होनी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी के प्वॉइन्ट ऑफ व्यू (Point of view)

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

से बेसिक एजूकेशन के बारे में क्या किया जा रहा है, फिर यह कहा गया कि बेसिक एज्युकेशन को जो सुपरवाइज़ करते हैं वे बेसिक एज्युकेशन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और न बेसिक एज्युकेशन की तरफ ध्यान दिया जारहा है। यह सही है कि बेसिक एज्युकेशन एक बहुत ही मुद्दे की बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। उस पर जितना विचार करें वह स्वागत योग्य है और इसके संबंध में देश भर के अन्दर चर्चा चली है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूं कि मद्रास में जो कुछ तय किया है, मैं समझता हूँ कि केवल वही एक राज्य है जिसने कि अपने वहां पर इसको लागू किया है और मैं उसे एक एक्सपेरिमेन्टल स्टेज़ की बात मानता हूं कि प्रोडक्टिविटी के आधार पर बेसिक स्कूल को कितना चलाया जाय। बड़े शिक्षा शास्त्री, यहां तक कि मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेन्स हुई जिसमें कि विनोबाजी भी शरीक थे वहां इसकी चर्चा हुई कि इसका प्रोडक्टिव आसपेक्ट था और उसको गान्धीजी ने लागू किया था। उस आसपेक्ट को मैन आसपेक्ट्स नहीं कहा जाता है। आज एक तरफ तो पांचवी क्लास तक के बेसिक एज्युकेशन के स्कूल्स होंगें उनसे हम उम्मीद करें कि उनकी तैयार की हुई चीजें मार्केटेबल होंगी बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि यह बात मूल से ही गलत होगी। दूसरा मेरा ख्याल है कि यदि यह तय करते हैं कि बेसिक स्कूल को प्रोडक्शन करके देना होगा तो शायद कई लोग जो शुरू शुरू में कहा करते थे कि बेसिक स्कूल एक प्रकार से कारखानों की तरह से बन जावेंगे और दूसरी शिक्षा पर से ध्यान हट जायगा उसके सामने से। दोनों का सामंजस्य किया जा सकता है और सामंजस्य इस रूप में कि हाथ से काम करने की वजह से एक व्यक्ति का विकास होता है। उसकी वजह से जो भावनाएं पैदा होती हैं इन्डाइरेक्टली और उससे एज्युकेशन दी जा सकती है, उसको रखा है।

उसके साथ साथ शिक्षा के दूसरे अंगों को पूरी तरह से हम लागू करना चाहते हैं तो उसका भी प्रयत्न किया है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अन्दर, शायद माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है, हमने विशेष तौर से डिप्टी डाइरेक्टर की स्टेट्स के व्यक्ति को बेसिक एज्युकेशन के लिए खास तौर से नियुक्त किया है जो कि इस मामले के काफी जानकार हैं और वे सारी की सारी चीजों को देखते हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, उनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज जितने एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वे सब के सब बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में बदल दिये गये हैं और जितने ज्यादा अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय वह ठीक है। इस चीज की प्रथम आवश्यकता है इस बात के लिए कि वे बेसिक एज्युकेश को आगे चला सकें। उन सब स्कूलों को बेसिक एज्युकेशन ट्रेनिंग स्कूल में तबदील किया गया है और वहां से अध्यापक निकल कर आते हैं और क्योंकि बेसिक स्कूलों को बदलने के अन्दर अधिक खर्चा होता है, इसलिए हर साल तीन सौ से पांच सौ स्कूलों को बदलते हैं जब मुकाबले इसके कि जो स्कूल खोलने पड़ते हैं वे ज्यादा खोलने पड़ते हैं वे लेकिन उनको बदला जा रहा है। उस बदलने के अन्दर कमी है सामान की, और चीजों की, तो उन कमियों को दूर करना चाहते हैं और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, कुछ जगह जब कि हम शुरू कर सकें, अव्वल में बेसिक ट्रेनिंग

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

के सारे सामान के साथ, तो वहां पर बेसिक बायस तरीके से अध्यापकों को रखकर उन स्कूलों के अन्दर पहले शुरुआत की जा सकती है। इस पर एक माननीय सदस्या को एतराज था। तो उसको बेसिक बायस के तौर पर स्कूल चलाने के लिए कहा होगा, और उसके बाद फॉलो करता है वह फुल फलेज्ड बेसिक स्कूल क्राफ्ट वाला........

डॉ० चन्द्रकला : स्कूल में कोई सूचना नहीं पहुँची है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सूचना पहुँचा दी गई है, ऐसी मुझे जानकारी दी गई है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बेसिक एज्युकेशन पर राजस्थान सरकार ध्यान नहीं दे रही है या इसकी तरफ से बेफिक्र हैं हम, ऐसी बात नहीं है। हमने इसको नीति की तरह से स्वीकार किया है और उसका मैंने आपके सामने आधार प्रस्तुत किया है।

फिर, अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में बहस के दौरान में यह कहा गया है कि जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के अन्दर उसी नेशनलाइज़ेशन वाली बात पर काफी चर्चा हुई है कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसकी वजह से कई दिक्कतें पैदा हुई हैं। मैंने इस सदन के अन्दर पहले भी कहा है कि किताबें मिलने के अन्दर देरी हुई है। हम चाहते थे कि देरी नहीं हो। देरी होने को इस सदन में समय–समय पर स्वीकार किया है और जो कारण थे उन कारणों की तरफ मैंने इस सदन का ध्यान दिलाया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीयकरण के सदस्य मौसम-मौसम वाली बातों को लेकर चर्चा किया करते हैं। सारी बात के लिए कागजों का नहीं मिलना यह प्रमुख बात बतलाई गई, उस बात को गौण करके कई माननीय सदस्य कहें तो मुझे क्षमा करें कि आज सारी बातों के ऊपर जवाब दिया है उसका कितना महत्व समझा जाता है और कितना नहीं, वह विचाराधीन सी बात हो जाती है। जहां कई फेक्टर्स गिनाये जाते हैं, यह कारण बताया कि जहां छपाई हो रही थी वहां प्रथम बारिश होने से समय लगा। यह नहीं कहा कि ६, ८ महीने इसमें बीत गये, बल्कि हमने कहा था कि प्रिन्टिंग की स्याही नहीं मिली। फिर जो पेपर हम चाहते थे उसके लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने फॉरेन एक्सचेन्ज़ की वजह से बन्द कर दिया। इस वजह से दिक्कतें पैदा हुई और बहुत सी बातें कही गई तो मैं समझता हूँ कि उस बैक ग्राउंड में इस बात को ले जाते तो इस प्रकार की कल्पना करने का प्रश्न इसमें नहीं आना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने, एक नहीं, दो नहीं, तीन ने कहा कि आज के दिन जयपुर के अन्दर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती हैं, इसकी उन्होंने पूरी जानकारी कर ली है। वह इस हद तक ठीक है कि जहां तक पुस्तक विक्रेताओं का, बुकसेलर्स का सवाल है उनके वहां पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को मालूम न हो लेकिन विद्यार्थी और अध्यापक इस बात को जानते हैं कि कुछ अर्से पहले जब कि किताबों की शिकायतें हमारे पास में ज्यादा आई तो यह व्यवस्था की कि किताबें जहां तक हो सके वहां तक हैड मास्टर, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के यहां से देना शुरू करें बमुकाबले इसके कि विक्रेताओं को दे दें। उनकी सूचनार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल जब बहस की जा रही थी, उस समय भी जहां तक इन्पेक्टर ऑफ स्कूल्स

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

का सवाल है जिसके बारे में हर एक हैड मास्टर को सूचना दी गई है कि किताबों की आवश्यकता हो तो यहां से ली जा सकती है, उनके पास हैं। उनके पास में पहली किताब, २६१६ उपलब्ध की जा सकती हैं। उसी प्रकार से दूसरी किताब ६२१ तीसरी ६७६ उपलब्ध की जा सकती हैं और चौथी किताब ६२४ उपलब्ध की जा सकती हैं। उसी प्रकार से अरिथमेटिक की ६०२ और ७४५ और जनरल साइन्स की दूसरी क्लास की १५७ हैं। ये किताबें उपलब्ध हैं। दूसरों की तादाद में नहीं गिनाता हूं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** जयपुर के बाहर की क्या हालत है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** यहां जयपुर की बात उठी थी। सब जगह के आंकड़े लेकर नहीं आया हूं। जो बात उठी उसके बारे में जवाब दिया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को धैर्य होना चाहिये। बीकानेर की बात उठाते तो बीकानेर जिले की सूचना दे देता। उनको जनरेलाइज़ नहीं करना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा व्यवधान पर)

मुझे बोलने भी देगें। जिस प्रकार यहां की सूचना का आधार गलत है वहां दूसरी जगह की सूचना भी गलत हो इस सम्बन्ध में।

**श्री भैरोंसिंह :** जयपुर में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास सब तरह की पुस्तकें हैं क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं निवेदन कर रहा था ......

**श्री भैरोंसिंह :** सब तरह की पुस्तकें हैं या नहीं ? राष्ट्रीयकरण हुआ है, वे सारी की सारी पुस्तकें इन्सपेक्टर के पास में उपलब्ध हैं क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं समझता हूं कि सब हैं, जो किताबें चलती हैं। उनकी सारी जानकारी दी है, एकाध किताब को छोड़कर जो कि छपी नहीं है। उनके लिए प्रश्न खड़ा नहीं होता, लेकिन जो किताबें छपी हैं वे सारी की सारी हैं।

**श्री चन्दनमल वेद :** किताबें छपी भी नहीं हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** इसमें कोई विवाद या विनोद की बात नहीं है। इस सदन के समक्ष पहले भी यह बात कही जा चुकी है।

**डॉ चन्द्रकला :** किताबों के नहीं मिलने के कारण जो दूसरी किताबें मिलने लगी हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न केवल यह यहां था कि किताबें आज के दिन उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन्स और सप्लीमेंटरी के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। जो बातें कहीं गई हैं उनके बारे में तथ्य जो हैं, वह इस सदन के समक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर माननीय सदस्या को कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो कई तरीके हैं जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसमें ज्यादा धैर्य खोने जैसी बात नहीं है।

फिर अध्यक्ष महोदय, यहां पर बार बार राजस्थान कॉलेज के सम्बन्ध में चर्चाएं उठती हैं और यह प्रश्न आता है कि राजस्थान कॉलेज को शुरू करने की क्या आवश्यकता है ? सरकार उस पर क्यों फिजूल खर्च करती है ? इस खर्च की आवश्यकता क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल शिक्षा के खर्च पर काफी

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

भार है और राजस्थान कॉलेज का कोई हम उपयोग नहीं समझते हैं, गम्भीरता से विचार करके यह सदन समझता है कि यह बेकार की वस्तु है, इसकी आवश्यकता नहीं है तो मुझे इसे बन्द करने में कोई एतराज नहीं होगा एक सेकिण्ड के लिये भी। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप गम्भीरतापूर्वक सोचें। यह कोई एरिस्ट्रोक्रेटिक लोगों के लिए कॉलेज नहीं है। जो लोग सेकिन्ड और फर्स्ट डिविजन में आते हैं उनको विशेष शिक्षा देने के लिए यह खोला गया है। जिन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको स्टिपेन्ड देते हैं और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सरकार खर्चा देकर पढ़ाती है। इसका मुख्य हेतु यह रहा है कि जो इस प्रकार के विद्यार्थी हैं उन पर अधिक से अधिक ट्यूटोरियल आदि के जरिये ध्यान देकर शिक्षित किया जाय। क्योंकि आइ० ए० एस० वगैरा का कम्पीटिशन होता है तब यहां के विद्यार्थी उसमें बैठने के लिये राजस्थान के विद्यार्थियों के सामने कई बातें आती हैं। एक जमाना आयगा जब आल इण्डिया सर्विसेज़ की काफी आवश्यकता होगी। यदि हमने राजस्थान के विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षा दी तो यह राजस्थान के हित में सिद्ध होगी। कुल मिलाकर इससे राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, इस दृष्टि से किया गया है। इसके पीछे यह भावना नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को बढ़ाना है या खर्च करने का शौक हो गया है या दिल में खर्च करने की इच्छा हुई है। ये बातें आज की दृष्टि से और आगे की दृष्टि से अच्छी तरह से सोच विचार करके की गई हैं कि आगे चल कर हम कुछ कर सकें।

फिर अध्यक्ष महोदय, यहां पर वेतन वृद्धि के संबंध में भी प्रश्न उठा। मैं समझता हूं, यदि हम शिक्षकों का वेतन बढ़ा सकें तो मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस सदन में नहीं होगा जिसको खुशी नहीं होगी। लेकिन आज आर्थिक दिक्कत हमारे सामने है और हम इस हद तक पहुँचने के लिये मुश्किल अनुभव करते हैं और पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। ज्यों ही सुविधा होगी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिनको कम वेतन मिलता है उनको ज्यादा वेतन दिया जाय ऐसी स्थिति बन जाय तो इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। इसमें ज्यादा वाद-विवाद में पहुंचें इसकी आवश्यकता नहीं।

फिर वाद-विवाद के दौरान में श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कल कहा था कि जो साइन्टिफिक एपरेटस वगैरह खरीदे गये हैं वे मिनिमम टेन्डर वाले से नहीं खरीद कर ज्यादा टेन्डर वाले से खरीदे गये। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि साइन्टिफिक एपरेटस खरीदने की व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था यह है कि उसके लिये एक कमेटी नियुक्त है बीकानेर में, जिसके चेयरमैन बीकानेर डिविज़न के कमिश्नर हैं, उनके अलावा डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन उसके मेम्बर हैं, अकाउन्ट्स कमेटी के जो वहां पर ट्रेजरी ओफिसर हैं वे भी इसके मेम्बर हैं और इनके अलावा फिजीक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी के जो हैड ओफ दि डिपार्टमेंट हैं, वे भी इसके मेम्बर्स हैं। इनके सामने सारे टेन्डर्स आते हैं और उसके साथ ही यह शर्त होती है कि जो चीज सप्लाई करेंगे उसका नमूना पेश किया जाय। आजकल साइन्टिफिक एपरेटस के लिये कई प्रकार के कोटेशन्स आते हैं लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़ा अंतर हो तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि फनेल चाहिये तो वह एग्ज़ेक्ट

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

चाहिये । वेइंग मशीन होगी तो वह भी एग्जेक्ट टु दि पोइन्ट होगी। तो सब लोगों ने मिल कर मिनिमम टेन्डरवाले को देना ठीक नहीं समझा और जिसकी चीजें बेस्ट (Best) थीं उसको देना ठीक समझा । मैं समझता हूं, यदि हम यह कहने की कोशिश करेंगे कि कम कीमत वाले से न खरीद कर इधर उधर किया और ५. ७ एक्सपर्ट्स की कमेटी मुकर्रर हुई उस पर भी समझने लगे कि बेईमानी हुई तो क्षमा करना कोई भी व्यक्ति इनीशियेटिव लेने के लिये तैयार नहीं होगा । वह समझेगा कि माल चाहे जैसा भी हो अपन तो मिनिमम रेट कोट करने वाले का टेन्डर एक्सेप्ट कर लो।

इसी तरह की बात कही गई मोटर की बॉडी बनाने के बारे में, इसके लिये जो मिनिमम टेन्डर था डिप्टी सेक्रेटरी ने २००) या २५०) रु. ज्यादा वाले को दे दिया। मैं अर्ज करूंगा कि बीकानेर के लोगों को बॉडी बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं होगा क्योंकि वहां पर अभी तक इसका ज्यादा चलन नहीं हुआ है। जयपुर में रात दिन बॉडिज़ बनती हैं इसलिये जो ज्यादा अच्छा काम करने वाले थे उनको २५० रु. ज्यादा देकर भी उनसे काम कराना ज्यादा ठीक था । कोई व्यक्ति २५० रुपये किसी दूसरे मकसद से ज्यादा नहीं दे देगा वह भी डिप्टी सेक्रेटरी के हैसियत का आदमी। इसलिये मैं समझता हूं इस तरह से सोचने का तरीका उपयुक्त नहीं है कि १० रुपये क्यों ज्यादा दे दिये ? इस तरह से बातों का कोई अंत नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो पर्चेज़ेज हुईं उनकी इन्क्वायरी सेट अप हुई और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है उस पर विचार हो रहा है, उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगे । पहले के पुराने केसेज़ के बारे में डिटेल में उन्होंने नहीं कहा है और मैं भी पूरी जानकारी उनके बारे में लेकर नहीं आया हूं।

इन प्रश्नों के अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि एम. ए. क्लासेज़ खुलनी चाहियें । किसी ने कहा कि सोशियोलोजी की खुलनी चाहिये, किसी ने कहा अंग्रेजी की खुलनी चाहिये और किसी ने किसी और सब्जेक्ट की शुरू करने की बात कही। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और युनिवर्सिटी खुद ने उनके साथ पिछले साल जो चर्चाएं हुईं उनमें एक बात का सभी ने जोर दिया कि हम पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ बढ़ाते हैं उनसे एज्युकेशन की क्वालिटी गिरती जायगी । कुछ सब्जेक्ट्स एक जगह रखें वहां दूसरे विद्यार्थी जा सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी हों तो उनको स्कोलरशिप देना ज्यादा अच्छा है बजाय एक दो विद्यार्थियों के लिये पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ की व्यवस्था की जाय। व्यावर में अंग्रेजी का १ विद्यार्थी था और हिन्दी के २ विद्यार्थी थे यदि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ जिसमें काफी खर्चा होता है जब कि अजमेर निकट है वहां चल कर जायगा तो पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी को क्या दिक्कत होगी ? इसलिये यह प्रश्न खड़ा होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते । इसके लिये युनिवर्सिटी व्यवस्था करे...

**श्री बृजमोहनलाल** : On a point of Order, Sir, जुलाई में एडमिशन शुरू होता है और सितम्बर अक्टूबर में स्टॉफ मुकर्रर किया, यह कैसे हो सकता है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, व्यावर की बात चली है तो प्लॉन की बात भी बीच में चल पड़ी। कल बहुत

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जोर दिया गया कि अजमेर में शिक्षा पर प्लॉन के अनुसार खर्चा नहीं किया जा रहा है जब कि राजस्थान में शिक्षा पर खर्चा प्लॉन में है उससे ज्यादा किया जा रहा है। अजमेर के लिये जो सेकन्ड फाइव इयर प्लॉन में प्रोविज़न है वह ८६ लाख ३५ हजार, I am sorry, १ करोड़ ६६ लाख है, उसमें से ५६–५७ में ३२ लाख, ५७–५८ में २५. ३२ लाख और ५८–५९ में २६ लाख रु. रखे हैं। इस तरह से इन तीन वर्षों में टोटल ८६ लाख रुपये होते हैं जो सारे एज्युकेशन प्लॉन का ५२ पर्सेन्ट होता है। इसके मुकाबले में राजस्थान में इस वर्ष सहित जो कुल खर्चा आयगा वह ४६ पर्सेन्ट आयगा, तो मैं समझता हूं यह मानने के काबिल नहीं होना चाहिये कि अजमेर के लिये जो व्यवस्था है उसमें हम संभव है कमी करें और राजस्थान में ज्यादा खर्च करें। यह बात तो अच्छी मालूम होती है लेकिन प्लानिंग कमीशन सीलिंग मुकर्रर करता है एजुकेशन पर जितना है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मेडिकल पर भी वही खर्च कर सकते हैं। साल भर का टोटल टार्गेट शुरू होता है...

**श्री गिरधारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी ऊंघ रहे हैं।

१ म० प०

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : क्या हुआ ?

(हंसी)

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : रात को काम-काज में लगे हुए थे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : क्या हुआ ?

**श्री भैरोंसिंह** : ऊंघ रहे थे कृषि मंत्री जी।

**श्री चन्दनमल वेद** : श्री मिर्धाजी !

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके लिए तो इजाजत है।

**श्री चन्दनमल वेद** : राबड़ी खाने से नींद ज्यादा आती है शायद !

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : (जारी) अध्यक्ष महोदय, फिर यहां पर एक प्रश्न के ऊपर काफी चर्चा चली कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा और वह थी कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्युशन्स हैं, उन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को खर्च नहीं देना चाहिए और उन्हें टेक ओवर कर लें। यह बात भी उठी कि उनके ऊपर ऑडिट चेकिंग होना चाहिए। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज दो व्यवस्थायें हैं, एक यह है उन संस्थाओं को ऑडिटर से अकॉउन्ट पास कराना होता है। उसके बाद विभागीय ऑडीटर्स अकाउन्ट का ऑडिट करते हैं और उसके बाद ए. जी. की तरफ से कुछ जगह चेकिंग किया जाता है। तो यह ऑडिट व्यवस्था आज भी है और उसको हम ज्यादा से ज्यादा लागू करने के लिए खुद प्रयत्नशील है, जिससे इस मामले में चेक हो सके। अगर कहीं खास तौर से इस तरह की बात आती हो, तो माननीय सदस्य अगर बतलायेंगे, तो उसके बारे में जानकारी की जा सकती है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रुपया दिया जाता है उसका प्रोपर अकॉउन्ट हो, उनके अकॉउन्ट की देख रेख करना आवश्यक है, यह बात ठीक है।

दूसरी बात यह कही गई कि इन स्कूलों में, जो शिक्षकों के वेतन का स्तर

# Page No.43



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

है और जो फीस ली जाती है, वह राजकीय स्कूलों से भिन्न है। यह सत्य है लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज उन लोगों पर इस बात का जोर डालें कि शिक्षकों के लिए वे भी अपने यहां वही वेतन शृंखला अपनायें जो राजकीय स्कूलों में है। अगर इस तरह करें, तो मैं समझता हूं उसका परिणाम जल्दी आयेगा। लेकिन फीस का जहां तक सवाल है, भारत सरकार या किसी राज्य में स्कूलों में जो फीस ली जाती है, उसमें अन्तर मिलेगा। अगर फीस के मामले में हम सब जगह कह दें, खास तौर से यह ध्यान में रख कर कि प्राइवेट इन्स्टीट्युशन अपना स्टॉफ रखता है, वे विद्यार्थियों को ट्यूटोरियल क्लासेज में पढाते हैं, कि फीस का लेवल एक होगा, तो उसका परिणाम यह होगा कि राज्य सरकार पर तो अधिक से अधिक भार आयेगा ही, उसके साथ एक और दिक्कत पैदा हो जायेगी। जहां तक फीस का प्रश्न है, मैं समझता हूं, अगर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन अगर राजकीय स्कूलों के बराबर फीस रखते हैं तो उसका स्वाभाविक तौर से दूसरों पर असर होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है।

अब, अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाये गये। उनके सम्बन्ध में कुछ कह दूं तो उचित होगा। शिक्षा की मांग पर बहस के दौरान में यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति हायर सेकन्डरी एज्युकेशन के बोर्ड बन जाने के बाद कमजोर हो गई है। इस दृष्टि से राजस्थान सरकार को उसको मदद देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बजट को जिन्होंने देखा होगा, उनको ज्ञात हुआ होगा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर खास तौर से इस साल, ज्यादा भार न पड़े, उनका बजट डेफीसिट न हो, यह ख्याल हमने रखा है और जो उनकी रेकरिंग इन्कम है, उसका अलग सवाल है, रेकरिंग के बाद उनके पास अपना जो रिज़र्व है, उसमें से पैसा न लेना पड़े, इस बात को ध्यान में रख कर इस साल के बजट में कुछ व्यवस्था की गई है।

फिर मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो अजमेर का हायर सेकन्डरी बोर्ड है, वह हायर सेकन्डरी बोर्ड भारत सरकार से कह कर हमको मिलना चाहिए। हमने पहले ही शिक्षामंत्रालय को इस बारे में लिखा था और माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार हमने भी इस सम्बन्ध में जोर डाला है। अगर यह बोर्ड मिल सके तो एतराज की बात नहीं है, इससे खुशी होगी, अगर राजस्थान सरकार वहां पर उस बोर्ड को चला सके........

**श्री जनार्दनराय नागर** : On a point of clarification, Sir, मैं जानना चाहूंगा इस बोर्ड को भारत सरकार से ले लेने में क्या दिक्कत आ रही है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं कि इस सूचना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच प्रयत्न चल रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, जितना भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसके लिए आपने कहा था कि जितने सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया में पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन यह बोर्ड कन्डक्ट करेगा। इस भावना की वजह से उन्होंने इस बोर्ड को राजस्थान सरकार को सौंपने से इन्कार किया था।

इसके अलावा एक और बात कही कि जनता कॉलेज एक ही है, जनता कालेज और

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जगह भी खोले जाने चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में कह दूं कि इस वर्ष और अगले वर्ष के बजट में तो जनता कालेज नहीं खोल पायेंगे, आगे इस दिशा में काम कर सकें, इसका प्रयत्न हमारी तरफ से जितना हो सकेगा, उतना करने की कोशिश करेंगे ।

ग्रान्ट इन एड के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह बतलाया गया कि ९० पर्सेन्ट या शत प्रतिशत ग्रान्ट इन एड उन इन्सटीट्यूशन्स को, जो अच्छा काम करती है, सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए । मैं समझता हूं अन्य राज्यों में भी जो ग्रान्ट इन एड दी जाती है, वहां भी इस हद तक लिबरल होने की बात नहीं आई है और यह राजस्थान सरकार के लिए मुश्किल है । इसके अलावा यह कहा गया कि ग्रान्ट इन एड देर से मिलती है, उसकी वजह से संस्थाओं को दिक्कत उठानी पड़ती है । मैं इस बात से सहमत हूं और हम अपनी तरफ से अगले वर्ष अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे कि इसका फैसला, जितना जल्दी हो सके, कर दिया जाय क्योंकि मुझे मालूम है कई लोगों को इस वजह से दिक्कत अनुभव हुई है ।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में पढ़ाई की व्यवस्था और दूसरे सवालों पर चर्चा की । लेकिन उन्होंने कोटा में लड़कियों के कॉलेज़ के संबन्ध में विशेष तौर से जोर दिया । मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं मुझ से जितना प्रयत्न हो सकेगा, मैं प्रयत्न करूंगा । वैसे मैं प्रयत्नशील हूं और मुझे यह आशा भी है कि हम जिस सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वह सहयोग हमें प्राप्त होगा और आगामी वर्ष से ही हम कोटा के अन्दर लड़कियों का डिग्री कॉलेज़ शुरू कर देंगे । (करतल–ध्वनि ) दरअसल लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और इस दिशा में जहां स्कूल की आवश्यकता होगी, जहां लड़कियों की तादाद, पढ़ने वालियों की काफी होगी, जहां भवन की आवश्यकता है, इन सब की पूर्ति होगी और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस तरफ और चीजों के मुकाबले में ज्यादा कार्यवाही करेंगे ।

**श्री रामेश्वरदयाल** : What about the law classes at Kotah ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : लॉ कॉलेज के मामले में आप जानते हैं सारी स्थिति ।

एक माननीय सदस्य ने, उन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि सारे जिलों में एग्रीकल्चर कॉलेज़ तो उपयुक्त होगा । मैं समझता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति जिस रोज ऐसी हो जायगी कि सारे जिलों में एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने में जितनी दिक्कतें आती हैं, वे सदन के समक्ष कई बार बतलाई जा चुकी हैं । इसलिए सारे जिलों में एग्रीकल्चर कॉलेज़ खोलना हमारे लिए मुश्किल है । अगर सारी जगह एग्रीकल्चर खोलने की बात होगी तो जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या को नाराजगी होगी कि कॉलेज की बात इतनी क्यों चलने लगी है, प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं खोले गये ।

**श्री नरेन्द्रसिंह** : १० वर्ष से है जोबनेर कॉलेज़ ।

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं जोबनेर की बात नहीं कर रहा हूं ।

**श्री चन्दन मल वेद** : उन्होंने सदस्या कहा है, सदस्य नहीं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : फिर अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण उठाई कि जो हमारा सिलेबस है, उसका तारतम्य ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह ख्याल बराबर रखा जाता है; अलग से विशेषज्ञ हैं इसके, वे भी इस पर सोच-विचार करते हैं लेकिन वे माननीय सदस्य भी खुद शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य कर चुके हैं, अगर वे निश्चित तौर से यह बतायें कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर इस भवन में चर्चा नहीं हो सकती है तो बाद में बतलायेंगे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आवश्यक कदम इसके लिए होगा, हम उठायेंगे। यहां माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य नें राष्ट्रीयकरण की किताबों में हुमायूं, अकबर और न मालूम क्या क्या बातें कहीं, उसमें कुछ फोटों की चर्चा कर गये जो मैं समझता हूं राष्ट्रीयकरण की किताबों से ताल्लुक नहीं रखता, पहले की किताबों के साथ ताल्लुक रखता है, जिसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण की किताबों के साथ जोड़ दिया।

एक हैं हमारे माननीय सदस्य, कहां से आते हैं यह मैं नहीं बताऊंगा उन्होंने चर्चा में यह कह दिया कि मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो गए हैं लेकिन राष्ट्रीयकरण की किताबें अभी तक नहीं आई हैं, वगैरह, चर्चा में कह दिया तो मैं समझता हूं राष्ट्रीयकरण कहां तक हुआ है इसकी जानकारी कर लेते तो मैट्रिक के इम्तिहानों में राष्ट्रीयकरण की किताबों की बात नहीं कहते।

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने साइन्स और कॉमर्स क्लॉसेज़ के बारे में जोरों से कहा कि जनता के सहयोग से मकान बना है। यह सही बात है कि भवन बना है साइन्स और कॉमर्स क्लॉसेज़ के लिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है कि रेल्वेज़ की तरफ से जो स्कूल्स चलाये जाते हैं वहां ग्रांट इन एड देंगे और बांदीकुई में जो हाई स्कूल है उसको मल्टीपर्पज़ में तब्दील कर दें। रेल्वे मिनिस्टरी की मदद होगी, भारत सरकार की ओर से भी मदद होगी और राजस्थान सरकार से भी मदद होगी और इस तरह बांदीकुई में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जायगी।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : क्या यह अगले सेशन तक हो जायगा ?

Will it be possible to start it from the next session ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : कोशिश यही है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : Thank you.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मांडल, शाहपुरा, सहाड़ा और रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोशिथल, गंगापुर, करेड़ा में स्कूलों के लिये मकान जनता की ओर से बनते हैं, सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है। मैं समझता हूँ कोशीथल में तो पूरी तरह से कह सकता हूं, एक पूरे फीगर्स तो मेरे पास नहीं है, पर सरकार की तरफ से सहयोग दिया गया है, और और जगह भी जनता की तरफ से काम किया गया है, और अगर वहां कमी है तो उन कमियों को पूरा किया जायगा, चुनावों में कोई कहां से आये हों और चुनावों के मौके पर मैं उनके विरोध के लिये गया होऊं पर जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, वहां अभाव होगा तो पूरा

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

करने का प्रयत्न करूंगा, उस क्षेत्र से कोई नाराजगी नहीं है कि वह कभी रह जाय और प्रयत्न नहीं किया जाय।

इसी तरह गंगापुर के बारे में कह दिया है और कई चीजें नहीं की जा रही हैं। आपने कहा पीने का पानी नहीं है। यह तो वर्षों से वहां चला आ रहा है, आज नहीं होता है तो उसके लिये कोई माननीय सदस्य वहां से जीत कर आयें और विरोधी पक्ष में बैठे जायं और कह दें कि वे विरोधी दल में हैं इसलिये नहीं हो रहा है ऐसी तो कई जगह हैं और कोई कहीं से जीत कर आ गये और कह देंगे कि हमारे यहां वाटर वर्क्स शुरू नहीं हुआ, विरोधी पक्ष में बैठ गए तो कह देंगे कि इस वजह से नहीं हो रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि कई इधर बैठने वालों के यहां भी वाटर वर्क्स नहीं है।

दलीलों में और वाद-विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता जो है, मैं समझता हूं आपके और हमारे इस सदन के बाहर की बातें हैं, जिनको हम यहां लाते हैं। उन्होंने काटे कांथली के बारे में भी जिक्र किया, अध्यक्ष महोदय, इसकी शिक्षा-विभाग के द्वारा जानकारी करूंगा और सम्भव होगा वह किया जायगा।

उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पी. डब्ल्यु. डी. ने जागीरदारों द्वारा दी हुई, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मरम्मत नहीं करवाई है, यह जो उन्होंने सूचना दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही कार्यवाही करूंगा ताकि आपको आगे शिकायत करने का मौका नहीं आये। कमरों की ओर व और खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। बजट कीतरफ ध्यान रखते हुए उन खामियों को दूर करने की कोशिश की जायगी।

सांचोर में हाई स्कूल खोलने के लिये यहां कहा गया, मैं कोई स्पीच में तो यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि कहां कहां हाई स्कूल हों, कहां–कहां नहीं हों। बजट में आपने देखा होगा कि कुल १० ही जगह हाई स्कूल खोल पायेंगे, तो वहां मकान की क्या स्थिति है, छात्रों की संख्या क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जायगा। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां वास्तव में शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे रह गये हैं वहां गवर्नमेंट की ओर से सहयोग देकर जितना कर सकते हैं, करने के लक्ष्य में रहेंगे।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तालाब शाह पर डिग्री कॉलेज खोलने के लिये कहा, मैं नहीं भूलता हूं तो तालाब शाह का महल धौलपुर से कुछ दूरी पर है....

**श्री बहादुरसिंह** : केसर बाग में।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : केसर बाग में खोलने का कहा, मुझे तालाब शाह याद का ख्याल रह गया। पर जैसा आपने बजट में देखा है धौलपुर में केसर बाग पैलेस को ले लें, यहां पर माननीय सदस्य के कहने पर यह तो संभव नहीं। होम मिनिस्टरी और राजस्थान सरकार के बीच में फैसला हुआ है। उनका दूसरा पैलेस था वह गवर्नमेंट के पास आया है और यह उनको दिया गया है, इससे उनको दिक्कत होती है। फिर भी विद्यार्थियों की तादाद आदि बातों की जांच करके, इस वर्ष तो नहीं कर सकेंगे पर आगे कब कर सकेंगे यह सोचने की बात है। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का हैड क्वार्टर करने के लिए, गर्ल्स स्कूल और खोलने का कहा, यह डिटेल की बातें हैं, वहां की कमियों को ध्यान में लाने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लिये आपने कहा, हमने उनको नोट किया है, ध्यान में रखेंगे ।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पाली में जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल में तब्दील किया जाय । जब हाई स्कूल्स को हायर सेकेन्डरी स्कूल में तब्दील करने पर निर्णय किया जायगा तो पाली के हाई स्कूल को भी हायर सेकन्डरी स्कूल में तब्दील किया जाय या नहीं इस पर विचार किया जायगा । पाली में एक महत्वपूर्ण हाई स्कूल है इसमें दो राय नहीं इसमें जो सुधार हम कर सकते हैं वह करने का हम अपना लक्ष्य रखेंगे । पर उन्होंने कहते हुए यह कहा कि शिक्षक अच्छे नहीं, बनिये की तरह बैठते हैं । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षक भी जो काम करते हैं उनके सामने कम कठिनाइयां, कम मुश्किलें नहीं हैं जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं । फिर सदन में कह दें कि शिक्षक काम के नहीं हैं, यह ठीक नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : बनिये की तरह बैठना अपराध है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय सदस्य ने कहा है, मैं नहीं मानता ।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरे पास बनिया सदस्य बैठे हुए हैं, उनको एतराज हो रहा है ।

**श्री चन्दनमल वेद** : इसी वास्ते माननीय सदस्य शर्मा गये जरा ।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने यह नहीं कहा है...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो कहा है, आपको जवाब देते हुए कट मोशन्स पर बोलने का मौका मिलेगा उस समय स्पष्टीकरण कर दें ।

**श्री मूलचन्द डागा** : नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा । मैंने यह कहा था कि ज्ञान देने की भावना उनमें नहीं है । वे ज्ञान देने का व्यापार करते हैं, यह मेरे कहने का मतलब था । उसको ठीक तरह से नहीं समझा, मुश्किलों की तरफ ध्यान दिलाया, मैंने कहा कि उनका दृष्टिकोण क्या है....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बाकी मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मैंने शुरू में ही बातें कहीं, ज्यादातर बातों का उनमें ही समावेश हो जाता है । इसलिये एक-एक कट मोशन पर कहूं इसकी आवश्यकता नहीं ।

हां, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम इतना खर्चा करते हैं, उसकी बजाय इन्डस्ट्री में लगा दें तो काफी बेकारी मिट सकती है । मैं समझता हूं कि शिक्षा का रुपया इन्डस्ट्री में लगा दिया जाय यह दलीलें चलेंगी तो बड़ी मुश्किल होगी, यह बात जब यहां कहीं गई तो मैं यहां मौजूद नहीं था, किस ट्रेन्ड में कहा, यह मुझे मालूम नहीं ।

बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज को वहां से नहीं हटाने के बारे में चर्चा चलाई । उसको वहां पर रखना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमें वहां पर बहुत सी बातों पर विचार करना है उसके बाद । अभी जो मेडिकल कॉलेज का भी मामला है वह भी तय होने वाला है । इन सारी बातों को देखते हुए जो मकान की दिक्कत है उसकी तरफ देखते हुए हम निष्पक्ष दृष्टि से विचार करेंगे तो आपको मालम होगा कि इसमें कई

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

प्रकार की दिक्कतें हैं। इसके अलावा दूसरी बात आपने कही कि स्टेडियम के कमरे इसके लिये ले लिये जावें। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हम स्टेडियम के कमरों को इसके लिये ले लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा और स्टेडियम की शेप में फर्क पड़ जावेगा। इसलिये जब भी हमको किसी बात का निर्णय करना चाहिये तो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिये और यह सही बात है कि जोधपुर में इसलिये; इसी वजह से बदलने का तय किया था कि दूसरी जगह मकानों की दिक्कत आती है। मैं यह कहूंगा कि आपको जब एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो सकती है वहां पर जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमको यह सोचना चाहिये कि हम ज्यादा चीजों का फैसला करने जा रहे हैं। तो इसके बाद एक ट्रेनिंग स्कूल जिसमें ६०–७० ट्रेनर्स होते हैं दूसरी जगह जाते हैं। यदि नहीं जा सकते हैं तो यह एक बड़ी मुश्किल बात होगी कि किसी चीज को इधर से उधर नहीं कर पावेंगे। सारी चीजें एक ही जगह हों और कहीं एक बार होने पर नहीं जा सकतीं ऐसा विचार करने लगें तो फिर कोई चीज एक जगह ही रहेगी और हम अच्छी तरह से विचार नहीं....

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसकी निष्पक्ष जांच हो।

(घंटी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : एक माननीय सदस्य जो झुंझुनू से आए हैं। कॉंस्टिट्युएन्सी मुझे ठीक याद नहीं है, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं राजाओं की सारी पूंजी और जागीरदारों की मुआवजे की सारी रकम लेकर शिक्षा पर लगा दें। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही क्रान्तिकारी बात होगी और उन्होंने बड़ी क्रान्तिकारी बात कही है, लेकिन हम लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने जो फैसला किया है उन फैसलों को एकदम ठुकरा कर इस प्रकार का फैसला करें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी कोन्स्टिटुएन्सी में जो तीन जगहों का जिक्र किया और बताया कि यहां हाई स्कूल होना चाहियें, वह मेरे ध्यान में है। इसमें जो सम्भव होगा कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार और भी कई जगह मानपुरा, मानचुर आदि में हाई स्कूलें खोलने की मांग की गई·······

**श्री नरेन्द्रसिंह** : मैंने भी आपको जो निवेदन किया उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जावे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : प्रकाश सभी पर डाला जाएगा। मगर आपके सामने स्थिति यह है कि १० जगह खोली जाएंगी। दो के लिए तो आपने ही फरमा दिया है कि हमारे यहां पर हो जावे।

**श्री नरेन्द्रसिंह** : हमारे यहां ४०-५० मील में एक भी नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। मसूदा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर में कम्पलसरी एजुकेशन थी, उस नीति में सरकार परिवर्तन कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई उसमें अन्तर करने का प्रश्न नहीं है, उल्टा उस पर जितना

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

चला जा सकता है उतना चलने का प्रयत्न किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि जो खास खास पोइन्ट्स थे उन पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने कट मोशन्स को वापिस ले लेंगे और इस मांग को पास करेंगे।

**डॉ० चन्द्रकला** : लड़कियों की शिक्षा के बारे में सरकार की क्या नीति है उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे !

**श्रीमती गंगादेवी** : मेरे कट मोशन का उत्तर नहीं मिला। उसका क्या उत्तर मिलेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में लड़कियों की शिक्षा के विषय में कुछ कहा था उस समय कहा गया था कि अभी दूसरा मौका आवेगा उस समय इस पर प्रकाश डाला जावेगा। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहती हूं कि यह दूसरा मौका था और इस मौके को भी शिक्षा मन्त्रीजी ने निकाल दिया। अब मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती के प्रस्ताव ( संख्या ७७, ७८ व ७९ ) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

( विराम )

आज्ञा प्रदान की गई।

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता। उनका सदन निर्णय करे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मीचन्द ने जो कटौती के प्रस्ताव ( ८० व ८१ ) रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाए ?

( अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

**श्री जनार्दनराय नागर** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री ने मेरे कटौती के प्रस्तावों के बारे में काफी संतोषजनक उत्तर दिया है। मगर एक बात शिक्षा मन्त्री महोदय चूक गये। मैंने कहा था कि जिन संस्थाओं को एड दी जाती है उसमें खर्चा कम होता है तो कट जाता है। फिर भी जो उन्होंने उत्तर दिये वे संतोषजनक हैं और इसलिये मैं अपने सभी कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री नागर को अपने कटौती के प्रस्ताव ( ८२, ८३, ८४ व ८५ ) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री जनार्दनराय नागर** : मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं।

**श्री रामेश्वरदयाल** : Hon'ble Speaker, Sir, I am very glad to note that the Hon'ble. Chief Minister, who is in-charge of Education, has assured the House to take proper steps to fulfil the needs and requirements as mentioned in my cut motions, I am also glad to note......

# Page No.50



**श्री अध्यक्ष :** Hon. Member, no speeches please. Just mention the fact whether you want to withdraw......

**श्री रामेश्वरदयाल :** That he is fully alive and conscious of the needs and requirements, but, sir, through you......

**श्री अध्यक्ष :** No speeches please Just mention whether you want to withdraw or...

**श्री रामेश्वरदयाल :** I shall request the Hon. Chief Minister...

**श्री अध्यक्ष :** I said no...

**श्री रामेश्वरदयाल :** I will take hardly one minute.

**श्री अध्यक्ष :** That one minute is also not available.

**श्री रामेश्वरदयाल :** In the end I would request the Hon. Chief Minister to reconsider the question of the abolition of law classes...

**श्री अध्यक्ष :** No speeches please, You are a responsible Hon. member. I requested you thrice to come to the point straightaway.

**श्री रामेश्वरदयाल :** Then Sir, I beg leave of the House to withdraw the cut motions proposed to the Education grant.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव (८७, ८८, ८६, ६०, २५६, २६०, व २६१) श्री रामेश्वरदयाल ने प्रस्तुत किये हैं, वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री रामेश्वरदयाल :** I withdraw my all the cut motions.

**श्री रामचन्द्र :** अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव संख्या २५१ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि श्री रामचन्द्र को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री बहादुरसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ६१, ६२, २२०, २२१ व २२७ वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि श्री बहादुरसिंह को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री बहादुरसिंह :** मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री लच्छूराम ने (संख्या ६३) रखा है स्वीकार किया जाए ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

**श्री मूलचन्द डागा :** मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव संख्या ६४ व ६५ वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चन्दनमल वेद।

**श्री चन्दनमल वेद** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव संख्या ६७ पेश किया था उसका संतोषजनक उत्तर नहीं आया, उसके बावजूद भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री चन्दनमल वेद** : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास।

**श्री शिवचरणदास** : मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १०० वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री शिवचरणदास ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

श्री पी. के. चौधरी।

( विराम )

प्रश्न यह है कि जो २० कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गये।

( विराम )

श्रीमती गंगादेवी डाटा।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों कटौती प्रस्तावों का संतोषजनक उत्तर तो क्या, उत्तर ही नहीं मिला और महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव थे लेकिन फिर भी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (१०७ व १२६) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या १०६ से ११२) श्री भीमसेन ने रखे हैं उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का विरोधी हूँ इसलिए जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया उसको वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या ११३) श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेन्स दे दिया है इसलिए कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (संख्या ११४) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनो कटौती प्रस्ताव (११५ व ११६) वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी ।

श्री बी. एन. जोशी : Mr. Speaker, Sir, in view of the very encouraging assurance given by the Leader of the House, I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (१२४, १२५, १२६, व १२७) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बी. एन. जोशी : I withdraw my cut motions.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है साहब । यह तो रूल ऑफ प्रोसिजर में है ।

श्री अध्यक्ष : It has been decided and hon. Member knows very well.

श्री श्रीभानसिंह : In that case I beg leave of the House to withdraw my cut motions (Nos. 130 and 257).

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my cut motions.

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मेरा कटौती प्रस्ताव (संख्या १८८) बुनियादी तालीम पर था और शिक्षा मंत्रीजी ने जो बातें कही हैं वे बुनियादी तालीम ही के खिलाफ है इसलिए मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहता ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव जो श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या २१४ व २३३ ) श्री मुक्तिलाल मोदी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री श्योपतसिंह

**श्री श्योपतसिंह** : मैंने कटौती प्रस्ताव (संख्या २१६) रखा था जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला इसलिए वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री श्योपतसिंह का कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : दूदू कोन्स्टिटुएन्सी में स्कूल खोलने का सवाल था, इस बात के लिए बहुत कुछ शिक्षा मंत्री महोदय ने एश्योरेन्स दे दिया है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या २२२ व २२३) वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अनोपसिंह ।

**श्री अनोपसिंह** : मैं अपने कटौती प्रस्ताव ( संख्या २२४ से २२६ ) वापिस ले लेता, लेकिन जिन मुद्दों पर मैंने प्रस्ताव रखे थे उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला इसलिए मैं तीनों में से एक को भी वापिस नहीं लेना चाहता ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री अनोपसिंह द्वारा रखे गये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री गिरधारीलाल ।

**श्री गिरधारीलाल** : माननीय अध्यक्ष....

**श्री अध्यक्ष** : पहले ही वोट पर रख दूं।

**श्री गिरधारीलाल** : मेरे दो कट मोशन्स थे, जिनका मुख्य मंत्रीजी ने जवाब ही नहीं दिया इसलिए मैं वापिस नहीं लेना चाहता ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (संख्या २३१ व २३२) को स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या २३७ से २४०) श्री मोहरसिंह ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

**श्री बृजमोहनलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव ( संख्या २४६) वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री शर्मा को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री बृजमोहनलाल** : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नारायणसिंह मसूदा।

**श्री नारायणसिंह** ( मसूदा ) : Sir. I want to beg leave of the House to withdraw my cut motion (No.-264 ) on the Education.

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय

( स्वीकृत)

**आज्ञा प्रदान की गई।**

**श्री नारायणसिंह** : I withdraw my cut motion.

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ जवाब देना है।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब देने का समय नहीं रखा है।

**श्री भैरोंसिंह** : पांच-सात मिनिट ही दे दीजिये। मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी बातें कहीं हैं जो असत्य हैं और जब तक उनका स्पष्टीकरण न किया जाय सदन में एक भ्रम बना रहेगा, इसलिए मैं पांच-सात मिनिट बोलने की अनुमति चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि पहले से ही व्यवस्था ऐसी रखी है कि वापिस उत्तर देने का समय न रखा जाय और जब समय नहीं रखा है तो इसके लिए अब अनुमति नहीं दी जा सकती।

**श्री भैरोंसिंह** : यह व्यवस्था यहां नहीं रखी है, यदि रखते तो सूचना तो मिलती। दो बातें रखने की इजाजत दी जाय जो पर्चेजेज के लिए हैं और सरकार के हित में हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसी बात बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में तय की थी। टाइम का अलॉटमेन्ट भी इसी बेसिस पर हुआ कि माननीय सदस्य राइट ऑफ रिप्लाई को फोर्गो कर देंगे इसलिए अब इस बात को उठाना उचित नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं इस मजबूरी के साथ कि समय का अलॉटमेन्ट कर देने व राइट ऑफ रिप्लाई नहीं रखने के कारण जो सरकार की ओर से उत्तर दिया गया और

( श्री भैरोंसिंह )

उसके कारण जो भ्रम पूर्ण चीजें रह गई हैं उनको दूर नहीं कर सकता हूं। जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (संख्या २७०) स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च सन् १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६,५५,५४,००० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अब माननीय गृह मंत्रीजी अपना बयान देंगे।

**श्री गिरधारीलाल :** मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष :** आप जरा सब्र रखिये।

१.४० म० प०

## उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दू-मुस्लिम तनाव सम्बन्धी स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव विषयक गृह मंत्री का वक्तव्य

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ६ मार्च, १९५८ की प्रात:काल ९ बजे ४०० हिन्दुओं ने कस्बा उदयपुर में एक जलूस होली गेर के सम्बन्ध में निकाला जो बाजार तथा राजपूत और कसाइयों के मोहल्ले से गुजरता हुआ कायमखानियों के मोहल्ले के सम्मुख जाकर रुका। जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्ति अश्लील नारे लगाते हुए और गुलाल इत्यादि रास्तों में मुसलमानों पर डालते हुए वहां पर पहुंचे थे। होली गेर का जुलूस कायमखानियों के मोहल्ले से पहले कभी नहीं गुजरा था केवल १९५६ में ऐसे जुलूस को इस मोहल्ले में से निकाला गया था जिसके कारण हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था। मुसलमान सतर्क थे और उन्होंने शान्ति भंग होने की संभावना समझते हुए पहले से ही पुलिस को उचित प्रबन्ध करने के लिये कहा था। चुनांचे पुलिस का उचित प्रबन्ध मौके पर कर दिया गया था। तहसीलदार उदयपुर ने एस० डी० एम०, नवलगढ़ को मौके पर बुला लिया था और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झुंझनू ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैड क्वार्टर झुंझनू को कुछ पुलिस फोर्स के साथ भेज दिया था। पुलिस ने जुलूस को मोहल्ला कायमखानी से गुजरने की इजाजत नहीं दी और जुलूस वापिस लौट गया।

तीसरे पहर हिन्दुओं ने मालियों की मदद से दूसरा जुलूस निकाला और कायमखानियों के मोहल्ले में से जबरन जुलूस निकालने की चेष्टा की। एस० डी० एम०, नवलगढ़ के समझाने पर माली लौट गये।

इसी दिन शाम को तीसरा जुलूस फिर निकाला गया और कायमखानियों के मोहल्ले से गुजरने की पूरी कोशिश की गई। पुलिस द्वारा रोके जाने पर जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने पुलिस तथा अफसरों को गालियां दी और धूल फेंकी। एक भगवाना चमार ने मदनलाल कॉन्स्टेबल पर लाठी का प्रहार किया परन्तु एस. डी. एम., नवलगढ़ ने, जो पास खड़े थे, लाठी को हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस पर पत्थरों की वर्षा होने

( श्री.रामकिशोर व्यास )

लगी और एस० डी० एम०, सर्किल इन्स्पेक्टर तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों को मामूली चोटें आयीं। परन्तु पुलिस ने जुलूस को मोहल्ला कायमखानी में गुजरने नहीं दिया। इस घटना के कारण थाना उदयपुर में मुकदमा व जुर्म दफा १४८, १४६, ३२३, ३५३ ताजीरात हिन्द दर्ज किया जाकर पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। जुलूस रात्रि को करीब ११ बजे जाकर तितर बितर हुआ। कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

७ मार्च को उदयपुर कस्बे में हड़ताल रही और हिन्दुओं ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि जब तक उनके जुलूस को कायमखानियों के मुहल्ले से गुजरने की पुलिस इजाजत नहीं देगी वे हड़ताल बराबर जारी रखेंगे। रात्रि में एक मीटिंग केशोराम मन्दिर के अन्दर की गई और यह निश्चित किया गया कि ग्राम बागोड़ा में १३ मार्च को जब शीतला माता मेला होगा वहां पर आये हुए मीनों को हिन्दुओं की मदद के लिए उदयपुर कस्बे में बुलाया जावे और उनकी मदद से जुलूस कायमखानियों के मोहल्ले से निकाला जावे। तारीख ८ से १० मार्च तक हड़ताल जारी रही।

तारीख ११ मार्च को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिला झुंझुनू से लोग मिले और मांग की कि मुकदमा वापिस लिया जावे और जुलूस कायमखानियों के मुहल्ले से गुजरने की इजाजत दी जावे तथा जो पुलिस ने ज्यादतियां की हैं उसके बारे में जांच कराई जावे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि अगर हड़ताल खोल दी जावेगी तो पुलिस की कार्यवाही की निस्बत उचित कार्यवाही की जावेगी।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जुलूस को मोहल्ला कायमखानियों से गुजरने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह होली के जुलूस का कभी भी निर्दिष्ट मार्ग नहीं रहा है।

१२ मार्च को कुछ स्कूल के लड़कों ने कायमखानियों के मुहल्ले से एक जुलूस निकाला जिस पर मुसलमानों ने विशेष आपत्ति की परन्तु पुलिस ने समझा बुझा कर स्थिति पर काबू किया। मुसलमानों को यह समझाया गया कि यह होली का जुलस नहीं है बल्कि बच्चों का जुलूस है।

१३ मार्च को शीतला माता का मेला बागोड़ा ग्राम में हुआ परन्तु मीनों ने हिन्दुओं के उकसाने के बावजूद उदयपुर जाकर जुलूस में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

इसके बाद हड़ताल जारी रही और करीब करीब रोजना हिन्दू लोग मीटिंग करते रहे और यदा कदा उदयपुर कस्बे में जुलूस भी निकाले जाते रहे जिसमें पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नारे लगाये जाते रहे। चन्द व्यक्तियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी की किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। ता० १४ मार्च को रूड़मल और भागला मीना गिरफ्तार हुये। स्थिति काबू में रही परन्तु हड़ताल समाप्त नहीं हुई।

तारीख २३ मार्च को उदयपुर कस्बे में गनगौर का जुलूस नहीं निकाला गया और श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य राजस्थान विधान सभा के नेतृत्व में फिर होली का जुलूस उदयपुर कस्बे में निकाला गया। करीब ७०० व्यक्तियों ने, जिनमें से कुछ शस्त्रों से सुसज्जित थे, प्रातःकाल ६॥ बजे सरकार और मुसलमानों के विरुद्ध नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और मोहल्ला कायमखानी में बलपूर्वक

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

प्रवेश करने की चेष्टा की। किन्तु मुसलमान भी मुकाबला करने के लिए इस मोहल्ले में इकट्ठे हो गये। ऐसी विषम स्थिति में पुलिस को फिर हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने हिन्दुओं को काफी समझाने की कोशिश की किन्तु कोई प्रभाव नहीं हुआ और पुलिस पर पत्थरों तथा लाठियों से एक दम से प्रहार किया गया जिससे पुलिस का घेरा टूट जावे। स्थिति बिगड़ती हुई देख सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने जुलूस को खिलाफ कानून घोषित किया और तितिर बितर हो जाने की आज्ञा दी परन्तु कोई असर नहीं हुआ और पुलिस पर हमला बदस्तूर जारी रहा। स्थिति पर काबू पाने के लिये एस. डी. एम. ने पुलिस को लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया। लाठी चार्ज से ७ व्यक्ति मामूली घायल हुए। पुलिस के भी ११ व्यक्तियों को चोटें आयीं। इस पर मुकदमा जेर दफा ३५३। ३३२। १४८। १४६। ३०७ ताजीरात हिन्द थाने उदयपुर में दायर हुआ और ११ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य विधान सभा भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट झुंझुनू से दरयाफ्त करने पर ज्ञात हुआ है कि माननीय सदस्य को कोई विशेष चोट नहीं लगी है।

उदयपुर कस्बे में स्थिति काबू में है परन्तु अभी तक जनता में कुछ तनाव है। हड़ताल जारी है। सरकार सतर्क है और स्थानीय अधिकारीगण सामान्य स्थिति स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं।

अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ हिन्दुओं तथा कुछ मुसलमानों की दुकानें खुल गई हैं और विद्यार्थीगण स्कूल जाने लगे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस वक्तव्य के संबंध में मुझे यह कहना पड़ेगा कि सारा वक्तव्य ही बिल्कुल असत्य है और माननीय गृह मंत्री महोदय ने सरकारी अयोग्यता और प्रशासनिक अयोग्यता की बातों को छिपाने के लिये....

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिस्कशन की कोई बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : इस पर कोई बहस नहीं होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : ( जारी रखते हुए ) अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय गृह मंत्री महोदय ने सदन को दी है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ! जो बातें गृह मंत्री महोदय ने बतायीं कि शुरू के दिन कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। अगर माननीय गृह मंत्री महोदय केवल अपने अधिकारियों पर ही विश्वास करते हैं तो दूसरी बात अगर वास्तव में उस स्थान पर जाकर जांच करें तो उनको पता लगेगा कि उस स्थान पर लाठी चार्ज हुआ है। इस संबन्ध में झुंझुनू जिले के बार एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री विद्याधर कुलहरी, का पत्र और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हरलालसिंहजी का वक्तव्य इन दोनों चीजों को माननीय गृह मंत्री देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि उस जगह लाठी चार्ज हुआ है। प्रश्न यह होता है कि लाठी चार्ज किस प्रकार हुआ ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री ) : किस रूल के अन्तर्गत आप इस पर बहस कर रहे है ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य जो माननीय गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : (जारी रखते हुए) सही बात सदन में न कही जाय और गलत बात कहकर सदन को सूचना देकर फायदा उठाना चाहें तो यह सदन की मर्जी है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : (अश्रव्य)

**श्री भैरोंसिंह** : (जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबन्ध में यह निवेदन करूंगा कि इसमें रूल का हवाला देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके लिये तो ऑलरेडी एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया हुआ है और उसी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं।........

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : (अश्रव्य)

**श्री भैरोंसिंह** : (जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव है और उसी को लक्ष्य रखकर माननीय गृह मंत्री ने स्टेटमेन्ट दिया है। हमारी तरफ का यह कहना है कि जो स्टेटमेन्ट दिया गया है वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिया गया है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि सदन को वास्तविक जानकारी दी जाय और वास्तविक जानकारी देने का मेरा अधिकार है और उसी अधिकार के अन्तर्गत मैं सदन को जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री ने यह कहा कि एक हिन्दुओं का जुलूस जा रहा था। जिस समय वह कायमखानियों के मोहल्ले से गुजरने लगा........

**श्री अध्यक्ष** : जवाब पर कोई काउन्टर जवाब नहीं होगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस पर डिस्कशन की इजाजत दी जाय। आज भी लोगों के लाठियां लग रही हैं, अगर बाद में पर्मिशन दी जायगी तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री ने दिया और जो फेक्ट्स सदन के सामने रखे हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि स्थिति आज भी सामान्य नहीं है, इससे पब्लिक में एक प्रकार से भय भी व्याप्त है। जिस समय इस संबन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव हुआ था, उस समय अध्यक्ष महोदय, आपने यह निर्णय दिया था कि इसको रूल आउट नहीं किया जा रहा है और गृह मंत्री को कहा गया कि वे इस स्थिति पर वक्तव्य दें। लेकिन जो वक्तव्य दिया गया है वह भ्रामक है। उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि माननीय गृह मंत्री महोदय उन तथ्यों को छिपा रहे हैं जो वास्तविक तथ्य हैं। जिस सत्य पर वे परदा डालना चाहते हैं, सत्य इसके विपरीत है जो प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ है उसका मतलब यह है कि आज की कार्यवाही स्थगित की जाकर जो मसला सदन के सामने आया है, उस पर प्रकाश डाला जाय।

यह चीज स्पष्ट है कि जो बात वह कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि मामूली सी गड़बड़ है। मगर आज वहां बीस दिन से हड़ताल चल रही है। आपने कहा कि लोगों को विशेष चोटें नहीं आई हैं, लेकिन देखा जाये तो ऐसा नहीं है। यहां तक कि हमारी विधान सभा के माननीय सदस्य पर भी लाठियां पड़ीं, यह बात सही है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, को इसके लिए अनुमति देनी चाहिए....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एडजोर्नमेन्ट मोशन रूल आउट कर दिया गया था। अगर यह रूल आउट नहीं किया जाता

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

तो फिर गृह मंत्री जी के वक्तव्य देने का प्रश्न ही नहीं आता। फिर तो उनकी तरफ से बहस होती और यह जवाब देते। आपसे स्टेटमेन्ट देने के लिए कहा गया और आप अपना स्टेटमेन्ट इस सम्बन्ध में जो कुछ भी था वह दे चुके हैं।

**श्री भैरोंसिह :** एडजॉर्नमेंट मोशन रूल आउट नहीं किया गया था। आपसे तो स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया था और उसके बाद में...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर) : स्थगन प्रस्ताव रूल आउट नहीं किया गया। हमारे रूल में हाफ एन आवर डिसकशन का प्रोवीजन है जिसमें कि नोटिस भी देने का प्रोवीजन है। मैं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहूंगा कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैसा भी वातावरण आज वहां हो रहा है; बीस दिन से लगातार हड़ताल हो रही है आप हाफ एन आवर के डिस्कशन की पर्मीशन दें। माननीय गृह मंत्री जी ने जो इस विषय में अपना स्टेटमेन्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा कि मामूली सी चोटें आई हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे यहां विधान सभा के एक माननीय सदस्य को वहां पीटा गया और पुलिस के थानेदार ने उनको केवल इसलिए पीटा कि यहां पर थानेदार के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन उपस्थित किया गया था। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार बदले की भावना लेकर हमारे विधान सभा के सदस्य को पीटा जाय इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

(करतल-ध्वनि)

इस तरह से पुलिस द्वारा हमारा संरक्षण कैसे हो सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति आज यहां पैदा हुई है और जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने अपना स्टेटमेन्ट दिया है वह बहुत ही गंभीर है...

(करतल-ध्वनि एवं शोरगुल)

**श्री हरदेव जोशी :** On a point of order, Sir.........

(पुनः करतल-ध्वनि एवं शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष :** Order please !

**श्री बृजमोहनलाल शर्मा :** I want to draw the attention to rule 241.

**श्री अध्यक्ष :** अगर माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहते हैं तो इसके लिए समय निर्धारित कर देंगे और माननीय मंत्री महोदय इसमें और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज या कल जैसा भी चाहें वैसे, क्योंकि आज तो यह आया ही है इसलिए....

**कुछ माननीय सदस्य :** आज ही होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** जो जानकारी माननीय मंत्री महोदय के पास थी वह तो उन्होंने सदन के समक्ष रख दी। आप उसे सही समझें या गलत, यह तो आपके सोचने की बात है, लेकिन आज रात के दौरान में उनको कुछ और भी तथ्य मिल जायेंगे और जानकारी कर लेंगे और साथ ही जो आपने कहा है उसकी लाइट में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे और फिर कल इसके ऊपर एक डिस्कशन रख सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं कहूंगा कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे आज ही बहस के लिए लिया जाना जरूरी है।

(पुनः तीव्र करतल-ध्वनि एवं शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष** : कौन से रूल का हवाला दे रहे हैं आप ?

**श्री बृजमोहनलाल शर्मा** : I want to draw attention to rule 241.

**श्री अध्यक्ष** : Which Rule ?

**श्री बृजमोहनलाल शर्मा** : Rule 241.

**श्री अध्यक्ष** : This statement was not made under this rule.

**श्री बृजमोहनलाल शर्मा** : Pardon.

**श्री अध्यक्ष** : Whether the adjournment motion should be admitted or not. It can be discussed at 4.30 P. M. अभी उसी स्टेज पर हैं हम।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि इसमें आवेश और तेज में आने का प्रश्न नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिये तो उसके लिए आप आज्ञा दे दीजिये। क्योंकि कल आप यहां नहीं आ सकेंगे, अच्छा है आज ही हो जाये। आज रात को आपको चण्डीगढ़ जाना जरूरी है।

**श्री भैरोंसिंह** : आज हो जाय, साहब। कोई विशेष बात नहीं है और एक या दो घन्टे के बाद समय निर्धारित कर दिया जाय हम उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : ४॥ बजे से कर लेंगे।

**श्री हरिदेव जोशी** : तो क्या इसके ऊपर हाफ एन आवर डिस्कशन होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : The Leader of the House admits.

**श्री हरिदेव जोशी** : Will you Please excuse, Sir मगर आपने हाउस की विश जानने को रखा नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : इससे ज्यादा हाउस की विश और क्या हो सकती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपने यह फरमाया था कि एडजोर्नमेन्ट मोशन रूल आउट नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ उस पर चर्चा करने की बात आ रही है तो समझता हूं कि आपने अभी फरमाया कि उसको आप रूल आउट करते हैं तो हम चर्चा अगर एडजोर्नमेन्ट मोशन की तरह करते और किसी न किसी रूल में करते तो ज्यादा उपयुक्त होता। मैं मानता था कि एडजोर्नमेन्ट मोशन स्टेन्ड करता है और अब आप रूलिंग दे रहे हैं कि रूल आउट करते हैं। तो हाफ एन आवर डिस्कशन का प्रोवीज़न है उसमें वाद-विवाद कर लें क्योंकि चर्चा करने की ही तो बात है।

**श्री अध्यक्ष** : उसमें कवर नहीं होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : एडजोर्नमेंट मोशन रूल आउट करने में, हाफ एन आवर डिस्कशन और जो आप कह रहे हैं उन सब में काफी अन्तर है।

**श्री हरिदेव जोशी** : हाउस की प्रॉसीडिंग्स रूल के अन्तर्गत ही चल सकेंगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (अश्रव्य)

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी रेस्पोन्सीबिलेटी को समझता हूँ और इसलिए ही कहता हूं कि इस हाउस की प्रॉसीडिंग्स रूल्स के अन्डर होनी चाहिए।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो एक दफा रूलिंग हो चुकी है, वह हो चुकी है।

**श्री हरिदेव जोशी** : फिर माननीय अध्यक्ष कहें कि मैं अपने विशेषाधिकार के द्वारा कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो कह देता हूं, हाउस की विश है और लीडर ऑफ दी हाउस ने भी एग्री किया है।

( विराम )

श्री बद्रीप्रसाद, मांग संख्या १६

१.५६ म० प०

## जिला चूरू के ग्राम रिडी में कुछ व्यक्तियों को निरोध में लेने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

**श्री गिरधारीलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है जिसका जवाब माननीय गृह मन्त्री देने वाले थे वह उन्होंने अभी तक नहीं दिया। क्या बात है ? वह मैंने १६ तारीख को रखा था।

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, तारीख ८ मार्च सन् १९५८ को धन्नाराम वल्द पद्माराम ब्राह्मण साकिन मौजा रिडी, जिला चूरू की रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर ६ जेर दफा ३०२ १०६ ताजीरात हिन्द थाना डूंगरगढ़ में रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट करने वाले की यह शिकायत थी कि तारीख १२ मार्च, सन् ५८ को उसके भाई मालाराम को उसके घर से बैजनाथ सिद्ध इस बहाने से ऊंट पर बिठा कर .......

**श्री गिरधारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, यह किस का जवाब दे रहे हैं .....

**श्री अध्यक्ष** : आप जरा सुनिये तो।

**श्री रामकिशोर व्यास** : ले गया कि उसकी एक चोरी के मुकदमे में राजीनामा कराने के लिए आवश्यकता है।

२ म० प०

**श्री गिरधारीलाल** : On a Point of order, Sir, माननीय अध्यक्ष, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की पिटाई के बारे में है न कि मर्डर केस के संबंध में।

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनिट भी नहीं बोल सके। यह कोई तरीका है आपका ?

**श्री भैरोंसिंह** : फिर कागज दूसरा उठा लिया।

(हंसी)

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मंत्री ) : आपका जो एडजॉर्नमेंट मोशन है उसके बारे में जवाब है। चूरू जिले में कुछ केस हुआ है उसके बारे में जो निवेदन किया जा रहा है उसका जवाब है।

तारीख ८ मार्च, सन् १९५८ को धन्ना राम वल्द पद्माराम ब्राह्मण, साकिन मौजा रिडी, जिला चूरू की रिपोर्ट पर मुकद्मा नम्बर ६ जेर दफा ३०२।१०६ ताजीरात हिन्द थाना डूंगरगढ़ में रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट करने वाले की यह शिकायत थी कि ता० १२ मार्च सन् ५८ को उसके भाई माला राम को उसके घर तक बैजनाथ सिद्ध इस बहाने से ऊंट पर बिठा कर ले गया कि उसकी एक चोरी के मुकदमें में राजीनामा कराने के लिए आवश्यकता है। मालाराम वापिस नहीं आया और उसको शक है कि बैजनाथ ने अपने और साथी संग्रामसिंह, पेमाराम, देवाराम और मेवा की साजिश से उसकी हत्या कर दी।

पुलिस की तहकीकात आरम्भ करने पर पता चला कि मालाराम ने ग्राम पंचायत

(श्री रामकिशोर व्यास)

रिडी सर्कल का चुनाव देवाराम के विरूद्ध लड़ा था जिसमें मालाराम हार गया था। इसके बाद मालाराम ने अपना एक दल देवाराम और उसके साथियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिये बनाया जो कि २० मार्च सन् ५८ को होने वाले थे। इस कारण से देवाराम और उसके साथियों ने मालाराम की हत्या करने की साजिश की और इस साजिश के फलस्वरूप बैजनाथ और संग्रामसिंह ने मालाराम की हत्या की और बैजनाथ को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उसने मालाराम की अपने साथियों के सहयोग से हत्या की है। उसके बताने पर खून आसूदा मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े बरामद किये गये हैं।

पुलिस ने संग्रामसिंह, देवाराम, पेमाराम को इस अपराध में पकड़ा है; मेघा अभी तक फरार है। जिले के पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने रामसिंह सर्किल इन्स्पेक्टर को तहकीकात करने के लिए मुकर्रर किया है। काम रोको प्रस्ताव में जो अभियोग मुलजिमों को हैरान व परेशान करने का लगाया गया है वह सही नहीं है और जनता में कोई भय या आतंक नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल** : माननीय अध्यक्ष,....

**श्री अध्यक्ष** : अब इस पर एक दम चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट आइटम लिया जायगा।

**श्री गिरधारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सा गलत पहलू माननीय मिनिस्टर का जो वक्तव्य हुआ है उसमें है, उसको दूर करना है। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है तो थोड़ा बहुत पूछने का मेरा अधिकार है

**श्री अध्यक्ष** : Order please!

२. ५ म० प०

## अनुदानों की मांगों पर मतदान

### मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३३७३,००० तक की राशि प्रदान की जाय।"

**श्री अध्यक्ष** : Motion moved. Shri Laxmichand.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री लक्ष्मीचन्द :

१३१. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १ रु० की कटौती की जाय (जालौर से बागोड़ा जाने वाली सड़क पर १०० मील के एरिया के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है, इस पर बहस करने हेतु)।"

१३२. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १ रु० की कटौती की जाय (सांचोर तहसील में मूविंग मलेरिया डिस्पेन्सरी खोलने हेतु)।"

श्री लक्ष्मण हीरात :

२६६. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १ रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के ऋषभदेव ग्राम में डाक्टर तथा दवाई की अव्यवस्था के बारे में विचार करने के लिये)।"

श्री तनसिंह :

134. "That the demand No. XVI Major head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (To discuss in-sufficient medical aid in Barmer Dispensary)."

रावराजा श्री सरदारसिंह :

135. "That the demand No. XVI, Major head 38-Medical be reduced by Re. 1/- ( To discuss lack of medicines in dispensaries)."

श्री रघुवीरसिंह :

136. "That the demand No. XVI Major head 38-Medical be reduced by Re. 1/-(To discuss lack of medicines in hospitals )."

श्री रामकरणसिंह :

१३७. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १०० रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार ने तहसील कोटपुतली में डिस्पेन्सरी और औषधालय नहीं खोले इस पर वाद-विवाद करने हेतु) ।"

श्री जनार्दनराय नागर :

133. "That the demand No. XVI, Majore head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to encourage Research in Ayurved)."

श्री बहादुरसिंह :

१४४. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १०० रु० कम कर दिये जायें (सदर होस्पिटल, धौलपुर में टी० बी० वार्ड स्थापित करने पर विचार करने के लिए) ।"

१४५. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिये जायें ( आयुर्वेद कॉलेजों की अव्यवस्था पर विचार करने के लिए ) ।"

१४६. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेद की उपेक्षा एवं कम धन राशि स्वीकृत करने पर विचार करने के लिए ) ।"

३०२. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १ रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेद शिक्षण की व्यवस्था राजस्थान इन्डियन मैडीसन बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर लाने पर विचार करने के लिये) ।"

श्री श्रीमानसिंह :

167. A "That the Demand No. 16, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (Todiscuss the financial Irregularities committed in the department)."

श्री नाथूराम :—

१५०. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा की व्यवस्था पर विचार करने लिए) ।"

श्री तेजाराम गहलोतः—

151. "That the Demand No. XVI, Major head 38-Medical be reduced by Rs. 1/- (To discuss the insufficient allotment of money for diet and medicines).

श्री शिवचरणदासः—

१५२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा में चिकित्सा की सुव्यवस्था न होने पर विचार करने के लिए) ।"

श्री बालमुकुन्दः—

१५३. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक

(श्री शिवचरणदास )

३८–चिकित्सा में १) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर के चिकित्सालय में गरीब जनता के इलाज सम्बन्धित उचित इन्तजाम नहीं है इस पर विचार करने के लिए ) ।"

श्री विद्यासागर:—

१५४. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिवीज़न के फलासिया खेरवाड़ा तहसील के औषधालय में डाक्टरों की कमी है इस पर विचार करने के लिए) ।"

श्री भीमसेन :

**157.** "That the demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100/- (To discuss starting of aid post in village Sereran, District Bikaner during 1958-59)."

**158.** "That the demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100/-(To discuss restarting of chronic diseases ward in the Associated group of Hospitals at Bikaner.)"

**159.** "That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100/- (To discuss starting of a Medical College at Bikaner city from July, 1958)."

डॉ० चन्द्रकला :

१६०. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकार को प्राकृतिक चिकित्सा को पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए इस विषय में वाद-विवाद करने हेतु) ।"

१६१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्यभर में जच्चा गृह (Maternity Centre) की स्थापना एवं विकास के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु) ।"

श्री मनोहर कोठारी :

**163.** "That the Demand No. XVI Major Head-38 Medical be reduced by Rs. 1/- (To discuss the failure of surgical camps organised by the Govt)."

**164.** "That the Demand No. XVI, Major head 38-Medical be reduced by Rs. 1/-(To discuss the negligence of the Govt. in dealing with the matter of Kamla Nehru Hospital Building at Kankroli)."

श्री पी० के० चौधरी :

**277.** "That Demand No. XVI, Mojor Head 38-Madical be reduced by Rs. 100/-(To discuss the non-payment of salaries to certain doctors (1) Dr. S. C. Shukla, Medical Officer (R. A. C.), Raisingh Nagar. (2) Dr. S. M. Jain, II Battalion (R. A. C.), Jaipur (3) Dr. S. C. Modi, Medical Officer (R. A. C), Barmer and others and also transfer of officials on medical grounds)."

**278.** "That Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100/- (To discuss the working of Employees State Insurance Scheme)."

श्री दयाकृष्ण विजय :

१६२. "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की

# Page No.65



( श्री दयाकृष्ण विजय )

जाय (वैद्यों के पंजीकरण में हुई अनियमितताओं पर विचार करने हेतु) ।''

श्री धन्नालाल हरित :

२६१. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (कुन्जेड़ तहसील अटरू में डिस्पेन्सरी खोलने पर विचार करने के लिये) ।''

२६२. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बारां अस्पताल को उचित स्थान पर स्थानान्तर करने पर विचार करने के लिये) ।''

२६३. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के देहाती अस्पतालों में Rooms, Beds and Compounders की समुचित व्यवस्था के अभाव पर विचार करने के लिये) ।''

२६४. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में दाईयों के स्थान पर ट्रेन्ड नर्सों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) ।''

२६५. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० कम कर दिये जायें (बारां में प्रसूति–गृह की स्थापना के बारे में विचार करने के लिए) ।''

श्री चन्दनमल वेद :

१४७. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (देहाती औषधालयों में दवाई की कमी पर विचार करने के लिए) ।''

१४८. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (सरदारशहर के सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।''

१४६. ''मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में से १) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों की अवहेलना पर विचार करने के लिए) ।'']

**डॉ० चंद्रकला** : समय की क्या व्यवस्था रहेगी इस पर कटौती प्रस्तावों के बारे में, अध्यक्ष महोदय !

**श्री अध्यक्ष** : अभी बता दिया जायगा ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मेरे दो कट मोशन्स है । एक तो यह है जालोर से बागरा जो सड़क है उसके १०० मील के एरिया के अन्दर कोई डिस्पेन्सरी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, वह जगह ऐसी है कि जहां हजारों की तादाद में लोग बीमार होते हैं, मगर हमारी सरकार कतई न्याय नहीं करती है । शहरों में व्यवस्था होती है; मोहल्ले २ में डिस्पेन्सरी खोली जाती हैं । बड़े बड़े कस्बों में डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था होती है; मगर वहां की जनता के लिए सरकार कतई कदम नहीं उठा रही है । स्वास्थ्य मंत्री महोदय कदम क्या उठावें उनका स्वयं का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता है । इसलिए उनको फुरसत नहीं मिलती है कि ग्रामीण जनता किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रही है । क्या उस जगह बीमार नहीं रहते हैं ? क्या उस जगह जनता बीमार नहीं पड़ती है ? क्या वहां की जनता राजस्थान की जनता नहीं है ? जिससे कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री महोदय को वहां, उस जगह, डिस्पेन्सरी खोलने का समय नहीं मिलता है ? उस जगह में ज्यादा तादाद में मलेरिया का प्रकोप होता है । उस जगह के

( श्री लक्ष्मीचन्द )

रहने वालों को किस प्रकार से बीमारी का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन उस १०० मील के एरिया में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। बरसात में कीड़े मकोड़ों की तरह बीमारी में व्यतीत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस जगह डिस्पेन्सरी नहीं होने के कारण बाज़ बाज़ दफा यह वक्त आ जाता है कि कई दफा मर्डर होते हैं तो उस जगह पर डाक्टर चार, चार रोज़ में पहुंचता है और उस जगह लाश की क्या परिस्थिति होती है कि कीड़े उसके अन्दर पड़ जाते हैं। डिस्पेन्सरी तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि यातायात ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर कोई इलाज नहीं हो सकता। डिस्पेन्सरी वहां से १०० मील दूर पड़ती है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, उनका जीवन व्यतीत होना असंभव हो गया है।

दूसरे, मलेरिया का प्रकोप उस जगह इतना जबर्दस्त है कि उस एरिया के अन्दर कोई ३० साल का व्यक्ति नजर नहीं आयेगा...

**एक आवाज** : आप कहां रहते हैं ?

**श्री लक्ष्मीचन्द** : मैं उस जगह से २० मील दूर रहता हूँ।

( हंसी )

उस जगह हर वक्त इन्सान बीमार होता है और उनको पूरी मेडिसिन नहीं मिलती है। मेडिसिन की व्यवस्था किसी प्रकार से सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। उन लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार की तरफ से किसी किस्म की....

( किसी माननीय सदस्य के बीच में बोलने पर)

बीच–बीच में टोकने की चेष्टा न करें।

इस प्रकार से उन लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उन लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। हमारे यहां कहा गया है कि 'सबसे पहला सुख निरोगी काया'। सब सुखों से यह सुख बड़ा है कि शरीर स्वस्थ हो। उस स्वास्थ्य के लिए सरकार ध्यान नहीं देती है। स्वास्थ्य के लिए डिस्पेन्सरी खोलना नहीं चाहती। सरकार उन लोगों के जीवन के लिए कोई उपाय नहीं सोचती है तो राजस्थान के स्वस्थ नागरिकों का निर्माण कैसे होगा ? वहां के नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए। उस स्थान पर पैदा होने वाले जो हैं उनको आगे बढ़ाने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के आगे किसी जगह की सुनवाई करने की फुरसत नहीं मिलती है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस जगह की जनता का किस तरह से निर्वाह हो। उस जगह की जनता का पूरा ध्यान नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिए जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि जनता के लिए पैसे की समस्या नहीं अटकावें। वहां की जनता के लिए मैं यह कहूंगा कि उसको पैसे से नहीं अटकावें और डिस्पेन्सरी खोलेंगे। वहां की जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार को विशेष सोचना है। उस जगह की जनता पैसा देने के लायक नहीं है तो सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि डिस्पेन्सरी खोले, शहरों में सब मोहल्लों में सहूलियत दी जाती है। मैं यहां इस चीज़ का विरोध नहीं करूंगा कि शहरों में सहूलियत क्यों दें। सब को देना चाहिए। लेकिन ऐसे इलाकों को इग्नोर क्यों किया जाता है कि जहां पर १००, १०० मील के अन्दर कोई डिस्पेन्सरी नहीं हो ! अध्यक्ष महोदय, सदन का ज्यादा समय नहीं

( श्री लक्ष्मीचन्द )

लेते हुए इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस एरिया में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार करें।

**श्री अध्यक्ष** : समय की व्यवस्था बता दूं कि ४॥ बजे तक इस मांग पर कटौती प्रस्तावों पर बहस चलेगी। करीब १ घंटा कांग्रेस पक्ष वालों को दिया जायगा और आधा-आधा घंटा जो विरोधी पक्ष के सदस्य हैं उन लोगों को दिया जायगा। उसके बाद में इसका सरकारी पक्ष से उत्तर कल दिया जायगा।

**श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस तरह का है कि उदयपुर जिले में ऋषभदेव जी के अस्पताल में डाक्टर तथा दवाइयों की अव्यवस्था के बारे में विचार करने का है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन का ध्यान इस ओर दिलाना है कि यहां पर आदिवासी लोग अधिक रहते हैं और उनकी संख्या अधिक मात्रा में है। माननीय अध्यक्ष, मैंने आपके द्वारा इस सदन का ध्यान समय समय पर इस इलाके की ओर दिलाया है, लेकिन अभी कुछ और दिला देना चाहता हूँ कि इसमें जो आदिवासी एरिया है, उस एरिया में औषधालय बहुत कम खोले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि आबादी और जन संख्या और क्षेत्र को देख कर औषधालय खोलें तो हमारी राज्य सरकार को कोई नीति अख्त्यार करनी चाहिये और खास करके पिछड़े हुए इलाके के लिए कोशिश करनी चाहिये ताकि वहां के इलाके के हर गांव के लोगों को मलेरिया, नाहरू जैसी बीमारी होती है उनकी रोक थाम के लिए सरकार कोशिश कर सके। अध्यक्ष महोदय, नाहरु के लिये सरकार आज तक कोई कोशिश नहीं कर सकी है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिये। इस इलाके में नाहरु ऐसी बीमारी है जो एक घर में या यों कहूँ कि हर घर में कम से कम एक आदमी इस बीमारी से पीड़ित रहता है। इस वजह से इस इलाके में यदि नाहरु के इलाज की व्यवस्था की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक किसान का उदाहरण दूं। किसान वहां पर खेती करते हैं उनकी संख्या किसी घर में ८ होती है और उनमें से एक बीमार पड़ जाता है तो एक उस बीमार की सेवा में लगा रहता है और दूसरे व्यक्ति जो बचते हैं वे खेती करते हैं। इसलिये उनकी कमाई में बाधा पड़ती है। खेती के समय में वे बीमार पड़ते हैं तो खेती की आय में बहुत कमी हो जाती है। इस वजह से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। वास्तव में इस इलाके में कोई ऐसा औषधालय नहीं है, एक तहसील में कम से कम एक औषधालय तो होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ा काटेड़ा एक छोटी तहसील है उसमें एक ही डिस्पेन्सरी है। इसके उधर माहडी गुर्ले महाद में भयंकर जंगल है और पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है और हर गांव के लोग बीमारी से परेशान रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ ऋषभदेव जी के औषधालय के बारे में। वहां साल में ६ महीने तक औषधालय बंद रहता है। उसमें डाक्टर भी बराबर नहीं भेजे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी मेले का टाइम थां। अध्यक्ष महोदय, ऋषभदेव जी एक कस्बा है जहां पर ३००० की जन संख्या है। होली के ठीक

( श्री लक्ष्मण होरात )

८ दिन बाद वहां मेला लगता है और करीब १ लाख लोग उस मेले में इकट्ठे होते हैं। ऐसे मौके पर भी इस साल वहां पर डाक्टर नहीं आया और गया भी तो मेले के दूसरे दिन पहुचा। मंत्री जी से टेलीफोन कराया और उप मंत्रीजी के यहां से भी टेलीफोन कराया, वहां के लोगों ने अर्जियें दीं और डेपुटेशन भी भेजा, वे लोग पी. एम. ओ. से मिले लेकिन फिर भी एक दिन के लिए डाक्टर भेजा जो वहां से वापिस चला आया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप की मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास कर ऐसे इलाके में डाक्टर नियुक्त करना चाहिये। दूसरा सवाल बड़े बड़े कस्बों के लिये यह है कि वहां पर कई डाक्टर मिल जाते हैं, लेकिन जहां पिछड़ा इलाका है और जहां छोटे गांव हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान में कहा है कि हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा गांवों में रहने वाले किसानों और आदिवासियों की ओर जाता है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार औषधालयों के लिये उतनी कोशिश नहीं करती जितनी उसको करनी चाहिये।

मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं यदि गांवों में जाने के लिए डाक्टर लोग तैयार नहीं हैं तो उनको स्पेशल अलाउन्स देना चाहिये ताकि वे लोग वहां जाकर रहें। हमारी सरकार के सामने समस्या आती है कि लोग वहां पर जाते नहीं हैं, वे इसलिये नहीं जाते हैं कि उनको स्पेशल अलाउन्स नहीं मिलता है, इसलिये सरकार उनको अलाउन्स दे ताकि पिछड़े हुए इलाकों में वे जमकर रहें और पिछड़ी जाति के लोगों का इलाज कर सकें।

मलेरिया के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उदयपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें से १०० में से १० आदमी मलेरिया से पीड़ित रहते हैं और उन १० में से ५ उससे मरते ही हैं। इसको हमारी सरकार ने और सबने माना है ऐसा मालूम पड़ता है। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अब, अध्यक्ष महोदय, एक बात और माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं आदिवासी इलाके के बारे में कि यदि वहां पर जड़ी बूटियों से इलाज हो सकता हो तो वहां पर बहुत से जंगल हैं जिनमें जड़ी बूटियें उपलब्ध हो सकती हैं। इस ओर भी ध्यान दें और अच्छे जानकार आदमी को रखकर देशी दवाइयों को बांटा जाय तो मलेरिया और नाहरु जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है और वहां के लोगों को फायदा हो सकता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का अधिक समय नहीं लेकर इन शब्दों के साथ अपना कटौती प्रस्ताव है उस ओर हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। गोगुन्दा तहसील में भी एक ही डिस्पेन्सरी है। गोगुन्दा में करीब ५०,००० व्यक्ति रहते हैं ५० हजार की आबादी में एक से अधिक डिस्पेन्सरी होती तो उसके लिये बड़ी खुशी होती। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जहां बड़े बड़े शहर हैं वहां हजारों डाक्टर हैं और तरह तरह की व्यवस्था है तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव आपकी इजाजत से सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अब मैं नम्बर से ले लेता हूं।

( श्री अध्यक्ष )

श्री जनार्दनराय नागर ।

( अनुपस्थित )

श्री तनसिंह ।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है कि बाड़मेर में जो व्यवस्था चिकित्सा विभाग की ओर से है वह अपर्याप्त है और इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेरा कटौती प्रस्ताव है ।

कुछ अर्से पहले अस्पताल के सिलसिले में मांग को लेकर आन्दोलन चला था और कुछ लोगों ने ११ दिन के लिये भूख हड़ताल की, ७-८ व्यक्ति जेल गये तब जाकर सरकार ने आश्वासन दिया था। आश्वासन गोलमाल था लेकिन जो आश्वासन होता है उसका महत्व होता है, अर्थ होता है और उसकी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन खेद इस बात का है वह आश्वासन भी पहले की भांति गोलमाल है। हमने इस दौरान में मंत्रीजी से मिलने की कोशिश की और मालूम किया तो उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला है। जैसे एक गर्भ में बच्चा है उसके लिये कहा नहीं जा सकता कि लड़का है या लड़की है, इसी तरह का मंत्रीजी का जवाब है होगा जरूर। हम भी यह मानते हैं कि वहां की पॉपुलेशन २०,००० की है। आज से १० वर्ष पहले २,३ हजार की आबादी कम होगी बल्कि जब अस्पताल प्रारम्भ हुआ था उस समय से अब तब खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम भी यह मानते हैं कि ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ होना चाहिये, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार तब जागती है जब कि जगने के लिये उसको मजबूर होना पड़ता है। जब आन्दोलन चला तब सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब समय आ गया जब कि उसे पूरा करना चाहिये ।

२.१८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसका कम्पेरिज़न आसपास के जिलों से करूं तो जालौर, पाली, सिरोही आदि समान जिले हैं, उनसे यदि बाड़मेर की तुलना करें तो हमें प्रतीत होगा कि बाड़मेर को सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रखने में मंत्रीजी का हाथ है। जालौर में ६ डाक्टर रखे हैं और वहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर रखा है डी. एच. एम. ओ. का। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वहां के लोगों ने दिलचस्पी ली और कुछ रुपया वगैरह प्रदान किया है, इस कारण सरकार ने वहां पर अस्पताल खोलने में मुस्तैदी दिखाई है। मैं निवेदन कर दूं कि यह सरकार की मुस्तैदी नहीं है बल्कि स्थानीय जनता ने सहयोग दिया, उसके कारण हुआ है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां की स्थानीय जनता गरीब है, वहां पर सरकार का उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जाय। इसके अतिरिक्त वहां पर फीमेल वार्ड खोला गया है, उसके लिए वहां की जनता ने लगभग २० हजार रुपया दिया है, लेकिन न तो अभी तक वहां नर्स है और न लेडी डाक्टर ही वहां स्थाई रूप से आ सकी है। इसके साथ ही कम्पाउन्डर्स की इतनी संख्या नहीं है जो बढ़ती हुई मरीजों की तादाद का मुकाबला कर सके। मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस ओर सरकार का बार-बार ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और सरकार को परिस्थिति से अवगत कराने पर भी सर-

(श्री तनसिंह)

कार की ओर से कोई व्यवहारिक और ठोस कदम जल्दी नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि ज्यादा न कह कर थोड़े शब्दों के साथ जो तथ्य मैंने रखे हैं, उन तथ्यों के आधार पर माननीय मन्त्री जी कदम उठाने में जल्दी करेंगे। वैसे मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय भी इस ओर कदम उठा रहे होंगे। इस सम्बन्ध में जल्दी करें ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके और पिछड़े हुए इलाके में जो आवश्यकताएं अब तक पूरी नहीं की जा सकी हैं, उनको पूरा किया जा सके। मैं इतने शब्दों के साथ सदन का समय बचाते हुए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह मेडीसिन और डिसपेन्सरी, के बाबत रखा है। माननीय उपाध्यक्षजी, भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद सब लोगों को यह आशा थी कि जो छोटे छोटे राज्यों में नवाब हैं, उनके जमाने में मेडिकल फेसिलिटीज़ नहीं मिलती थीं, उस राज्य के एक समूह में मिल जाने से मेडिसिन और इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि उन राजाओं और जागीरदारों के टाइम में मेडिकल डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था थी, आज उसकी १/४ व्यवस्था नहीं है। इसके मिसाल के तौर पर, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं माननीय मिनिस्टर साहब को कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं। मेरे खुद के यहां उनियारा में एक डिस्पेन्सरी थी जो वैल इक्विप्ड थी और उसमें माइक्रोसकोप इत्यादि की व्यवस्था थी और उस डिस्पेन्सरी के लिए मेरे यहां से बजट के अन्दर तीन हजार रुपये मेडिसिन आदि के लिए रखे जाते थे। आज आप उस टाइम को देखिये और इस टाइम को देखिये, लेकिन आज दिन भी १ हजार रुपया मेडीसिन के लिए रखते हैं और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इतना रिडक्शन किस आधार पर करती जा रही है! इसी तरह से अलीगढ़, जो मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में है, के अन्दर जो डिस्पेन्सरी हैं, उसमें नवाब के टाइम के अन्दर बहुत इक्विप्मेंट थे, लेकिन आज उसके लिए सिर्फ ६०० रुपया रखा है, जिसके लिए पहले दो हजार का बजट रखा गया था। मेरी समझ में नहीं आता जब इस युग के अन्दर लोग इस बात को महसूस करते हैं कि नवाब और राजाओं के जमाने से ज्यादा सुविधाएं आज मिलनी चाहिए, तो सरकार उनको आज इतना दुःख क्यों दे रही है? सरकार के प्रति जो भावना इस वक्त उस इलाके में उत्पन्न हो रही है, उससे महसूस होता है कि एलानी लोग यह कह रहे हैं कि इससे तो पहले ज्यादा अच्छे थे, माननीय उपाध्यक्ष जी, ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाहर हाउस के लोग क्या कह रहे हैं, इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मैं तो....

**श्री उपाध्यक्ष** : हम वाद–विवाद के नियमों का पालन कर रहे हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दवा के आंकड़े निश्चित करने के लिए कोई आधार होना चाहिए या तो

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

मरीजों की संख्या के ऊपर या वहां की आबादी के ऊपर, या किसी और चीज के आधार पर हमें आंकड़े निर्धारित करने चाहिए। मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो डिस्पेन्सरी है, वह लाखों रुपये की डिस्पेन्सरी सरकार को हस्तान्तरित की उस डिस्पेन्सरी की आज यह हालत हो रही है कि आज चार वर्ष हो गये, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वहां के डाक्टर बार बार दरख्वास्त करते हैं कि बिल्डिंग गिर रही है, पट्टिया टूट रही हैं, अगर गिर जायेंगी तो सरकार को फिर से नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उनियारा की जो डिस्पेन्सरी है वह ६० साल पहले से बनी हुई है, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसा भी मरम्मत पर खर्च नहीं किया है। इसी तरह से अलीगढ़ डिस्पेन्सरी है।

मैं एक और बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब १६ जून, १९५४ को मेरा ठिकाना हस्तान्तरित हुआ, उस वक्त मेरे यहां की दो तहसीलों को दूनी में मिला कर एक तहसील बना दी। उस तहसील में ३०, ४० हजार आदमियों की आबादी है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं कि वहां मेडिकल फेसेलिटीज़ नहीं हैं। मेरे पास उस वक्त आपके यहां से यह सूचना आ गई थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वहां पर डिस्पेन्सरी खोल दी जायगी लेकिन आज दिन तक वहां डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई है। मैंने डेवलपमेंट कमेटी के अन्दर भी कलेक्टर की सिफारिश कराके यहां पर भेज दी थी बल्कि यह भी वादा कर लिया था कि अगर बिल्डिंग नहीं मिलती है तो बिल्डिंग प्रजा देने के लिए तैयार है लेकिन आज दिन तक डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई है। वहां की जनता का यह हाल है कि ३० मील तक कोई मेडिकल एड नहीं है। मैं अभी १७ तारीख को उस इलाके में जाकर आया हूं। जब आमा सामा लोग लड़ते थे, तब किसी ने पास में खड़े एक बच्चे के पेट में कुल्हाड़ी मारी, उससे उसकी आंत निकल गई। उस गांव में से मेरे बारे में सुन कर वे मेरे पास आये, मैं उसको पुलिस स्टेशन ले गया, वहां न तो थानेदार मौजूद था और न कोई सिपाही मौजूद था और न ही मुंशी मौजूद था। अब न वहां पर मेडिकल एड मिलती है और न कोई यातायात का साधन है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी को कहता हूं कि मैंने उस बच्चे को देवली भेजा। उस बच्चे की हालत ऐसी हो रही थी कि अगर वहां डिस्पेन्सरी होती और फौरन मेडिकल एड मिल जाती तो वह ठीक हो सकता था। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, वह इन दोनों जगह मेडीसिन की व्यवस्था के लिए है, इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। दूसरे जहां मेडिकल एड की मद में रकम काटी जा रही है, उसका प्रोवीजन करना चाहिये। इसके अलावा एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों डिस्पेन्सरियों में, मेरे वक्त में, ६ बैड थे और अलीगढ़ के अस्पताल में चार बैड थे। उसके लिए मुझे सूचना मिली है ( घंटी ) कि वे बैड हटा दिये गये हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करता हूं कि आप यह समझिये कि उनके लिए जितनी ज्यादा मेडिकल की व्यवस्था करेंगे, उतनी ही उन लोगों की दुआ से आपकी भी तन्दुरुस्ती ठीक हो जायगी।

**श्री भैरोंसिंह** : On a point of

( श्री भैरोंसिंह )

information, आज से लगभग चार दिन पूर्व भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ भाषण दिया था और उस सम्बन्ध में मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव इस सदन में रखा था। मैं आशा करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष, अपनी रूलिंग पर, जिसे आपने रिज़र्व रख रखा है, आज निर्णय देंगे। यह सदन आपके निर्णय की प्रतीक्षा में है।

**श्री उपाध्यक्ष :** I assure the Hon. Member that it may be declared today or tomorrow. Yes. Hon. Member in my front.

श्री धन्नालाल हरित।

**श्री मूलचन्द डागा :** माननीय उपाध्यक्ष, कट मोशन नवम्बर से लिये जा रहे हैं, या कुछ समय निर्धारित किया जा रहा है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं सदन की सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि मुझे नाम दे दिये गये हैं दोनों पक्षों की ओर से। ऐसी स्थिति में नवम्बर से लिये जाने का प्रश्न नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा :** उसमें कौन कौन हैं, यह मालूम हो जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** लिस्ट लम्बी-चौड़ी है। मैं इतना बता दूं कि विरोधी पक्ष के ३० सदस्य हैं और इधर के ४० हैं। ट्रेज़री बैंचेज़ के लिए एक घंटा है और इधर के लिए डेढ़ घंटे का टाइम है।

**श्री मूलचन्द डागा :** उपाध्यक्ष महोदय.......

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था कर दी है, उसके अनुसार बोलने की व्यवस्था ठीक है।

**श्री मूलचन्द डागा :** कट मोशन जिस तरह रखे हैं, उस तरह बोलने का मौका दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह :** जितनी भी पार्टी हैं उन सबको बोलने का मौका दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** You want that I should proceed with serial number? The House agrees to this ? (श्री धन्नालाल हरित की ओर संकेत करके) You will resume your seat.

(विराम)

श्री रघुवीरसिंह।

**श्री रघुवीरसिंह** (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चिकित्सा और औषधालय विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव रखा है और यह कटौती प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा है कि आज औषधालय और चिकित्सा विभाग को देखने से मुझे यह अनुभव होता है कि औषधालय और चिकित्सा रोगियों के लिए न होकर हमारी बेकारी की समस्या को मिटाने के लिए है। ऐसा मुझे यह बजट देखने से अनुभव होता है।

मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे आयुर्वेदिक औषधालय जो राजस्थान सरकार ने खोले हैं, उनमें २५ रुपया मासिक की दवाई की व्यवस्था है, जब कि उनके स्टाफ का पर्सोनेल का बजट २०० रुपया महीने का है। अब विचार करने का विषय है कि यह मान लिया जाय कि आयुर्वेदिक औषधियां सस्ती होती हैं, क्योंकि देश में ही बनती हैं, पर २५ रुपया मासिक की औषधि से कितने मरीजों का इलाज हो सकता है? यह

(श्री रघुवीरसिंह)

तो माननीय मन्त्री महोदय खूब जानते होंगे जिनकी खुद की औषधियों का महीने का बजट कई सौ रुपया पर पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस रवैये से हमारी आयुर्वेदिक पद्धति को बड़ी भारी चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां सहज उपलब्ध नहीं हो सकतीं, नुस्खा लिख कर बाहर से मंगवा नहीं सकते इसलिए अधिकतर वैद्य एलोपैथिक मेडिसिन्स को काम में लेने लग गए हैं, इन्जेक्शन्स देने और एलोपैथी की दवाइयां देने की ओर वैद्यों का ध्यान बढ़ रहा है और आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ लोगों के दिलों में अश्रद्धा पैदा हो रही है। इसलिए अश्रद्धा पैदा नहीं हो रही है कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियों में गुण नहीं बल्कि इसलिए कि वे उपलब्ध नहीं हो रही हैं, इसके लिए न सरकार की ओर से प्रबंध है और न औषधालयों में मौजूद रहती हैं। अब वैद्य लोग क्या करें, उसको नुस्खा लिख कर दें तो बाजार में मिलती नहीं और वैद्यों के पास दवाइयां हैं नहीं। अगर हिसाब लगाया जाय तो २५ रुपये मासिक में एक मरीज का इलाज होना भी सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समझना कि २५ रुपये में एक औषधालय एक महीने तक चले तो इसके लिये मैं इसके सिवा और क्या कहूं कि यह तो प्रबंधकों की अक्ल का दिवालियापन है।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें केवल आयुर्वेदिक औषधालयों का ढिंढोरा ही नहीं पीटना है कि हमने इतने आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये हैं। हमें यह नहीं करना है, हमें इनका वास्तविक उपयोग उठाना है। हम २०० रुपया मासिक स्टाफ पर खर्च कर रहे हैं और औषधियों पर केवल २५ रुपया मासिक खर्च कर रहे हैं तो हम २०० रुपया मासिक का वेस्ट करते हैं इन रुपयों का उपयोग करना है तो मैं यह निवेदन करूंगा और इसी आशय से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं आपकी मार्फत माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि २५ के स्थान पर २०० रुपया मासिक की औषधियों के लिये रकम रखें, तब तो आयुर्वेदिक औषधालय चलाना ठीक होगा नहीं तो इनको बन्द कर देना ही अच्छा होगा। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामकरणसिंह।

**श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि तहसील कोटपुतली में जब से राजस्थान बना है, ठिकाने से कोटपुतली राजस्थान में आया है तब से आज तक वहां डिस्पेन्सरी या औषधालय क्या खोले गये हैं

मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से निवेदन करूं कि हमारे यहां केवल कोटपुतली और पावटा में ऐसी जगहें हैं जहां डिस्पेन्सरीज़ चलती हैं, वो स्टेट ठिकाने के समय से तो चलती हैं। पर जब से राजस्थान में हमारी तहसील कोटपुतली आई है तब से अब तक वहां कोई काम हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। पहले ठिकाने के समय में वहां कुछ मूविंग होस्पिटल्स थे जो गांवों में जा जा कर काश्तकारों को दवाइयां दिया करते थे वे भी राजस्थान बनने पर बन्द कर दिये गये। मूविंग होस्पिटल सपने में भी अब तहसील में जाय ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा वहां एड पोस्ट्स थीं उनको भी तोड़ दिया गया। इतनी बातें भी जब हमारी आजादी के टाइम में ठिकाने से राजस्थान में मिलने के बाद हमारे इलाके में नहीं हैं, तो यह एक बड़े आश्चर्य की बात है।

( श्री रामकरणसिंह )

एक चीज जरूर है कि कोटपुतली में केवल यह कहने मात्र के लिये कि कुछ किया गया है, पावटा में ए. श्रेणी का था और कोटपुतली में बी. श्रेणी का था, अब पावटा में ए. के स्थान पर बी. श्रेणी का कर दिया गया है और कोटपुतली में ए. श्रेणी का कर दिया गया है। पर स्टाफ में शायद कुछ ही वृद्धि की होगी, बैड्स मेडिसन्स वगैरह के लिये कभी बीमारों को जाने का मौका मिलता है तो पट्टी के लिये बाजार से कपड़ा लेना पड़ता है, दवाई बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है, बेड्स के लिये जवाब मिलता है कि यहां पर हैं ही नहीं, न नर्स का इन्तजाम है और न बेड्स वगैरह किसी चीज का। दो तीन दिन पहले माननीय मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि वहां की जनता की तरफ से ४०,००० हजार रुपया केवल वहां के औषधालय को अच्छी तरह से चलाने के लिये दिया था, जहां की जनता इस तरह अपने ऊपर भार लेकर मेडिकल एड लेती है, उस जनता के लिये राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार की सहूलियत दी हो, ऐसा प्रतीत नहीं होगा।

ठिकाने के समय में नारेडा, बनेटी आदि एड पोस्ट्स थे, उनको तोड़ दिया गया। एक लाख की आबादी में एक ए. श्रेणी का और दूसरा बी. श्रेणी का चलता है वह भी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। इस आठ नौ साल के टाइम में केवल एक राजकीय औषधालय खुला है दानेल में वह भी किन्हीं राजनैतिक कारणों से। यह जान कर ताज्जुब होगा कि कोटपुतली तहसील में एक भी एड पोस्ट या डिस्पेन्सरी या होस्पिटल नहीं खोला गया है और कई एड पोस्ट तोड़े गये हैं और मूविंग होस्पिटल्स को तोड़ा गया है। ठिकाने के समय में होस्पिटल्स, एड पोस्ट्स, मूविंग होस्पिटल्स की जो सुविधाएं मिलती थीं वो भी नहीं मिल रही हैं, न वेक्सीनेटर्स का इन्तजाम है बैराठ से वैक्सीनेटर पहुंचने का इन्तजाम है। एक लाख जनता के लिये इतने एड पोस्ट, औषधालय पहले थे, उनसे ज्यादा होना तो दूर उतने भी आज नहीं है, एक लाख जनता के लिये सरकार ने किस तरह से नजर बन्द कर रखी है। वैसे तो मन्त्री महोदय खुद जानकार हैं, बांसूर तहसील और कोटपुतली तहसील दोनों लगी हुई हैं, वैसे देखा जाय तो मन्त्री महोदय ने अपनी तहसील बांसूर में कोई अच्छी मेडिकल सहूलियतें दे रखी हों तो वह भी बात नही है। बांसूर में खोलें न खोलें पर हमारे यहां ठिकाने के टाइम में लोगों को मेडिकल फैसेलिटी मिलती थी, मूविंग हास्पिटल्स थे, एड पोस्ट्स थीं, वही फैसेलिटी दे दें, उतनी नहीं दे सकें तो कुछ कम कर के दे दें और टाइम पर मेडिसिन्स वहां मिलती रहेंगी तो वहां की जनता के लिये बहुत लाभप्रद हो सकता है। यह मैंने कटौती का प्रस्ताव केवल इसलिये नहीं रखा कि आपको इस संबन्ध में जानकारी करा दूं बल्कि इसलिये रखा है कि एक लाख पब्लिक के लिये डिस्पेन्सरी कायम करने के लिये किसीभी प्रकार का स्टेप सरकार ने नहीं उठाया।

पिछले दिनों मैंने माननीय मंत्रीजी से अर्ज किया था और माननीय मंत्रीजी ने "सहानुभूति दिखाते हुये कहा उधर मोबाइल पार्टी भेज दी जावेगी। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में गया और जानकारी प्राप्त की तो मुझे मालूम हुआ कि न तो कोई मोबाइल पार्टी आई है न कोई बात। मैंने अपने क्षेत्र में जाने से पहले विभागीय जानकारी प्राप्त की तो मुझे मालूम हुआ कि मोबाइल पार्टी जा चुकी है। लेकिन जब मैं इलाके में जाता हूं

( श्री रामकरणसिंह )

और देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किसी प्रकार की कोई पार्टी वहां नहीं आती है। जब मैं इसके लिये लिखित में देता हूं तो विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता लेकिन कोटपुतली डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आज के युग में हर आदमी यह चाहता है कि उसके घर में जाकर ट्रीटमेंट किया जावे, यह चीज संभव नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास भी आई और गांव में भी पहुंची और माननीय मंत्रीजी के पास भी। मैं यह कहूंगा कि अलग अलग कॉपियें पहुंची। मगर आज के युग में ऐसी चीज तो होगी नहीं कि चाहे किसी को सेटिस्फेक्शन हो या नहीं हो इधर उधर लिख कर उनका मुंह बन्द कर दिया जावे। मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। मैं यह चाहता हूं कि यहां राजस्थान सरकार ने किस प्रकार की फेसिलिटी दी है? माननीय मंत्री महोदय स्वयं बतावेंगे कि राजस्थान सरकार ने क्या फेसिलिटी दी है और आपको मालूम होगा कि १० वर्ष पहले जब यह कोटपुतली ठिकाने के अन्डर में था उस समय क्या सहूलियतें थीं? पहले जब यह ठिकाने के अन्डर में था तो वहां पर कहां कहां एड पोस्ट थे और आज क्या हालत है और कहां कहां आपने औषधालय खोले हैं? यह तो मैं एक तहसील की बात कह रहा हूं जहां १ लाख पब्लिक की आबादी है उसमें आज औषधालय खोला जावे। यह आप कह दें कि कुछ जिला बोर्ड द्वारा औषधालय खोले गये हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि जितने दूसरी तहसीलों में खोले गये उनके मुकाबले में ज्यादा नहीं खोले गये जिससे कि वहां के लोगों की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब दूसरे प्रान्त और तहसीलों में हर प्रकार की सहूलियतें जनता को मिलती हैं तो हमारे कोटपूतली को किसी भी प्रकार से आपको नहीं भुलाना चाहिये। आज भी ९ या १० साल में एक ही औषधालय नहीं खोलना कहां तक उचित है? इसके बाद में किसी भी प्रकार की मेडिकल एड के लिये पहुंच की जाती है तो मेडिकल विभाग की तरफ से...

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, खास कर मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां जितनी फैसिलिटी देनी चाहिये नहीं मिलती है और अगर एक-एक, दो-दो औषधालय भी इन चार स्थानों पर कल्याणपुर कंवरपुरा, नांगल पंडितपुरा और राज नोता जो बीच में पड़ते हैं वहां पर खोला जावे तो बेचारे किसानों को काफी राहत मिल सकती है।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की आलोचना करने के लिये है कि राजस्थान में आयुर्वेद की खोज के बारे में सरकार को जितना प्रोत्साहन देना चाहिये था उतना अभी तक देने में असफल रही है। मैं मानता हूं कि पिछले ३ वर्षों में आयुर्वेद के मामलों में सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के लिये ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था और कोशिश की जाती रही है, लेकिन मेरी यह भी मान्यता है कि आयुर्वेद को ऊंचा उठाने के लिये सरकार द्वारा जो भी कोशिश की जा रही है उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि रिसर्च के लिये भी जितनी आवश्यकता हो उसी दृष्टि से सरकार उसके लिये प्रबन्ध करे। आज रिसर्च के लिये सरकार ने बहुत कम साधन दिये हैं। इसके लिये उदयपुर में कुछ रोगों के अनुसंधान के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। आज से दो वर्ष पहले द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मेरी यह सूचना

(श्री जनार्दनराय नागर)

थी कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद में बहुत बड़ी रिसर्च की योजना बना रही है। राजस्थान सरकार के पास इस संबन्ध में बड़ी योजना है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, माननीय उपाध्यक्ष, यह कहते हुए कि इस योजना के बारे में जितना प्रयत्न किया जाना चाहिये संभवतः नहीं किया गया है। अभी तक जयपुर और उदयपुर में दो तीन रोगों पर प्रयोग करने के लिये रिसर्च किया जा रहा है। हम आयुर्वेद के लिए चिन्तित हैं और कई बार जब कभी इस संबंध में सदन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है आयुर्वेद के संबंध का, उसके ज्ञान और संशोधन और विकास के लिये बार–बार कहते आ रहे हैं। इसका बहुत ही स्पष्ट परिणाम सरकार की नीति का हमारे सामने है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां स्वास्थ्य के लिये कुल मिला कर ६ करोड़ से अधिक राशि रखी गई है वहां पर आयुर्वेद के लिए ४५ लाख रुपया रखा गया है। यदि हम राजस्थान की जनता की मौलिक और परम्परा की चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को मानते हैं और उसके बारे में जागरूक हैं तो उसके समूचे विज्ञान के लिये, उसकी खोज के लिए हमें ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे हम रोगों को दूर कर सकें। आयुर्वेद में रिसर्च के लिये २० या २५ हजार की योजना करना यह कोई संतोषजनक बात नहीं है। हमारी सरकार ने दो जगह रोगों के अनुसंधान के लिये प्रबन्ध किया है उसको इस हद तक यहां संतोष मान लें कि सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च प्रारंभ तो किया है। हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें ठीक तरह से विकास हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इसके लिये काफी धन की आवश्यकता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में आयुर्वेद में रिसर्च के लिये ३० या ३५ लाख रुपये का प्रबन्ध करके एक प्रयोगशाला कायम करनी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद रिसर्च की नीति के संबन्ध में सरकार को स्पष्ट होना चाहिये कि इसमें सरकार क्या करना चाहती है। सरकार को चाहिये कि या तो इसको ठीक तरह से प्रोत्साहन दे और चलाए या आयुर्वेद के रिसर्च के मामलों को बन्द किया जावे। मैं इस बात को पसन्द करूंगा बनिस्पत इसके कि जहां ३०, ४० लाख रुपये रिसर्च के लिये खर्च किये जाने की जरूरत हो वहां पर २५, ३० हजार रुपये खर्च किये जावें। मैं यह मानता हूं कि इन छोटी २ बातों से संतोष करने की स्थिति में हम नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के संबन्ध में राज्य सरकार जल्दी से जल्दी बतादे कि रिसर्च के मामले में उनका क्या विचार है। रोगों के संबन्ध में रिसर्च के लिये कई जगह रिसर्च इन्स्टीट्यूट हैं। जामनगर में है, वहां पर २०, २५ हजार रूपयों का नहीं बल्कि लाखों रूपयों पर उसका खर्चा जाता है यह राजस्थान सरकार जानती है। सरकार का आयुर्वेद के रिसर्च के बारे में ज्ञान, आयुर्वेद की औषधियों को लेकर उसका वैज्ञानिक आधार पर शोधन करने और उसका रोगों पर किस-किस प्रकार का असर होता है, उन रोगों पर प्रयोग चलते हैं। रोग उत्पन्न होने के बाद में रोग की विधि को लेकर और जो निश्चित गतिशील कार्य हैं उनके साथ में रख कर उनको समन्वय करके देखा जाता है और उसमें रिसर्च की जाती है। यह अच्छा होता यदि राजस्थान में बड़ी प्रयोगशाला कायम की जाती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात को सोच रहे थे कि राजस्थान की सरकार २० लाख की योजना आयुर्वेद के

( श्री जनार्दनराय नागर )

अनुसंधान के लिये बना रही है। लेकिन जब यह २०, २५ हजार रुपयों की बात हमारे सामने आई तो हमें बड़ा खेद हुआ लेकिन एक बात की खुशी है कि मामूली सी सही, लेकिन कुछ काम तो हो रहा है। शास्त्रों का कथन है कि यदि ईश्वर का नाम न भी लिया जाए और उसके नाम की ओर हमारा मुख हो जाए तो भी अच्छा है। इसलिये ना कहने से तो यह अच्छा ही है। २०, २५ हजार से या ४० हजार से यह कार्य तो शुरू किया जाए। मगर मैं समझता हूं कि हमारे हित के लिये, हमारी पब्लिक के हित के लिये और आयुर्वेद के हित के लिये यह कहना चाहता हूं कि २०, २५ हजार की धन राशि हमारे आयुर्वेद में वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान करने के लिये ना–काफी है और उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हमें काफी वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान करके नये और अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार यह चाहती हो कि धीरे २ इसके द्वारा एलोपेथिक को रोक सकेगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार को सफलता मिलेगी नहीं।

मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, और उस बात को फिर से वापिस दोहराना चाहता हूं कि आयुर्वेद भारतीय जनता की रक्त चिकित्सा पद्धति है और इसके आज इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टि-कोण से पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। यह कोई दलील नहीं हो सकती है कि चूंकि दूसरी पद्धति भी राज्य सरकार ने ले रखी है इसलिए आयुर्वेद की पद्धति को जितना प्रोत्साहन दूसरी पद्धति को दिया जाता है उतना नहीं दिया जा सकता। सरकार एलोपैथी पर लाखों रुपया खर्चा करना चाहती है, विशाल अस्पताल बनाना चाहती है, एलोपैथी के लिए साज और सामान में लाखों रुपया खर्च कर देगी, लेकिन आयुर्वेद के लिए नहीं। उदयपुर में रिसर्च सेन्टर खोला जाता है लेकिन बिल्डिंग नहीं है, रिसर्च करने वालों को भेजा है तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा कि १००) के अन्दर उनको वेतन मिलता है और २५०) से अधिक नहीं है। आज एलोपेथी में जब रिसर्च करते हैं तो कितने धन की, स्टेन्डर्ड और स्तर की बातें होती हैं। आज आयुर्वेद के लिए, रिसर्च के लिए बिल्डिंग नहीं मिलती। १५ हजार रुपये की बिल्डिंग मिल जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत किया गया। एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के लिए २५-३० हजार की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी के लिए नहीं, बिल्डिंग नहीं दे सकते, स्टाफ पूरा नहीं दे सकते। क्यों नहीं ज्यादा इसके लिए रकम दे सकते ? मैं इस कट मोशन के द्वारा यह भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि सरकार अपना फैसला बतला दे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान के ग्राम्य क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पताल खुलने चाहिए और शल्य चिकित्सा के लिए शल्य केन्द्र होने चाहिए। कहा यह जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कि आयुर्वेद चिकित्सा से रोग निवारण नहीं होता है, मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है कि जिसमें रेंगते चले जा रहे है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक संजीवनी पद्धति है, आशा से ओत प्रोत है और यदि इसको प्रोत्साहन मिला और इसके लिए सम्यक् प्रयत्न हुआ तो अवश्य ही इसके द्वारा सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता

( श्री जनार्दनराय नागर )

तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन न हो, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी जनता के लिए अत्युत्तम है, जब तक इस प्रकार की भावना पैदा नहीं होगी और जो क्षुद्र प्रयत्न सरकार के इस ओर हो रहे हैं, इस ओर तेज नहीं होंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पद्धति की सरकार की ओर से बराबर उपेक्षा की गई है। यह वह पद्धत्ति है जो भारतीय जनता की चिकित्सा का मूलभूत श्रोत थीं। बड़े २ ऋषि मुनियों के ज्ञान और साधना से निकली हुई देशी चिकित्सा पद्धति है, जो भारतवर्ष में सदियों से चली आती है उसके लिए भुलावा देना अन्तरात्मा को भुलावा देना मात्र है। आयुर्वेद का जो कॉज है, कर्तव्य है, सेवा की जो मांग है वह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी लड़ाई है। आज हर बात में विदेशों से चीजें मंगवा कर यहां लागू करने के आदि होते चले जा रहे है। लेकिन हमारी प्रतिभा का क्या हो रहा है ? देश को परम्परा से मिली हुई ज्ञान की जो किरण है उसको उत्साहित नहीं करते हैं। आयुर्वेद रिसर्च के लिए सरकार को बड़ी से बड़ी धन राशि रखनी चाहिए और कोई इसके लिए हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। २०-२५ हजार की योजना से, मामूमी स्टाफ से मामूली योजनाओं से इसका उत्थान नहीं हो सकता। हम चाहते थे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए भारी धन राशि रखते यदि इसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ जाये तो इस योजना में भी परिवर्तन कर देना चाहिए और कम से कम एक करोड़ रुपया आयुर्वेद के विकास के लिए दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बजट में एलोपेथी चिकित्सा पद्धति के एक-एक आइटम के लिए चार-चार, पांच पांच लाख रुपया रखा हुआ है। आयुर्वेद रिसर्च को ४० हजार से शुरू करें यह एक मजाक सा मालूम होता है। मैं सदाशता पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं मामा से तो काणा मामा अच्छा। संतोष के लिए काणा मामा मान लेता हूं। मेरे मामा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं काणा मामा को भी मामा बनाना चाहूँगा। यदि आयुर्वेद में रिसर्च कराना चाहते हैं तो ठीक तरह से शिलान्यास करना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बहादुरसिंह।

**श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या १६ पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। पेश तो मैं चारों को ही करता हूं, लेकिन मैं पहले तीन पर ही बोलना चाहूंगा। वे ये हैं : पहला आयुर्वेद शिक्षण की व्यवस्था राजस्थान इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर लाने पर विचार करने के लिए। दूसरा है, आयुर्वेद कॉलेजों की अव्यवस्था पर विचार करने के लिए और तीसरा है आयुर्वेद की उपेक्षा एवं कम धन राशि स्वीकृत करने पर विचार करने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य के अन्दर आज जो आयुर्वेद की स्थिति है उस पर हमें विचार करना है। देखना यह है कि राज्य के अन्दर, राजकीय स्तर पर दो आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थायें चलाई जा रही हैं; एक जयपुर में दूसरी उदयपुर में। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने आयुर्वेद कॉलेज का शिलान्यास किया था और उस भाषण में उनकी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और निष्ठा थी

( श्री बहादुरसिंह )

लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी श्रद्धा रखते हुए भी आयुर्वेद के लिए जो धन राशि रखी गई है वह बिलकुल अल्प है । आयुर्वेद के लिए एक फर्स्ट क्लास मेडिकल होस्पिटल्स के बराबर भी धन राशि नहीं दी गई है । जब अनुसंधान की बात आती है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि आयुर्वेद में अनुसंधान नही कर रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि यदि अनुसंधान के लिए बड़ी धन राशि निश्चित की जाती और इसके लिए केन्द्र होता तो अत्युत्तम रहता । लेकिन जवाब यह मिला है कि जामनगर में आयुर्वेद अनुसंधान शाला कायम की गई है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर प्रान्त में अलग अलग संस्थायें इसके लिए होनी चाहियें और विशेष राजस्थान में भी । इसलिए यह आवश्यकता है कि हर प्रान्त अपनी अनुसंधान शाला खोले और यह देखे कि आयुर्वेदीय कौनसी कौनसी औषधियें प्राप्त हो सकती हैं और वे किन किन रोगों के लिए लाभप्रद होंगी ।

जहां शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा सा यह निवेदन करूं कि हमने आयुर्वेद कॉलेज खोल दिये हैं लेकिन।वहा पर पर्याप्त साधन और उपकरण की व्यवस्था नहीं है । आप जब आयुर्वेद कॉलेज में जावेंगे तो पता चलेगा कि आखिर यह क्या किया जा रहा है ? न चिकित्सा के लिए व्यवस्था है, न शिक्षण के लिए व्यवस्था है, न शल्य की व्यवस्था है और न होस्पिटल ही है जिससे कि वहां विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हो सके ।

दूसरा शिक्षा के बारे में राज्य सरकार ने क्या किया उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । कहा यह जाता है कि राजपूताना युनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक फैकल्टी शुरू कर रहे हैं । हमारा पड़ौसी प्रान्त है यू. पी., उसमें बनारस युनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक कॉलेज है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यूनानी कॉलेज है और झांसी में आयुर्वेदिक यूनीवर्सिटी है और इतने होते हुए भी वे इडियन मेडिसिन्स बोर्ड द्वारा परीक्षायें करवाते हैं । यहां भी यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि इंडियन मेडि-सिन्स बोर्ड को परीक्षायें शुरू करनी चाहिए ।

अब मैं आयुर्वेदिक विभाग की व्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगा । हमने यह तो पूर्ति कर ली है कि डाइरेक्टर नियुक्त कर लिया, आयुर्वेदिक निरीक्षक भी नियुक्त कर लिये । इससे कोई आयुर्वेद विभाग की व्यवस्था नहीं बैठती । आयुर्वेद की व्यवस्था के बारे में मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार से हम जिलों में एलोपैथी के पी. एम.ओ. और सी. एम. ओ. नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार हर एक जिले में जहां प्रथम श्रेणी की आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ हैं वहां पी. एम. ओ. की तरह नियुक्त करें और उसके अन्तर्गत जो तहसीलें हैं उनमें जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और उस क्षेत्र में आयुर्वेद की जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर सके, किन्तु होता यह है कि हमने यह समझ रखा है कि आयुर्वेद के वैद्य तो केवल स्कूल के अध्यापक हैं ये पढ़ाते कैसे हैं ऐसा निरीक्षण करते हैं । मेरा निवेदन यह था कि इसकी जगह हमें जिला आयुर्वेद अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये जिससे जिलों में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके और उसका आयुर्वे-दिक ज्ञान का उपयोग हो सके ।

३. म० प०

इसी तरह से जो आयुर्वेद के समर्थक लोग हैं उनको एक शंका होती है वह यह कि

( श्री बहादुरसिंह )

उनकी उपेक्षा की जाती है, इसका कारण मैं यह समझता हूं कि जहां हम मेडिकल और हेल्थ विभाग के लिये एक सचिव की नियुक्ति करते हैं वहां हम आयुर्वेद को जब संरक्षण देना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं तो सचिवालय के अन्दर ऐसा विभाजन करना होगा और आयुर्वेद के लिये अलग सचिव नियुक्त करना होगा और उसको केवल आयुर्वेद की जिम्मेदारी दी जायेगी। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह मांग करूंगा कि उनको सचिवालय में आयुर्वेद सचिव की पोस्ट रखनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के बारे में यह भी लोगों को लगता है कि आयुर्वेद के अन्दर अनुसन्धान नहीं होता इस बारे में स्पष्ट निवेदन कर दूं कि आयुर्वेद मौजूदा स्थिति में जो बनता है उसके अनुसार अनुसन्धान करता है। अभी पिछले दिनों की बात है कि सर्पगंधा जो आयुर्वेदिक की औषधि है उसने सारे विश्व को चेलेन्ज किया है। रक्तचाप के लिए यह बहतरीन औषधि है, दूसरी औषधि इसके मुकाबले में अभी तक नहीं आयी है। इसी प्रकार की एक औषधि अशोक की है। एलोपैथी वाले भी आज इस प्रकार की ७० औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों औषधियां भारी मात्रा में विदेशों में जा रही हैं, विदेशी लोग काफी मात्रा में इसको मंगा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने तो इसकी खेती करना शुरू भी कराया है। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की अन्य औषधियां हैं उनकी खोज करें तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि काफी औषधियां निकल सकती हैं।

थोड़ा सा मैं वैद्यों की सेलेरी के बारे में भी निवेदन करूंगा कि आज हम वैद्यों को देते क्या हैं, केवल ६० रुपये मासिक देते हैं और जो एलोपैथी के डाक्टर हैं उसका स्टार्ट हम १२० रुपये मासिक से शुरू करते हैं। वैद्यों को केवल दो रुपया रोज का देते हैं जो आज तो एक गरीब मजदूर को भी दो रुपया मिल जाता है। दो रुपया प्रतिदिन यह एक साधारण सी मजदूरी है, यह मजदूरी देकर हम चाहते यह हैं कि वे ठीक प्रकार से इलाज कर सकें, यह एक अन्याय है। इनसे ज्यादा तो हम प्रथम श्रेणी के जो उप वैद्य हैं उनको तनख्वाह देते हैं....

**श्री मूलचन्द डागा :** वैद्य और डाक्टरों की तनख्वाह में क्या फर्क है, यह भी बतलाइये ?

**श्री बहादुरसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था हमारे यहां आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रसार बड़ा न्यून है। हमें इसके लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि एक वैद्य को जो कुछ दे रहे हैं क्या वह उसके जीवन निर्वाह के लिए या उसकी योग्यता अनुसार वेतन मिलता है या नहीं ? हमें वैद्यों का उतना वेतन जरूर रखना चाहिये जिससे अपना अच्छी तरह से गुजारा कर सकें, ताकि अपनी योग्यता का वे प्रदर्शन कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमने आयुर्वेदिक औषधालय निर्माण के लिए जो धन-राशि रखी है उसमें काफी कटौती कर दी है। जब हम इस दृष्टि से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधालयों को देखते हैं तो दिल में जरा दुख होता है। देशी औषधालयों को स्टेन्डर्ड का औषधालय बनाने के लिए हमें ज्यादा धनराशि स्वीकृत करनी चाहिये।

( श्री बहादुरसिंह )

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह था कि जहां फर्स्ट क्लास आयुर्वेदिक होस्पिटल्स हैं वहां कम से कम १५ बेड्स की तो स्थायी व्यवस्था रहनी ही चाहिये और खास तौर से जयपुर में तो १०० बेड्स की व्यवस्था रखनी चाहिये। आज होता क्या है कि दो रोगी भी किसी आयुर्वेदिक होस्पिटल में रह नहीं सकते।

अब मैं अन्त में धौलपुर में टी० बी० वार्ड्स के बारे में निवेदन करूंगा। धौलपुर के सदर होस्पिटल में टी० बी० का वार्ड नहीं है इसलिये वहां के जो रोगी हैं वे इधर-उधर लोगों के पास इलाज करवाते फिरते हैं, बाजारों में फिरते रहते हैं, इससे लोगों को काफी परेशानी हो जाती है और जो कि रोग-प्रसार में सहायक होते हैं।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट और।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं एक मिनिट।

**श्री बहादुरसिंह** : मैं टी० बी० वार्ड्स के बारे में निवेदन कर रहा था। मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां टी० बी० वार्ड बना दिया जाय और आयुर्वेद की उन्नति के लिए ज्यादा धन-राशि स्वीकृत करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री श्रीभानसिंह।

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप सूची के अनुसार नाम ले रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलग-अलग कटौती के प्रस्ताव आये हैं और जिनके नाम से आये हैं उनको मौका देना पड़ेगा। सूची के अनुसार ही कार्य चल रहा है और वह सीरियल नम्बर से चलेगा, एक पार्टी के सदस्य के बाद दूसरी पार्टी के सदस्य बोलेंगे।

**श्री मनोहर कोठारी** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आती कि जिन लोगों ने कट मोशन्स मूव किये हैं उन सबके कट मोशन्स मूव किये हुए मान लिये गये हैं लेकिन जब तक वे उन कट मोशन्स पर अपने विचार प्रगट नहीं करेंगे तब तक वे कैसे मूव मान लिये जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री श्रीभानसिंह।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के अन्दर आपके द्वारा माननीय सदस्यों को एक महत्व-पूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके जरिये से आज यह कहा जाय कि राजस्थान का मेडिकल डिपार्टमेन्ट आज इर्रेगुलेरिटीज़ के अन्दर स्पेशलाइज्ड किए हुए है। मैं सदन का ध्यान ऑडिट रिपोर्ट ५६-५७ की ओर ले जाना चाहता हूं और जिस किसी भी अफसर ने जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट के इन्चार्ज रहे हैं और जिन्होंने इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी की है। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है उनके खिलाफ माननीय मंत्री महोदय ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अन्त में खत्म करते हुए यह डिमान्ड करूंगा इन मेडिकल ऑफिसरों के अगेन्स्ट में जिन्होंने इस प्रकार के घोटाले किये हैं, जिन्होंने हजारों की इर्रेगुलेरिटीज़ की हैं उनको स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जाय, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना है, जहां हम जनता पर भारी भारी टैक्स लेवी करते हैं उनको कॉन्फीडेन्स क्रिएट करना है। मैं अर्ज करूंगा, कि "The three firms

( श्री श्रीमानसिंह )

thus eliminated, there remained only one firm from wihch the X'ray equipment was purchased."
और १० टेबल ऑपरेशन्स के लिए,

"The specifications had not been decided in advance according to the requirements of the Department and no reasons had been recorded for purchasing different makes of the same article at varying prices "

माननीय उपाध्यक्ष, १२ एम्बुलेन्स कारें खरीदी जाती हैं और वे १ लाख ८३ हजार रुपये में खरीदी जाती हैं और उसके लिए कोटेशन्स मंगाये जाते हैं। उन कोटेशन्स में दो कोटेशन्स आते है, एक तो १४ हजार का और दूसरा १५ हजार का। तो राजस्थान सरकार की नीति यह है कि लोएस्ट कोटेशन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए मगर इस मामले में हाइएस्ट कोटेशन्स को एक्सेप्ट किया और हाइएस्ट कोटेशन्स एक्सेप्ट करने के बाद भी ये रीज़न्स नहीं बताये कि हमने हाइएस्ट कोटेशन्स क्यों एक्ससेप्ट किये ! जो जो एवेलेबिलिटी थीं वे चीजें ले लीं और उनको खरीद लेने के लिए जो रीज़न्स बताये गये कि हरी (Hurry) थी तो इस तरह का मैथड हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने क्यों एडॉप्ट किया, तो उसके लिए फिर यह रीज़न दिया गया कि हम ३१ मार्च तक मनी को युटिलाइज़ करना चाहते थे और सामान की जल्दी से जल्दी डिलीवरी लेना चाहते थे। नतीजा इससे यह होता है कि जिस फर्म से यह सामान लिया जाता है उससे किसी प्रकार सिक्योरिटी डिपोज़िट नहीं करवाई और सामान के लिए था कि उसकी डिलीवरी ३१ मार्च तक दे देनी चाहिए, वह डिलीवरी भी नहीं हुई और जिसको मैं कहने में नहीं हिचकता हूं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने एक फ्रॉड की और उसको माननीय मंत्री महोदय ने निग्लैक्ट किया। इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा है। उन्होंने सप्लायर्स से बिल्स ले लिये और अपने विभाग के रजिस्टर्स में आर्टिकल्स की रौंग एन्ट्री करवाई कि यह सारी चीजें रिसीव हो गईं, मनी सारा ड्रॉ कर लिया और उसको अपनी प्राइवेट बैंक में डिपोज़िट रखा और गवर्नमेन्ट का लगभग १० लाख रुपया प्राइवेट बैंक में डिपोज़िट रखा। फिर उनसे कहा गया कि गवर्नमेन्ट का मनी रिफन्ड कीजिए और फिर उसको रिफन्ड नहीं किया जाता है। उसमें से १ लाख रुपया तो वापिस करते हैं और ६ लाख रुपये का मिस-एप्रोप्रियेशन कहा जाय या क्या कहा जाय, any term can be used with reference to these activities; करीब ६ लाख रुपये को वह खर्च कर देते हैं और १ लाख रुपये को डिपोज़िट कराते हैं और फिर भी गवर्नमेन्ट कोई स्टैप नहीं लेती है और ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका रेफरेन्स दिया है, that a sum of Rs. 1,03 360/-was refunded on the 18 th June, 1956, and the balance was withdrawn for payment to the suppliers.

उन्होंने सप्लायर्स से झूठे बिल्स बनवाये और फिर उन्हीं को ६ लाख रुपये का पेमेन्ट होता है। यह सब किसके अगेन्स्ट होता है, क्यों होता है यह कोई रीजन्स नहीं बताता ! आज जिस तरह से यह डिपार्टमेन्ट जनता की हैल्थ को इम्प्रूव करने जा रहा है और शायद सरकार जो मैडिकल फेसीलिटीज़ देने जा रही है और जिस जनता को हम इन्क्रीज़िंगली टैक्स कर रहे हैं उस डिपार्टमेन्ट के हैड का यह नतीजा है जो फाइनेन्स को स्क्वैन्डर करने का एटीट्यूड

# Page No.83



( श्री श्रीमानसिंह )

है उसकी एग्ज़ाम्पल, फिर आगे यह है कि हमारी गवर्नमेन्ट ऐसे आदमी के खिलाफ कदम उठाने में साइलेन्ट रहती है और एक्शन नहीं लेती और उनको टेलीफोन के जरिये रेगुलराइज़ (regularise) से उल्टा किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह के डिसरिगार्ड, अटर डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स और उस पर कोई एक्शन नहीं। यह बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो हम इकोनोमिक चाहते हैं और दूसरी तरफ हम एक्सट्रावेगेन्स को एनकरेज करते हैं और उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। हर एक चीज गवर्नमेंट की सैंक्शन से खरीदी जाती है, मगर हमारे मैडिकल डाइरेक्टर, 'He is heimselg the Governmemt' शायद यह उनके दिमाग में है, क्योंकि रिपीटेडली जिनको मैं कहूं कि मिसमैनेजमेन्ट, एम्बेज़लमेन्ट या एक्सट्रावेगेन्ट में 'He is a habitual offender'; यह भी मैं टर्म यूज़ करूं तो कम नहीं है। तो सिन्स ही इज़ दी गवर्नमेन्ट, तो कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों वह खरीदना चाहते हैं, किस फर्म से खरीदते हैं कोई पता नहीं। ३ लाख का सामान खरीदा है और गवर्नमेन्ट को इसकी खबर भी नहीं है।

अंत में इतना सब होते हुए भी आखिर कोई इसका टोटल लगाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, मैं मैथेमेटिक्स में बहुत पूअर हूं। मैं टोटल नहीं लगा सकता, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया गया होगा कि हाइएस्ट एम्बेजलमेन्ट कितने रुपये का हुआ है। कहा जा सकता है कि गवर्नमेन्ट की प्रियोर सैंक्शन शायद ले ली है मगर मैं यह मानता हूं कि इतना कहने के बाद माननीय मंत्री महोदय यह कह देंगे कि इन सब पर्चेजेज़ के अन्दर हम मानते हैं कि इर्रेग्युलेरिटीज़ कीं, एक्सरे मशीनें खरीदीं, टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये, सेम्पल्स नहीं भेजे गये, हायर रेट्स पर उनको खरीदा गया, उन्होंने इर्रेग्युलेरीटीज़ कीं, फिर भी सबसीक्वेन्टली मंत्री महोदय इस सबको निग्लेक्ट कर देते हैं। मगर एक चीज है कि क्या इन इर्रेग्युलेरिटीज़ से उनकी मैलाफाइडी प्रूव होती है। शायद नहीं हो सकती हो। मगर मैं यह कहता हूं कि इन इर्रेग्युलेरिटीज़ से उनकी बोनाफाइडी जरूर डाउट होती है। जब उनकी मैलाफाइडी प्रूव नहीं होती और बोनाफाइडी डाउट होती है तो in the name of those people who pay increasing taxes to check these activities and to bring about economy and strict adherence to the rules, I demand, I request the Hon. Minister to bring to book such an extravagant habitual offender as the head of the Medical Department who is not censured by me, but whose activities, whose irregularities, whose purchases have been censured by the Audit Report, 1957, and it has drawn your attention and I have drawn the attention, Sir, of the Hon. Members and also of the Hon. Minister that an action be taken to estatblish the bonafides of this person, a judicial enquiry be instituted. Only then his bonafides can be established, otherwise his malafides are there and are proved.

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

( श्री उपाध्यक्ष )

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम ।

श्री **नाथूराम** ( बागीडोरा ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा सम्बन्धी है। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ एवं आदिवासी क्षेत्र है। उस जिले में हजारों लोग गांवों में रहते हैं और चिकित्सा के लिए वहां अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि उस जिले में जहां कहीं भी औषधालय हैं वहां वे नाममात्र के हैं और वहां पर जितने भी वैद्य लोग हैं उनको सरकार की तरफ से दवा ठीक समय पर नहीं मिलती इससे वह खाली बैठे रहते हैं। इस विभाग की ओर से औषधालयों की विशेष जांच नहीं होती है और जहां तहसील हैडक्वार्टर हैं वहां भी अस्पताल का होना आवश्यक है। हमारे यहां गढ़ी तहसील ऐसी है कि लगभग वहां पर सौ वर्षों से पुरानी डिस्पेन्सरी है। उस डिस्पेन्सरी के अन्दर ठीक दवाईयां नहीं मिलती हैं और उसका मकान भी ऐसा है कि उसको ठीक करवाने के लिए वहां की जनता ने कई प्रार्थना-पत्र भी पेश किये लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई बल्कि उस डिस्पेन्सरी को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस डिस्पेन्सरी को बने रहने देना चाहिए और उसके मकान की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। इस डिस्पेन्सरी के द्वारा लगभग एक सौ वर्ष से गरीबों की सेवा हुई है अत: उसकी विशेष तरक्की की जाये और इसे आगे बढ़ा दिया जाय। विशेष मेरा निवेदन यह है कि जिले भर में एक भी प्रसूति-गृह नहीं है और न आने-जाने के रास्ते हैं और न कोई सुविधा है। इसलिए प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलायें मौत की शिकार बन जाती हैं। मेरा निवेदन है कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक प्रसूति-गृह होना चाहिये। प्रसूति-गृह की आवश्यकता तो बांसवाड़ा में भी सबसे पहले है। जो डिस्पेन्सरी छोटी छोटी हैं वहां दवाईयां भी नहीं मिलती हैं इसलिए विशेष दवाइयां मिलने के लिये मेरा विशेष निवेदन है कि इस वर्ष सरकार की ओर से एक सर्जिकल कैम्प लगा था उसमें लगभग ५०० बीमारों के ऑपरेशन्स हुए थे। वहां पर डाक्टर साहबानों से मैं रूबरू मिला उस समय उन्होंने कहा कि यह ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि यहां जैसे हमें मरीज मिले हैं वैसे दूसरी जगह नहीं मिले। वहां ५०० ऑपरेशन्स हुए फिर भी कई मरीज़ लोग जिले में रह गए। सो मेरा नम्र निवेदन है कि हर साल वहां पर सर्जीकल कैम्प होना चाहिए ताकि पिछड़े हुए क्षेत्र में जो निर्धन लोग इलाज कराने के लिए दूर स्थानों में नहीं जा सकें उनको विशेष फायदा हो सके। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि बांसवाड़ा प्रोपर में एक हास्पिटल है, उसके लिये बहुत ही कम दवाईयां मिलती है। उस जिले की आबादी को देखते हुए बहुत ही कम दवाईयां मिलती हैं। लगभग साढ़े तीन लाख मनुष्यों की आबादी है। सारे जिले भर में एक हॉस्पिटल है। उसमें भी दवाईयां कम मिलती हैं। इसलिए आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां पर दवाइयों की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, जहां आने जाने के रास्ते नहीं हैं, वर्षा के दिनों में तो यह जिला एक टापू सा बन जाता है, इसलिए अधिक से अधिक दवाखानों की स्वीकृति

( श्री नाथूराम )

फरमावें, क्योंकि बीमारियों के वक्त तो कई लोग जानवरों से भी बुरी स्थिति में एवं अधिक तादाद में मरते हैं। इसलिए आवश्यक व्यवस्था के लिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

श्री तेजाराम : ( सोजत ) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव है :

"to discuss the insufficient allotment of money for diet and medicines."

माननीय उपाध्यक्ष, आज मेडिकल का जो २,३३,७३,०००) रु० का बजट पेश किया जा रहा है उसके अन्दर जो डिस्पेन्सरीज़ हैं उनका जो टोटल बजट रखा है, वह ७४,५० ०००) रु० का है, परन्तु उस सारे बजट में मेडिसिन और ड्रग्ज़ के ऊपर जो, प्रोवीज़न रखा है वह केवल १३,५०,०००) रु० का सारे राजस्थान के लिए है। मैं अपनी सोजत डिस्पेन्सरी का किस्सा सुनाऊं। वहां पर पहले न खाने के लिए बजट था और न दवाइयों के लिए। जरूरत के मुआफिक सरकार से दवा भी भेजते थे और खाने के लिए पेशेन्ट्स पर खर्चा होता था तो वह शासन के बजट से मीट आउट होता था। लेकिन गत वर्ष जो है सोजत डिसपेन्सरी में खाने का बजट रखा ६००) रु० जहां अगस्त से पहले-पहले करीब ४००) रु० का खर्च हो चुका था। जब अगस्त में बजट सेन्क्शन होकर आ गया तो अगस्त के बाद से लगातार तीन चार महीनों से देखा जाता है कि हर महीने ५०) रु० से कम डाइट पेशन्ट्स को दी जाती है, क्योंकि उन्हें ६००) रु० में पूरा साल निकालना होता है। अब उपाध्यक्ष महोदय, उस ४०), ५०) महीने की डाइट के लिए सरकार की ओर से एक रसोइया रखा हुआ है जिस रसोइये को सरकार ५०) रु० तनख्वाह और महंगाई के देती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सोजत डिस्पेन्सरी आज कम से कम १२ बैड की डिस्पेन्सरी है, उसके लिए ६००) रु० की डाइट का एलॉटमेंट रखा है, वह बहुत ही कम एलॉटमेंट है। डाइट का एलॉटमेंट फिक्स नहीं होना चाहिए। जो गरीब पेशेन्ट्स हैं तो डाइट देना सरकार का फर्ज हो जाता है। इसलिए डाइट का बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो कि जरूरत के मुताबिक घट और बढ़ सके।

उसके अलावा मेडिसिन सप्लाई होती है। पेटेन्ट मेडिसिन ज्यादा आ जाती है और मिक्शचर, जो अमूमन डाक्टर लोग हर पेशेन्ट को देते हैं, वह बहुत ही कम आता है। इस लिए पेटेन्ट मेडिसिन डिस्पेन्सरी में ज्यादा न भेजें। पेटेन्ट मेडिसिन वाले अमीर लोग होते हैं वे तो बाजार से ही मंगा सकते हैं। गरीब लोगों को मिक्शचर की आवश्यकता होती है; वह शफाखाने में ज्यादे से ज्यादे सप्लाई किये जाने चाहिए।

खरीदने का जहां तक ताल्लुक है वह मार्केट से से खरीदी जा सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सप्लाई करते हैं उन लोगों को उसके अलावा भी जो मिक्शचर या दवाइयें हैं वह डाक्टर लोग अपने यहां से खरीद सकें और जरूरत के मुताबिक ही ली जायं तो अच्छा रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डाइट के ऊपर एलॉटमेंट फिक्स नहीं करके जरूरत के मुआफिक डिस्पेन्सरी में रखा जाय, और मेडिसिन्स भी पेशेन्टस के नम्बर के मुताबिक उनको सप्लाई की जानी चाहिए। यह मेरा सरकार से निवेदन है।

**श्री शिवचरणदास** (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव चिकित्सा की सुव्यवस्था नहीं होने पर विचार करने के हेतु प्रस्तुत हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके लिए हमारी सरकार काफी, किसी तरह से, कितनी भी रकम बजट में रखे, लेकिन आज देहातों के अन्दर जिस ढंग से इस विषय में प्रगति कर रहे हैं वह इतनी ढीली नीति के साथ है कि देहाती जनता को आज शहरों में बनवाये गये अस्पतालों से गये बीते ढंग के ऊपर रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां अलग से बहुत कम डिसपेन्सरीज़ देहातों के अन्दर खोली गई हैं और वे इतनी दूर हैं कि देहातों के गरीब नागरिक वहां जाकर अपना उपचार नहीं करा सकते हैं, और किसी ढंग से वे पहुँचते भी हैं तो ऐसी डिस्पेन्सरीज़ के अन्दर दवाइयों की ऐसी सुव्यवस्था नहीं है कि जिनसे उनको किसी भी रोग के लिए पर्याप्त औषधियां मिल सकें ।

मैंने इस विषय में एक प्रश्न भी रखा था और उसके उत्तर में सरकार की तरफ से कहा है, लेकिन वह उत्तर ऐसी दिलाई और इस ढंग से आया है कि जो मेरा प्रश्न था उसके अनुसार उसका पर्याप्त उत्तर नहीं है । वह यह था कि वहां की जनगणना के अनुसार क्या ये दवाइयां पर्याप्त हैं ? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बजट में है वे दवाइयां हम दे देते हैं । लेकिन अकसर वहां ये शिकायतें रहती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो छोटे २ रोग हैं, जैसे मलेरिया या दस्त वगैरह की, ऐसी छोटी दवाइयां उन डिसपेन्सरीज़ को दी जाती हैं, यदि भंयकर रोग हों तो उसके लिए कोई भी ऐसे साधन उन गरीबों के लिए नहीं हैं कि जिससे वह साधारणतया वहां अपना उपचार करा सकते हों । वे भी इतनी कम तादाद में दी जाती हैं कि साल भर के रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं । इसके लिए वहां कम्पाउन्डर्स और डाक्टर्स दवाइयां कम तादाद में देते हैं कि जिससे उनका पूरा निर्वाह नहीं होता है । यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कई एक रोगियों को तो यह जवाब मिलता है कि दवाओं का नाम लिख देते हैं और बाजार से लाने का आदेश दिया जाता है कि बाजार से दवा खरीदकर लाओ । जिस आदमी के पास में खाने को पूरा नहीं वह आदमी बाजार से दवा लेकर क्या रोग का उपचार करा सकता है ? तो जो डिसपेन्सरीज़ उन्होंने खोली हैं वे भी इस ढंग की हैं कि औषधियां जनता के लिए नहीं के बराबर हैं । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि सरकार इस तरफ ध्यान देकर कुछ ऐसी डिसपेन्सरीज़ खोले और ऐसी जगह पर खोले कि गरीब लोग अपने पास में ही रोगों को बहुत अच्छा करा सकें और वह भी अच्छे ढंग से करा सकें, बल्कि अगर कोई भयंकर रोग का रोगी वहां जाता है तो वहां पर ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है और उसको मजबूरन अपने घर पर डाक्टर या कम्पाउन्डर को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है । वह भी अगर घर पर बुलाने की मांग करता है तो नियमानुसार उनको फीस देनी पड़ती है । उसको पूरा मालूम नहीं है कि क्या उनकी फीस होती है, लेकिन उससे ऐसे ढंग से फीस मांगी जाती, उपाध्यक्ष महोदय, कि १०–१० या १५–१५ रुपये डाक्टर की फीस होती है । अब सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि खाने को पूरा मौजूद नहीं है तो वह क्या फीस देकर रोग से निवृत्ति पा सकता है ।

तो जहां भी डिस्पेन्सरीज़ खुली हैं वहां इस तरह की अनियमितताएं हैं । कई इतने दूर फासले पर खोली गई हैं जिनसे प्रत्येक

( श्री शिवचरणदास )

गरीब आदमी वहां जाकर पूरी तरह से और ढंग से अपना इलाज नहीं करा सकता। इन सब बातों को लेकर मैं ने यह अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम इस तरफ ध्यान देना अनिवार्य है, आप इस शिकायत का निवारण करें।

**श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव डूंगरपुर एरिया की गरीब जनता को इलाज की सुविधा देने के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि डूंगरपुर ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें रहने वाली गरीब जनता के लिये इलाज का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये, डूंगरपुर में ऐसा होस्पिटल है जिसमें रहने की मरीजों के लिए कम व्यवस्था है। वहां गरीब लोग दूर-दूर से आते हैं और इलाज के लिए भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ कम होने के कारण भर्ती नहीं हो सकते हैं, इसलिये स्वास्थ्य मंत्री जी से, आपके द्वारा, निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में विशेष सुविधा देकर इलाज के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाय। विशेष कर क्या होता है कि ऐसे गरीब जब होस्पिटल में भरती होने जाते हैं तो डाक्टर कहते हैं कि जगह खाली नहीं है, यह कह कर उनको टाल दिया जाता है। इस तरह की नीति होस्पिटल्स में मरीजों की भर्ती के लिए नहीं बरती जानी चाहिये। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले किसी प्रकार से अपने जान-पहचानवालों के द्वारा काम निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटे-छोटे होस्पिटल्स का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे कि दूर-दूर से गरीबों को एक ही जगह नहीं आना पड़े, क्योंकि गरीब क्षेत्र में लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वे अपना इलाज ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोग यों ही बिना इलाज के मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर ऐसा क्षेत्र है जहां चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है और जंगल में रहनेवालों के लिए आवागमन की सुविधा नहीं होने से ये लोग पिछड़े हुए हैं। मैं आपसे थोड़े शब्दों में ही निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान दिया जाय। छोटी-छोटी डिस्पेन्सरीज़ में मामूली दवाइयां दी जाती हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता है, उनमें अच्छी दवाइयों का प्रबन्ध होना चाहिए और डाक्टर तथा दाइयों का भी ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध होना चाहिए।

**श्री विद्यासागर** (फलासिया) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं उदयपुर डिवीज़न की खेरवाड़ा और फलासिया तहसीलों में डाक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये ऐसी तहसीलें हैं जिनमें अधिकांशत: अशिक्षित आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। फलासिया में एक आयुर्वेदिक औषधालय है जिसमें एक वैद्य है उसमें ६०० रु. के करीब की दवाइयें वहां पर आती हैं और इसी तरह फलासिया से ३० मील दूर अम्बावी गांव है जहां समाज कल्याण विभाग का औषधालय है, जहां सिर्फ कम्पाउन्डर है। यह एरिया ऐसा है जहां अधिकांश लोग मलेरिया और नाहरु से पीड़ित रहते हैं और यहां पर डॉक्टर और वैद्यों की बहुत कमी है। जहां तक इस औष-

( श्री विद्यासागर )

धालय का सवाल है यहां पर कम्पाउन्डर ऐसा है जिसको कि १० हजार तक की संख्या लिखनी भी नहीं आती है । यदि आप इसकी जानकारी करना चाहें तो बीमारों का रजिस्टर मंगा कर देख सकते हैं, यह सही है कि उनको संख्या लिखनी नहीं आती । वहां पर ६ महीनों से वैद्य गायब है और उनका पता नहीं है ।

इसके अलावा मैं कोलियार की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें भी ६०० रु० से ज्यादा की दवाइयां नहीं हैं और यहां भी कम्पाउन्डर नहीं है । फलासिया का भी यही हाल है । वहां कम्पाउन्डर कोई नियुक्त है जरूर और उसका वेतन भी वहां से उठता है, हो सकता है कि वह उदयपुर में हो ।

३.३७ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमेन, इसी तरह मंत्रीजी को मालूम है कि ऋषभदेव का मेला हुआ था उसके लिए मैंने दो बार फोन कराया तब जाकर डाक्टर वहां पहुंचा । वहां पर दो महीनों से कोई नहीं था । यह हालत हमारे आदिवासी एरिया की है, जहां अशिक्षित आदिवासी रहते हैं । हो सकता है कि मंत्री जी या सरकार समझती हो कि आदिवासियों को इतनी दवाइयों की क्या आवश्यकता है ? मैं यह मानता हूं कि जयपुर जैसे शहर में १०,००० रु० फूल प्रदर्शनी के लिये खर्च किया जा सकता है लेकिन आदिवासी एरिया के लिए ६०० रु० की दवाइयें एक औषधालय को मिलती हैं यह बड़े दुःख की बात है । इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि पाटिया में औषधालय है । लोगों की ओर से लगातार दरख्वास्तें दी जाती हैं कि यहां पर निमोनिया, नाहरू और मलेरिया की बीमारियां अधिकांशत फैली रहती हैं । सही कारण यह है कि यह एरिया ऐसा है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आने-जाने के साधनों की कमी है, इस वजह से डाक्टर या वैद्य वहां पर जाना नहीं चाहते हैं और यदि कोई चला भी जाता है तो १५ दिन या अधिक से अधिक एक महीने तक रहकर लौट आता है, तो मैं मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस एरिया के लिये विशेष अलाउन्स लागू किया जाय । यह हो सकता है कि उसको देखते हुए डाक्टर लोग वहां जायं । यह एरिया आवागमन के साधन से भी पिछड़ा हुआ है, जहां ६ महीनों तक रास्ते बन्द रहते हैं । यह हालत आदिवासी एरिया की है । मैं मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा की जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी औषधालयों का प्रबन्ध किया जाय और अधिक दवाइयां दी जांय और डाक्टरों की व्यवस्था की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गंगादेवी ।

(अनुपस्थित)

**श्री भीमसेन** ( लूनकरनसर ) : आदरणीय सभापतिजी, इस मांग पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं । पहला प्रस्ताव है कि मेडिकल कॉलेज इसी साल सेबीकानेर में शुरू की जाय । दूसरा मेरा प्रस्ताव है क्रोनिक डिज़ीज़ वार्ड, जो राजस्थान की स्थापना के बाद वहां से उठा दिया था, उसे पुनः चालू किया जाय और तीसरा प्रस्ताव है ५००० की आबादी का गांव सारन उसमें एड पोस्ट शुरू करने के बारे में ।

( श्री भीमसेन )

आदरणीय सभापतिजी, यह खुशी का विषय है कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज इन्क्वायारी कमेटी की सिफारिश को मंजूर फरमाया है और उसकी सिफारिश के अनुसार राजस्थान सरकार भारत सरकार के सहयोग से बीकानेर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का इरादा रखती है। बीकानेर के लोगों के लिये खास तौर से यह बहुत खुशी का विषय है। बीकानेर के लोग अपनी मांग के लिये पिछले कई वर्षों से बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्कीम बीकानेर स्टेट की बहुत पुरानी स्कीम थी। होना तो यह चाहिये था कि यह मेडिकल कॉलेज कभी का बीकानेर में खुल गया होता, लेकिन राजस्थान सरकार की उदासीनता के कारण, मैं यह कहूंगा कि, अब तक बीकानेर को अपने हक से वंचित रहना पड़ा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यह कॉलेज बीकानेर में इस साल से शुरू किया जाय। भारत सरकार, जो भी बिल्डिंग में खर्च लगेगा, उसे, पूरा करने के लिए तैयार है और उसके साथ ही साथ २५ प्रतिशत जो रेकरिंग एक्सपेन्डीचर होगा, वह भी भारत सरकार बर्दाश्त करने को तैयार है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि मेडिकल कॉलेज इस वर्ष बीकानेर में शुरू किया जाय। मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में अभी कुछ समय पहले मुख्य मन्त्रीजीने निवेदन किया था कि हम बीकानेर से फिज़िकल ट्रेनिंग कॉलेज हटाने का निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि वहां बिल्डिंग का अभाव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में सरकारी अथवा गैर सरकारी बिल्डिंग का कोई अभाव नहीं है, वहां पर काफी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं और अगर निश्चित रूप से और ईमानदारी से प्रयत्न किया जाय तो बीकानेर में बिल्डिंग्स का अभाव नहीं है। इस बिना पर कोई चीज हटाई जाय और जोधपुर में, जहां बिल्डिंग का अभाव नहीं है, वहां उस चीज को ले जाया जाय, तो यह बीकानेर के साथ में न्याय नहीं होगा। अभी यह चर्चा सुनने में आ रही है कि वहां से फिज़िकल ट्रेनिंग कॉलेज और बी. एड. कॉलेज हम इसलिये हटा रहे हैं क्योंकि वहां मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार अगर बीकानेर को मेडिकल कॉलेज देती तो वहां मेडिकल कॉलेज कई वर्ष पहले खुल गई होती। एक कमेटी मुकर्रर हुई, उसने बीकानेर के साथ न्याय किया है, तो हम आशा करते हैं कि बीकानेर में मेडिकल कॉलेज इस वर्ष शुरू होगा।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि क्रॉनिक डिजीज़ बोर्ड राजस्थान बनने के बाद बन्द कर दिया है, वह दुबारा चालू किया जाय। जो क्रोनिक डिज़ीज़ बोर्ड था, उसका असिस्टेन्ट हैल्थ ऑफिसर का ऑफिस वहां था। मैं समझता हूं अगर आप सुविधायें अधिक न दे सकें, तो जो सुविधाएं स्टेट के वक्त में थीं, वे सुविधाएं रखी जायं। अब मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्रोनिक डिज़ीज़ बोर्ड राजस्थान बनने के बाद में बन्द कर दिया है, वह पुनः चालू हो।

इसके बाद में बीकानेर होस्पिटल में कुछ रोगों के सम्बन्ध में जैसे मानसिक चिकित्सा, लेप्रोसी और आइसोलेशन चिकित्सा के बारे में कोई प्रोवीज़न नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन रोगों के लिए वह उचित व्यवस्था करे।

तीसरा कटौती प्रस्ताव मेरा यह है कि

( श्री भीमसेन )

सदेड़ा गांव में एड पोस्ट खोली जाय। सदेड़ा गांव के एक फर्लांग, दो फर्लांग, तीन फर्लांग में करीब १२ गांव हैं, जिनकी कुल आबादी पांच हजार की है, इन गांवों में तीस मील के एरिया के अन्दर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो डेज़र्ट एरिया है और जहां ३०-४० मील के एरिया में किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस गांव में एड पोस्ट खोली जाय। इसके लिए गांव के लोग इमारत देने के लिए तैयार हैं और जो भी सरकार सुविधाएं मांगना चाहती है वह देने के लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : डॉ० चन्द्रकला।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया था कि सरकार राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन क्रियाओं को प्रोत्साहन दे रही है, इससे बड़ी आशा हुई हम सबको कि सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को राज्य भर में विकसित करेगी और उससे जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। सभापति महोदय, हम सब यह महसूस करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा सबसे अधिक सरल और सुलभ चिकित्सा है और उस चिकित्सा से अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सकता है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख तो कर दिया लेकिन क्रियात्मक रूप से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मुझे जानकारी करने से मालूम हुआ कि जयपुर में प्राकृतिक चिकित्सालय को कुछ आर्थिक सहायता दी गई है और उसके द्वारा प्राकृतिक ....

**श्री भीभानसिंह** : नेचर क्योर के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, तभी सरकार प्रोत्साहन दे रही है।

**श्री सभापति** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं पैसे की मांग नहीं कर रही हूं। मैं तो बता रही हूँ कि यह व्यवस्था प्रान्त में होनी चाहिए और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये निश्चित रूप से। प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय हमारे प्रान्त में है लेकिन इस विषय में खोज करके, इस चिकित्सा की वैज्ञानिकता पर गम्भीरता से विचार करके इसका अधिक से अधिक जनता में प्रचार करना चाहिए, जिससे जनता इसका लाभ उठाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि प्राकृतिक उपचार की बात अलग है, इसके साथ ही आवश्यकता है कि जनता को प्राकृतिक जीवन किस तरह से बिताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के पीछे अनियमितता और अज्ञानतापूर्ण रहन-सहन होता है। अगर प्राकृतिक चिकित्सालय प्राकृतिक जीवन के इस क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे, तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है।

दूसरा उपचार का साधन है योगासन क्रियायें। यदि भारतवर्ष की संस्कृति, भारतीय विज्ञान पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि योगासन में बहुत बड़ी शक्ति है। योगासन और प्राणायाम हमारे शरीर को निरोग बनाते हैं, हमें दीर्घ जीवी बनाते हैं ...

**एक माननीय सदस्य :** क्या वक्ता महोदया ने इसका अनुभव किया है ?

**डॉ० चन्द्रकला :** सब बातें अनुभव से नहीं बताई जा सकतीं। कुछ क्षेत्र में बुद्धि से भी जाना जा सकता है। मेरा एक प्रस्ताव यह है कि राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसे क्रियात्मक रूप देने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूं सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मेरा दूसरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि राज्य में जच्चागृहों की स्थापना की जाय। सभापति महोदय, हमने बहुत बड़ी जन चिकित्सा के सम्बन्ध में योजना बनाई है। निश्चित रूप से अन्न के बाद हमारे शरीर के लिए चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। इस दृष्टि से सरकार सोचती है, लेकिन सरकार की जितनी योजनायें हैं वे बहुजन हिताय न होकर कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए हैं। इस वजह से जो योजना रखी गई है वह बहुत थोड़े हिस्से तक ही सीमित है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत प्रोत्साहक और उत्साहवर्धक शब्द कहे थे। हमें यह बताया था कि चिकित्सा को हम जनता तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि १४ प्राथमिक स्वास्थ्य गृह स्थापित किये गये हैं। लेकिन इतने बड़े प्रान्त के लिए १४ प्राथमिक स्वास्थ्य गृह का क्या महत्व हो सकता है ? इसके साथ ही ४० औषधालय खोलने की चर्चा की थी। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगी। मुझे मुख्य बात यह कहनी है कि हम इन्फ्लुएन्ज़ा को रोकने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए, क्षय को रोकने के लिए तथा दूसरे दूसरे कम्पेन करते हैं और इन पर बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं। इस बजट में बी. सी. जी. के टीके के लिए ३ लाख रुपये रखे गये हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि ये बीमारियां होती क्यों है, बी. सी. जी. टीके की जरूरत क्यों पड़ती है ? उसका कारण यह है कि हम स्त्रियों की चिकित्सा की तरफ ध्यान नहीं देते। मातृत्व से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों से बच्चों का जीवन बिगड़ता है, साथ ही मां का जीवन भी बिगड़ता है, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा हो, मंत्री महोदय मातृगृह की ओर ध्यान दें। मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम जो औषधालय खोले हैं, उन औषधालयें के साथ कम से कम एक शिक्षित मिडवाइफ या धाय को रखें, जो गांव के लोगों को व्यवहारिक शिक्षा दे कि गर्भवती स्त्रियों का रहन-सहन कैसा हो, जब ऐसी विशेष स्थिति होती होती है, तो उसे कैसे रहना चाहिए ? उनको सब तरह से मदद दे और इसके साथ ही बच्चों के पालन-पोषण की तरफ ध्यान दे तो मातृत्व सम्बन्धी जो बीमारियां हैं, वे बहुत कुछ दूर हो जायंगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस दिशा में हमारी राजस्थान सरकार बहुत उदासीन रही है, हमें यह मानना चाहिए कि स्त्रियां भी देश की नागरिक हैं और देश के जितने औषधालय हैं, जितनी देश की योजनाएं हैं, उनका उनको बराबर लाभ मिलता है, इससे मैं इन्कार नहीं करती। लेकिन उनकी विशेष परिस्थिति है मातृत्व की, जच्चा-बच्चा की, इसकी देखभाल के बारे में हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिये सरकार को एक व्यापक योजना बना कर छोटे २ कस्बों में, हर गांव में इस तरह की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, इसका इन्तजाम जरूर करना चाहिए। अभी जो जनाने अस्पताल हैं वे बड़े शहरों तक ही सीमित है और गांवों में जो मिडवाइफ रखी जाती हैं वे आती हैं

( डॉ० चन्द्रकला )

और चली जाती हैं। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं रहता है कि वह गांवों के लिए धाय का इन्तजाम करे। इसलिए मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार द्वारा जच्चागृहों की स्थापना की जाय। अगर नहीं की जाय तो जो डिस्पेन्सरी हैं, औषधालय हैं, उनमें कम से कम प्रशिक्षित मिड वाइफ का इन्तजाम किया जाय, जो उस क्षेत्र की स्त्रियों को इस विषय का ज्ञान दे, मातृत्व की विशेष स्थिति में स्त्रियों को सहायता दे और आवश्यकता पड़ने पर उनको सब तरह का सहयोग दे।

एक स्वास्थ्य सप्ताह दीवाली के मौके पर मनाने के लिए राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है। इसके लिए दुर्बल व अर्धपोषित बच्चों को इलाज के लिए इकट्ठा किया गया और उनके इलाज करने की बात कही। अगर यहां २५०० के करीब बच्चों को इकट्ठा करके इलाज कर दें, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जहां चिकित्सा के साधनों का अभाव है, उन जगहों पर जाकर इलाज करना चाहिये।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने बताया कि स्वास्थ्य कोष के नाम की एक फंड की स्थापना हुई है। क्या हुई है, कहां हुई है, इसका उल्लेख नहीं है। मैं समझती हूं कि इस स्वास्थ्य कोष का उपयोग इस काम के लिए किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। इससे इसको वहां के समाज की दृष्टि से, स्त्रियों की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से इसका सदुपयोग होगा और आगे चल कर जच्चाओं और बच्चों की देखभाल अच्छी तरह हो जायगी तो दवा औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये दो कटौती के प्रस्ताव मैंने रखे हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर)

**श्री सभापति** ( श्री रामचन्द्र ) : श्री मनोहर कोठारी।

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय, अभी निर्धारित कर दिया गया था कि एक सदस्य उधर से बोलेंगे और एक सदस्य इधर से बोलेंगे।

**श्री सभापति** : एक लिस्ट बना दी गई है, समय का विभाजन कर दिया है और उसी के अनुसार टाइम दिया गया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि लिस्ट किसने दी है?

**श्री सभापति** : नाम तो बहुत हैं। सिलेक्शन होकर लिस्ट बना ली गई है, उसी के अनुसार टाइम दिया जा रहा है।

**श्री तनसिंह** : यह सिलेक्शन किस तरह होता है?

**श्री सभापति** : आपको मालूम है इस साइड के वास्ते एक घंटा दिया गया है और अपोज़िट बैंचेज़ को डेढ़ घंटा दिया गया है, उसी के अनुसार टाइम का विभाजन हुआ है।

**एक माननीय सदस्य** : विभाजन कैसे हुआ?

**श्री अनूपसिंह** : कब चुनाव हुआ?

**श्री सभापति** : टाइम का विभान पहले हो गया है। एक घंटा ट्रेजरी बैंचेज़ को दिया गया है और डेढ़ घंटा अपोज़िट बैंचेज़

( श्री सभापति )

को दिया गया है और उसी के अनुसार लिस्ट तैयार की गई है।

**श्री पी० के० चौधरी** : कभी तो एजेण्डा से लेते हैं और कभी कैसे लेते हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है।

**श्री सभापति** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**डॉ० चन्द्रकला** : सभापति महोदय, एक आपत्ति मुझे है। एक सदस्य का नाम, श्री जनार्दनराय का नाम, लिया गया; वे अनुपस्थित थे और हमारे सदन की परम्परा है कि नाम बोलने के समय जो सदस्य अनुपस्थित हों उनको बाद में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, फिर वे दुबारा कैसे बोल सके ?

**श्री रामचन्द्र** : आज समय का अभाव नहीं है, अनुपस्थित सज्जनों को भी बोलने का समय दिया जायगा।

**डॉ० चन्द्रकला** : उनको पहले दिया गया, वह कैसे दिया गया; यह मैं जानना चाहती हूं।

**श्री सभापति** : मैंने निवेदन किया कि शुरू में टाइम का विभाजन हो गया था उसी के अनुसार लिस्ट तैयार कर ली गई है, उसी के अनुसार नाम चुने गये हैं। डेढ़ घंटा अपोज़िट बैंचेज़ के लिये और एक घंटा ट्रेज़री बैंचेज़ के लिये है। अभी लिस्ट बाकी है, संतोष रखें और श्री मनोहर कोठारी को बोलने दें।

**श्री अनूपसिंह** : सभापति महोदय,....

**श्री रामचन्द्र** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : On a point of information, Sir,......

**श्री सभापति** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(श्री सतीशचन्द्र द्वारा स्थान ग्रहण करने पर)

हां क्या पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : आप अनुमति दें तो निवेदन करूं कि आपने जो व्यवस्था दी है कि एक घंटा ट्रेज़री बैंचेज़ और डेढ़ घंटा अपोज़िट बैंचेज़ के लिये यह ठीक है, इसमें आपत्ति नहीं। पर पिछले आध घंटे से जो सदस्य बोल रहे हैं वे ट्रेज़री बैंचेज़ के हैं और इस तरह साढ़े चार बज जायेंगे और इधर वालों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि एक इधर के सदस्य बोलें और एक उधर के।

**श्री सभापति** : मैं माननीय सदस्य को समझा दूं। ऐसी कोई अलग-अलग लिस्ट नहीं बनाई है, कन्टिन्युएशन लिस्ट बनाई है विभाजन के अनुसार और उसी के अनुसार मैं बोलने के लिये महानुभावों से निवेदन कर रहा हूं।

श्री मनोहर कोठारी।

**श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे छिपे हुए तथ्य पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में कितने महानुभावों को जानकारी है ? वर्षों पूर्व पण्डित जवाहरलाल नेहरू कांकरोली पधारे थे तो उन्होंने एक कमला नेहरू हॉस्पिटल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया था तथा उक्त भवन के निर्माण के लिये एक ऐसी कमेटी

# Page No.94



( श्री मनोहर कोठारी )

की भी स्थापना की गई जिसके डाइरेक्टर, ऑफ मेडिकल एन्ड पब्लिक हैल्थ, डा० शर्मा, भी एक सदस्य थे और इसी तरह जनता के दूसरे प्रतिनिधि सदस्य थे ।

मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जिस स्थान पर हमारे देश के इतने बड़े नेता और हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा शिलारोपण किया गया वह स्थान कांकरोली के गोस्वामी महाराज ने बिना सरकार की जानकारी के एक प्राइवेट पार्टी को बेच दिया है और वह प्राइवेट पार्टी अपने रहने के लिये वहां मकान बनाना चाहती है । राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है, इस बारे में मुझे मालूम नहीं । उक्त कमला नेहरू हॉस्पिटल के भवन के लिये बाहर के यात्रियों ने कोई २० हजार रुपया दान दिया, वह भी महाराज ने अपने निजी काम में ले लिया या क्या किया, वह मुझे मालूम नहीं । किन्तु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब जनता ने उनसे पूछा कि जो २० हजार रुपया दान में मिला और कमला नेहरू हॉस्पिटिल के नाम से बिल्डिंग बनाई जाने वाली थी, उसका क्या किया गया है, तो महाराज ने जवाब दिया कि मैंने अपने ठिकाने के वक्त डिस्पेन्सरी चलाई थी, उसमें वह रुपया खर्च हो गया है । मुझे नहीं मालूम कि क्रिमिनल ओफेन्स में ऐसी बात आती है कि नहीं । मैं पुरज़ोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मन्त्री इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करायें और नीर–क्षीर–विवेक से इस मामले में फैसला किया जाय और ज्ञात किया जाय कि जनता के दूसरे महानुभावों ने जो धन दिया है, उसका कोई निजी कामों के लिये तो उपयोग नहीं कर रहा है ? मैं आश्वासन चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि जो जमीन प्राइवेट पार्टी को बेची जा रही है, उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पर मुझे मालूम हुआ है कि उस जमीन की कीमत का पैसा ले लिया गया है और जिस जमीन पर शिलारोपण का पत्थर लगा हुआ है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करें इस बात की की कि श्री पंडित नेहरू के हाथों जो शिलारोपण हुआ है वहां केवल कमला नेहरू हॉस्पिटल ही बनेगा और कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी । इसके लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाना आवश्यक है ।

**श्री सभापति** : श्री पुरुषोत्तमलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

**श्री अनूपसिंह** : सभापति महोदय, सब उधर के ही उधर के सदस्यों को समय दिया जा रहा है.......

**श्री सभापति** : ऑडर ! ऑडर !! श्री पी. के. चौधरी ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : On a point of information, Sir, लिस्ट को दुबारा देखिये, इनका नाम काट दिया गया है ।

**श्री सभापति** : एक लिस्ट तैयार है, जिन जिन को बोलने का अवसर दिया गया है उनके नाम पर ठिक मार्क लगा हुआ है, उसी के अनुसार बोला हूं, शायद आपका नाम नहीं होगा ।

**एक माननीय सदस्य** : On a point of information, Sir,......

**श्री सभापति :** What information?

**वही माननीय सदस्य :** प्रजा प्रगतिशील पार्टी के सदस्यों को एक घंटे का समय दिया गया था पर बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

**श्री सभापति :** आपको टाइम देंगे। डेढ़ घंटा अपोज़िट बैंचेज़ को दिया गया है, और एक घंटा ट्रेज़री बैंचेज़ को दिया गया है, समय थोड़ा है उसका उपयोग कीजिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** बहस का कुछ टाइम बढ़ा दिया जाय, कल के लिये भी समय रखा जाय तो अच्छा रहेगा।

**श्री सभापति :** ऑर्डर! ऑर्डर!! श्री पी. के. चौधरी।

**श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :** सभापति महोदय, सीरियल नं० २७७ और २७८ पर मेरे दो कट मोशन्स हैं। दोनों एक साथ मूव करता हूं। पहला जो कट मोशन है वह राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी में डॉक्टर्स हैं उनमें से बहुत सों को छः छः महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उसके बारे में मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के डॉक्टर्स काम करते हैं, बोर्डर एरिया में रहते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी गई है, किस वजह से तनख्वाह नहीं दी गई है? उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मैं समझता हूं कि कम से कम उन लोगों को जो सर्विस में हैं और मिलिटरी ड्युटी पर रहते हैं उनको तनख्वाह तो मिलनी चाहिये और उनको बराबर तनख्वाह मिलने का इन्तजाम किया जाना चाहिये। इसलिये मैंने इस मोशन को मूव किया है, सिर्फ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये।

४ म० प०

दूसरा मेरा कट मोशन है वर्किंग ऑफ इम्पलोईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के बारे में। इस संबन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एम्पलोइज़ स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम मजदूरों को फायदा पहुँचाने के लिए लागू की गई है, लेकिन आज कल हम जयपुर शहर और राजस्थान के अन्य कई स्थानों में देखते हैं कि मजदूरों को इससे जो फायदे मिलने चाहिये नहीं मिलते हैं और उनको इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इसको इम्पलीमेंट करने का जो तरीका है वह काफी गलत है। सबसे पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम के अनुसार हर एक मजदूर को डिक्लेरेशन फोर्म भरना पड़ता है और उसके बाद उस मजदूर को आइडेन्टीफिकेशन स्लिप दी जाती है, जिससे वह जाकर दवा ले सके। लेकिन सभापति महोदय, टेम्पोरेरी आइडेन्टीफिकेशन स्लिप कानून के माफिक उसी समय दे दी जानी चाहिये जिस समय वह फॉर्म भरता है। लेकिन होता क्या है कि जिस समय टेम्पोरेरी लिये जाते हैं और डिक्लेरेशन फोर्म भरते हैं उस समय नहीं दिया जाता। वह १॥ या दो, तीन महीने बाद दिया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि उसकी तनख्वाह में से इस स्कीम के अनुसार पैसे काट लिये जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं। मजदूरों को एक, दो या तीन महीनों तक टेम्पोरेरी आइडेन्टीफिकेशन स्लिप नहीं मिलती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि रूल में साफ लिखा है कि टेम्पोरेरी आइडेन्टीफिकेशन स्लिप है उसको मिल जानी चाहिये और कारखाने के मालिक को मजदूर को दे देनी चाहिये लेकिन देते नहीं हैं, इसका मतलब यह होता है कि जब तक उस मजदूर को कार्ड नहीं

( श्री पी० के० चौधरी )

मिलता है तब तक यदि वह बीमार हो जाता है तो दवाखाने से जो वहां पर होता है और उसके लिये डाक्टर मुकर्रर होता है, दवा नहीं ले सकता है। मगर दो तीन महीनों तक उनको यह स्लिप नहीं मिलती। रूल में है जब डिक्लेरेशन फॉर्म भर जाता है तो जो एम्पलोइ रखा जाता है उसको फॉर्म काट कर देना चाहिये। यह फॉर्म है, जिसकी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर पेश करूंगा और मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि दो तीन महीनों तक उनको नुकसान में रखा जाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिस्पेन्सरी का समय १० बजे से ६ बजे तक का रखा है जबकि मजदूर ५ बजे छूट कर ६ बजे आते हैं। जब वे लोग घर पर आते हैं तो डाक्टर चला जाता है। इसलिये जब मजदूर लोग दवा लेने के लिये जाते हैं तो उनको उस समय तक दवाखाना बन्द मिलता है। इसके अलावा जो दवा उनको दी जाती है वह अच्छी नहीं होती, फिर भी वे वहां से दवा लेते हैं और अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टरों से कराते हैं। डिस्पेन्सरी में अच्छी दवा का इन्तजाम नहीं है। इसलिये सरकारी डॉक्टर होते हुए भी उनका प्राइवेट बिज़नेस डाक्टर का चलता है, वहां से मजदूरों को दवा लेनी पड़ती है। वे वहां से खराब दवा जो उनको मिलती है लेते हैं और वह इसीलिये कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है और बिज़नेस के फायदे मिल सकें। वे लोग इसलिये दवा जरूर लेते हैं लेकिन पीते नहीं, पीते प्राइवेट डाक्टर की दवा हैं। जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों से लेते हैं तो मेडिकल की सहूलियतें भी उनको दी जानी चाहिये और सरकार को यह देखना चाहिये कि दवाखाने का समय ऐसा हो जिससे उन मजदूरों को फायदा हो, उनको समय पर अच्छी दवा मिलती रहे। मौजूदा जो टाइमिंग है उससे तो वे लोग फायदा नहीं उठा सकते। दवाखाने का समय कारखाने के टाइम से एक घन्टे बाद तक रखना चाहिये ताकि वे लोग दवा ले सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको आइडेन्टीफिकेशन कार्ड भी साथ के साथ ही मिल जाने चाहिये और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं।

इसके अलावा मैं यह चाहता हूं कि यह जो स्कीम है यह सब जगह लागू नहीं हुई है इसको सब जगह लागू की जावे और खास कर सांभर एरिया है, जहां ३-३॥ हजार मजदूर नमक बनाने में काम करते हैं उनके लिये यह लागू होनी चाहिये। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : माननीय सभापति, मैं वैद्यों के पंजीकरण में हुई अनियमितताओं के बारे में कहूंगा और इसके कारण आज वर्तमान में वैद्यों की परिस्थिति है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं। हमारे वैद्य, जिनको हम गांवों और शहरों में देखते हैं, तो हमें उनको ऊंचा उठाने में काफी समय लगेगा। उसका कारण है कि जिस समय हमारे देश के अन्दर बाहर से लोग आये उन्होंने अपनी चिकित्सा प्रणाली को यहां लागू किया; जैसे मुसलमानों के समय हिकमत, युनानी पद्धति आई और हकीमों का इलाज होने लगा, उस समय हमारे वैद्यों का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसके बाद अंग्रेज आये और उन्होंने डाक्टरी प्रथा और एलोपेथिक इलाज शुरू किया।

( श्री दयाकृष्ण विजय )

धीरे धीरे इन वैद्यों का; जो वर्षों से चिकित्सा नहीं कर पाए और दूसरी प्रणाली से चिकित्सा होती रही भूलते गये और मैं यह भी कहूंगा कि किसी राजनैतिक कारण से भी ये दब गये, उनमें कोई साहस नहीं रहा और न उनके लिये कोई शिक्षा की व्यवस्था ही रही।

ऐसी परिस्थिति में जब हम गुजर रहे हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न आकर खड़ा होता है कि हमारे देश में आयुर्वेद का पुनः जागरण करें, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन वैद्यों की तरफ ध्यान दें जो गांवों में रहते हैं और वैद्यों के नाम से पुकारे जाते हैं। केवल कुछ पुस्तकें पढ़ कर और पंजीकरण के नाम पर उन लोगों को वैद्य बनने का मौका मिल गया है। पंजीकरण में हमने वैद्यों के लिये तीन श्रेणियें कायम की हैं; ए. बी. और सी.। इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत से राज्य वैद्य हों लेकिन जिस समय हम उनकी योग्यता की जांच करने चलें तो उनको, केवल इसलिये कि वे राज्य वैद्य हैं उनको ए क्लास में ले लिया जावे। मैं कुछ मिसालें पंजीकरण की अनियमिताओं के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इस प्रकार की अनियमिताओं के होने से कितना नुकसान होने वाला है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमने जो तीन ग्रेड पंजीकरण में रखे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ए. ग्रेड के वैद्यों को ऑपरेशन और तमाम विषों के प्रयोग का फायदा दिया गया है, राज्य वैद्य होने के कारण उनको ए. ग्रेड दे दिया गया है। वे उसका प्रयोग कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। किसी प्रकार के लाभ के कारण वे उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे हमारी जान और माल को खतरा उठाना होता है। इसी प्रकार बी. श्रेणी के लोग हैं उनको भी कुछ विष का प्रयोग करने के अधिकार हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम ग्रेडेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वैद्यों का पंजीकरण करते समय, उनकी योग्यता का परीक्षण करते। मगर ऐसा नहीं है। होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट वैद्य सभा या मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि ये बड़े पुराने वैद्य हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं यह कहूंगा कि इतना तो कोई भी आज जाकर कह सकता है कि यह वैद्य है और आप उसके बाद प्रेक्टिस कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जावेगा। मैं आपके सामने कुछ मिसालें प्रस्तुत करूंगा। मैं कोटे के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। कोटा में एक जिला वैद्य परिषद् है। इस नाम की जो एक संस्था है चलती है उसको कांग्रेस के एक सज्जन ने बना रखा है और उनका कांग्रेस के होने के नाते क्या रुतबा होना चाहिए, यह आप सब ही जान सकते हैं, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। लेकिन चेयरमैन महोदय, उस संस्था का यह हाल है कि उस जिला परिषद के सात साल से चुनाव नहीं हुए हैं, उसको ऐसा बना रखा है कि उस संस्था के आधार पर रुपया लिया और सर्टिफिकेट दे दिया और ऐसे लोगों को दिये गये हैं कि किसी ने पंसारी की दूकान लगा रखी थी, कोई सुनार था और सुनारी की दुकान लगा रखी थी, किसी ने नाई की दुकान लगा रखी थी, लेकिन वे वैद्य हो गये, सर्टिफिकेट ले लिया और पैसा कमाने लग गये। नयापुरा में एक भंवरलाल सुनार था, नयापुरा में रहता था और सुनार का काम करता था, लेकिन पंजीकरण हुआ, जिला परिषद् के उन्हीं कांग्रेसी सज्जन के पास गया और कहा कि मुझे सर्टिफिकेट दिला

( श्री दयाकृष्ण विजय )

दीजिये, इतना अनुभव है । सुनारी करते हुए वर्ष हो गये लेकिन वैद्यगी का सर्टिफिकेट मिल गया । आप समझ लीजिये कि यह हाल है ! माम भी लिया जाय कि भावसागर और अमृतसागर पढ़ लिया होगा । लेकिन इस अनुभव से ही उपचार करने लग गये । एक हमीदा पंसारी था, जिसने पंसारी की दुकान लगा रखी थी, दवाइयां बेचते २ वैद्यजी महाराज हो गये । आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हकीम का क्या काम कर सकते हैं, दवाइयां बेचने का अनुभव हो सकता है, दवाइयों के गुणावगुण को जान सकते हैं लेकिन क्या रोग है और क्या औषध देना चाहिए यदि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो क्या उपचार करेंगे । एक और उदाहरण दूंगा हमदर्द दवाखाने की दवा बेचने वाले पंसारीजी का । दवाइयां बेंचते २ वैद्यजी हो गये। सभापति महोदय, इस प्रकार के कईउदाहरण हैं और दिये जा सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेट लेने के बाद भी वह ही धन्धा कर रहे हैं । यदि बुढ़ापे में दुकानदारी नहीं चली तो वैद्यगी का तो सर्टिफिकेट काम देगा । ऐसे व्यक्ति जो वैद्यकी नहीं करते थे उनको सर्टि-फिकेट इसके मिल गये, कुछ ऐसे व्यक्ति जो वैद्यकी का काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल गये और जिनको कि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस समय दूसरा धन्धा कर रहे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव रखा था कि हर जिले में पी. एम. ओ. होने चाहिये, जिला अधिकारी होने चाहिए जो यह जांच करे कि सर्टिफिकेट मिले हैं, वे योग्य व्यक्तियों को दिये गये हैं या नहीं और जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं वे वोही काम करते हैं या नहीं । यदि इस प्रकार का निरीक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जन मानस कभी स्वस्थ्य नहीं रह सकता और जो शिकायतें हैंवे निर्मूल नहीं हो सकतीं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पंजीकरण हुआ है, उसमें स्वार्थी लोगों के कारण अनियमिततायें हुई हैं, उनको दूर करने के लिए स्टेप उठायें, निरीक्षक अधिकारी नियुक्त किये जायें ताकि वे अनियमिततायें दूर हों ।

**श्री सभापति** ( श्री रामचन्द्र ) : श्री धन्नालाल हरित ।

**श्री धन्नालाल हरित** ( छबड़ा ) : माननीय चेयरमेन, इस मांग के सिलसिले में मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है, कुन्जेड़, तहसील अटरू में डिस्पेन्सरी खोलने पर विचार करने के लिए । माननीय सभापति महोदय, अटरू तहसील में यह गांव अटरू से करीब १२ मील की दूरी पर है और यह गांव कुन्जेड़ पहले हैडक्वार्टर था, तहसील का हैडक्वार्टर तो शिफ्ट करके अटरु कर दिया गया है । इस गांव की आबादी करीब ५००० की है और वर्षों से वहां पर डिस्पेन्सरी कायम करने के लिए मांग रखी जाती रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है । माननीय सभापति महोदय, ज्यों २ एलोपेथिक ट्रीटमेन्ट में इन्जेक्शनों का प्रचलन अधिक होता जा रहा है त्यों-त्यों लोगों का ध्यान शफाखानों की ओर अधिक होता जा रहा है और इसी वास्ते देहातों में भी शफाखाने खोलने की मांग बराबर चलती आ रही है । इस वक्त आपके थ्रू माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि अगर इस गांव की मांग को पूरा कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो ।

दूसरा मेरा कट मोशन बारां अस्पताल का उचित स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए है । माननीय सभापति महोदय, बारां कस्बा दो तरह की जगह पर आबाद है । एक

( श्री धन्नालाल हारित )

जगह तो वह है जहां पानी का प्रवाह नहीं होता है, ऊंची जगह है और दूसरी जगह वह है जहां पानी अक्सर कर बरसात में आता रहता है और लोगों को अक्सर नुकसान होता है। इस सिलसिले में २२–७–५७ को बारां में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और बारां का जो नीचे का एरिया था उसमें पानी भर गया था। पहले बारां का अस्पताल हाई एरिया में था और वहां पर किसी प्रकार से शफाखाने को क्षति पहुँचने का कारण नहीं था। लेकिन कुछ कारणों से शफाखानों को जो पहले पी. डब्ल्यु. डी. की बिल्डिंग थी उसमें शिफ्ट कर दिया गया और वह इस तरह से लो एरिया में आ गया। लेकिन २२ तारीख को बाढ़ आयी उससे शफाखाने में चार चार फीट पानी चला गया और माननीय सभापति महोदय, जहां दो फीट की चारपाई होती है, यदि वहां पर चार-चार फीट पानी आ जाय तो वहां के मरीज़ जो वैसे ही परेशान अवस्था में रहते हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा ! माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि छत के कुन्डों में मरीजों की खाटें बांध दी गई और बड़ी मुश्किल से उनकी रक्षा की गई। चार-चार आदमी किसी किसी खाट को लेकर खड़े रहे। सारी दवाइयां खराब हो गई और बहुत परेशानी शफाखाने में हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि यह तो एक अकस्मात् बाढ़ आ गई थी उसका सवाल है लेकिन साधारणतया हर साल बरसात में वहां पानी भरता है और एक फीट पानी तो वहां पर हर साल हो ही जाता है। इसलिए मेरा आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि वहां एक स्थान है जो तहसील है, वह गढ़ है, वह ऊंचे एरिया में है और गांव के बीच में भी है, यदि यह शफाखाना, जहां इस समय मौजूद है और जो गांव के एक किनारे पर है, यदि उसका वहां पर स्थानान्तरण कर दिया जाय तो अच्छा है, जहां कि बाढ़ का पानी आने का कोई कारण नहीं है।

मेरा तीसरा कट मोशन है ......

**श्री सभापति** : टाइम करीब २ हो गया है क्योंकि अभी बहुत सज्जन बोलने वाले हैं।

**श्री धन्नालाल हरित** : केवल दो मिनिट।

**श्री सभापति** : एक मिनिट।

**श्री धन्नालाल हरित** : तीसरा कट मोशन यह है कि कोटा जिले के देहातों में जो अस्पताल हैं उनमें कहीं २ तो रूम नहीं; मरीजों के लिए रूम नहीं, मरीजों के लिए रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। छबड़े का एक अस्पताल है जिसमें एक रूम बनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस है कि उस रूम का काम दो साल से चल रहा है और आज तक वह पूरा नहीं हुआ है और ऐसे ही अटरू की डिस्पेन्सरी में रूम कतई नहीं है। कहीं-कहीं कम्पाउन्डर्स की कमी है।

४.१६ म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये शफाखाने चल रहे हैं तो उनमें डॉक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और बेड्स वगैरह की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनता के स्वास्थ्य के लिए जो ये अस्पताल रखे हैं उनका सदुपयोग हो सके। वरना यदि डॉक्टर न हो,

( श्री धन्नालाल हारित )

कम्पाउन्डर न हो, और बेड्स न हों, तो उस अस्पताल से क्या लाभ ? ठीक तरह से इलाज न हो सके मरीज के ठहरने की जगह न हो, तो यह उचित व्यवस्था नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष, मेरा चौथा कटमोशन दाइयों के स्थान पर ट्रेन्ड नर्स रखने का है । माननीय अध्यक्ष, दाइयां जो इन अस्पतालों में नियुक्त की हुई हैं वे वही पुरानी दाइयां हैं और वे पुराने तरीकों से परिचित हैं । आज इस युग में बहुत कुछ सुधार हो चुका है, हर एक आदमी नयी व्यवस्था के अनुसार इलाज करवाने का उत्सुक है । इस वास्ते दाइयों के स्थान पर ट्रेन्ड नर्सों की व्यवस्था कर दी जाय ।

( घंटी )

**श्री अनूपसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्य को एक मिनिट और दिया गया था, उसके बाद भी अभी तक बोल रहे हैं ।

**श्री धन्नालाल हारित** : मेरे, अध्यक्ष महोदय, चार कट मोशन्स हैं, अतः मुझे दो मिनिट और दिये जायं ।

**श्री अध्यक्ष** : आधा मिनिट और दिया जाता है ।

**श्री धन्नालाल हारित** : ( जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बारां २५ हजार की जनसंख्या वाला कस्बा है, यहां पर इस समय प्रसूति गृह नहीं है । इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूं कोटा स्टेट के जमाने में एक दानवीर सेठ श्री उत्तमचन्द पानाचन्द ने एक बिल्डिंग प्रसुति-गृह के काम के लिये, करीब पचास हजार की की कीमत की, सरकार को समर्पित की थी, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पचास हजार रुपये की बिल्डिंग को सरकार अपने कार्य में ले रही है । वहां प्रसूतिगृह की अनिवार्य आवश्यकता होते हुए भी जिन दानवीर ने बिल्डिंग दी थी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्रसुतिगृह की जो मांग एक युग से चली आ रही है वह पूरी नहीं हो रही है । इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार इस बारे में प्रगट करेंगे ।

**श्री चन्दनमल वेद** ( सरदारशहर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ने फरमाया था कि किसी आयुर्वेद संस्था की आधारशिला रखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आयुर्वेद के लिये फरमाया था कि यही एक सही चिकित्सा पद्धति है । ऐसे ही एक भाषण की याद मुझे भी है जब दो साल पहले स्वास्थ्य मंत्री महोदय ग्राम ज्योति केन्द्र में रिफ्रेशर कोर्स का उद्घाटन कर रहे थे उस समय उन्होंने फरमाया था, 'आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही सही चिकित्सा पद्धति है,' दूसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि अगर कोई पद्धति कम समय और कम खर्चे में कारगर हो सकती है तो वह आयुर्वेदिक पद्धति ही है । लेकिन जब हम बजट के अनुमानित आंकड़े देखते हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । बजट के अनुमानित आंकड़े देखने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेदिक और यूनानी, जो देशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनकी किस प्रकार उपेक्षा की गई है, किस प्रकार अवहेलना की गई है । जब हम किसी पद्धति

( श्री चन्दनमल वेद )

को अपनाना चाहते हैं और जिसको हमने सही पद्धति माना है और जिससे ग्रामों में, देहातों में सही, सुलभ और सस्ती चिकित्सा प्राप्त हो सकती है तो वैसी हालत में मैं समझता हूँ जिस तरीके का व्यवहार हमारी सरकार देशी चिकित्सा प्रणाली के साथ कर रही है, उसको देखते हुए इनकी उन्नति नहीं हो सकती । कुछ आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हम दो करोड़ तीस लाख रुपया, जो चिकित्सा पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से केवल ३० लाख रुपया आयुर्वेदिक चिकित्सा पर खर्च कर रहे हैं और २ करोड़ रुपया विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च करेंगे। एक पद्धति पर जिसको कि हम सस्ती, सुलभ और सही पद्धति मानते हैं उस पर तो केवल तीस लाख रुपया और जो विदेशी पद्धति है उस पर दो करोड़ रुपया खर्च करते हैं । आयुर्वेदिक और एलोपेथिक पर जो खर्च कर रहे हैं उसको देखते हुए हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के प्रति हमारी सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? अब आप औषधियों के लिये ले लीजिये, देहातों में जो औषधालय हैं उनकी खुराक के लिये ६,५०० रुपया खर्च कर रहे हैं वहां दूसरी एलोपेथिक दवाइयों से जहां इलाज होता है उनकी डाइट्स पर खर्च कर रहे हैं ८ लाख ५३ हजार रुपया । इसके बाद यह कहना कि आयुर्वेदिक दवाइयों से रोगी अच्छे नहीं होते इसलिए एलोपेथी के लिए ज्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन आप डाइट्स का भी अन्तर देखिये, इसमें रोगी का क्या कसूर है और आयुर्वेदिक पद्धति का क्या कसूर ।

तीसरी बात है आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के लिए ४,२०,२५० रुपये का प्रोवीज़न है जब कि एलोपेथिक औषधियों के लिये २३,३५,५०० रुपया खर्च कर रहे हैं । आज हम देहातों में देखते हैं कि औषधालय का मकान है, वैद्य विराजमान हैं किन्तु उनके पास दवाइयां नहीं; उनको पूछने पर वे कहते हैं कि हमें साल भर में केवल साठ सत्तर रुपया मिलता है दवाइयों के लिए यह तो एक डेढ़ महीने में ही खर्च हो जाती है, जयपुर को लिखा हुआ है या बीकानेर को लिखा हुआ है जब वहां से दवाइयां आयेंगी तभी इलाज होगा । ऐसी हालत जब होती है तब मजबूरन एलोपेथिक औषधालयों में ने लोग जाते हैं । जब हम आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा । योग्य आदमी इन पद्धतियों में नहीं लायेंगे तब तक इन पद्धतियों की उन्नति नहीं हो सकती । आज हम एक एलोपेथिक डाक्टर का वेतन स्टार्ट करते हैं २०० रु० से, आज मामूली से मामूली डाक्टर की पे है २०० रुपया मासिक और दूसरी तरफ एक वैद्य को स्टार्ट करते हैं ६० रुपये से । आयुर्वेद का जो कम्पाउन्डर है उसका वेतन भी ८० रुपया है । एक तरफ तो हम डाक्टरों को २०० रुपया मासिक वेतन देते हैं और दूसरी तरफ वैद्यों को ६० रुपया मासिक देते हैं और चाहते यह हैं कि साठ रुपये तनख्वाह पाने वाला भी इतना ही कारगर और चमत्कारिक साबित हो जितना कि दो सौ रुपया मासिक पाने वाला साबित हो सकता है । अगर आप आज जो आई० ए० एस० में भर्ती कर रहे हैं उसमें अगर आप ३००-४०० रुपये मासिक वेतन रख दो तो आज जो केलीबर आ रहा है वह फिर नहीं आयगा, उसी प्रकार डाक्टरों का वेतन आप यदि ६० रुपया कर देते तो आज जो

# Page No.102



( श्री चन्दनमल बेद )

केलीबर डाक्टरों में है वह केलीबर नहीं आ सकेगा।

आयुर्वेद के वैद्य को आप जब तक साठ रुपया मासिक देते रहेंगे तो यह चिकित्सा पद्धति कारगर नहीं होगी। आप जब तक अच्छे व्यक्तियों को इन्वाइट नहीं करेंगे, उनको नियुक्त करने का इनीशियेटिव नहीं लेंगे और जब तक आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में चपरासी रखेंगे और यह ढोल पीटना चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यह कदापि संभव नहीं है। आप इस प्रकार के लोगों को रख कर आयुर्वेद पद्धति की अवहेलना कर रहे हैं। जो आदमी ऐसे आ गये हैं उनको हटाइये और अच्छे आदमियों को इन्वाइट कीजिये और योजना बनाइये, तभी जाकर इन पद्धतियों की उन्नति हो सकती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आलोचना होगी, केन्द्र में भी आलोचना हो रही है आलोचना बन्द नहीं हो सकती अच्छे आदमियों को लायेंगे नहीं तब तक। इसके अलावा आप जब तक दवाइयों का स्टैंडर्ड कायम नहीं करेंगे तब तक भी इसकी उन्नति नहीं हो सकेगी। इस बारे में तीन सुझाव हैं वे इस प्रकार हैं:

पहला सुझाव यह है कि हमको आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की चिकित्सा के अनुसन्धान के लिये कुछ कदम उठाने चाहिये। कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिये जो इस प्रकार के अनुसन्धान करे। इसके लिये कोई मामूली संस्था से काम चलने वाला नहीं, इसके योग्य अलग भवन हो और उसमें इस पद्धति के जानकर अच्छे-अच्छे आदमी रखे जायं और जिस प्रकार आप डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ को १४०० रुपया माहवार देते हैं उसी के अनुसार आयुर्वेद का डाइरेक्टर भी इसी केलीबर का हो।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का स्टैंडर्ड कायम होना चाहिए और जो दवाइयें बाजारों में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के नाम पर बिकती हैं उनको बन्द किया जाना चाहिये और इनका स्टेन्डर्डाइजेशन कायम होना चाहिये। इससे होगा क्या कि लोगों को अच्छी और स्टेन्डर्ड दवाइयां मिल सकेंगी।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जितने भी आदमी इन कामों के लिये रखे जायं उनको अच्छी तनख्वाह दीजिये ताकि योग्य आदमी इन पद्धतियों में आ सकें। अच्छे आदमी आते हैं तो अच्छे तरीके से जनता की सेवा हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मेरा यह कहना है कि जब तक हम आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों को प्रोत्साहन नहीं देते तब तक यह कहना कि देहातों में आयुर्वेद चिकित्सा ही सस्ती और सुलभ हो सकती है यह केवल कहना मात्र होगा। इतना कह कर, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: समय हो चुका है, अब इस मांग पर बहस समाप्त हुई। कल इस बहस का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री देंगे।

**श्री अनोपसिंह**: अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य, जिन्होंने कट मोशन्स दिये हैं, वे बोलने से वंचित रह गये हैं अतः उनको भी बोलने का अवसर दिया जाय, बहस का उत्तर देने के पहले।

**श्री अध्यक्ष**: वह तो पहले ही तय कर लिया गया था क्योंकि ४॥ बजे **यह बहस**

( श्री अध्यक्ष )

समाप्त हो जायेगी और आधा घण्टे का वाद-विवाद शुरू हो जायेगा।

**श्री हीराभाई :** अध्यक्ष महोदय, हमें भी पूरी तरह बोलने का मौका दिया जाना चाहिये और अगर पूरा मौका दिया जाय तो हम अपनी दिक्कतों को सरकार के सामने रख सकें। अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाय तो हमें पहले से ही सूचित कर दिया जाय कि तुमको बोलना अनिवार्य नहीं है। इसलिए जहां तक मेरा निवेदन है कि अगर पक्षपात से बोलने की इजाजत दी जाती है तो सबको सूचित कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** सूचित तो पहले कर दिया गया था कि एक घण्टे तक तो कांग्रेस पक्ष बोलेगा और आधा-आधा घण्टा यानी १॥ घण्टा विरोधी पक्ष। इसमें जितने भी बोल सकें ठीक है।

**श्री अनोपसिंह :** जिस तरह टाइम बांटना चाहिए था उसके अनुसार सदस्यों को बोलने के लिए नहीं मिला। हम मानते हैं-कि पार्टी बेसिस के ऊपर टाइम बंटता है और हर एक को बोलने के लिए कहा जाता तब तो हम समझते कि सबको बराबर टाइम दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष :** कोशिश तो यही की गई है कि जिस तरह से टाइम का निर्धारण किया गया था उसी तरह से टाइम मिले।

अब "आधा घण्टे की बहस" लेंगे। पहले जिन माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव रखा था उनमें दो एक सदस्य बोलेंगे और फिर गृह मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

४. ३२ म० प०

## उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दु-मुस्लिम तनाव सम्बन्धी स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव विषयक

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : (पूर्व क्रम से) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय गृहमंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है यह इतना तथ्य से परे है कि जब हमने इस तथ्यता की जांच की तो मालूम हुआ कि जिस तरह से राजनैतिक भाषा में इस बात को कलर देने की कोशिश की है और कलर देकर न केवल अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश की है बल्कि इससे भी परे वहां के जो अधिकारी हैं उनको बचाने के दृष्टिकोण से यह वक्तव्य दिया गया है। तथ्य यह है कि ६ मार्च, १९५८ की प्रातःकाल ६ बजे ४०० हिन्दुओं ने मिलकर होली गेर के संबंध में एक जुलूस निकाला और कामखानियों के मुहल्ले में गये और वहां पर उन्होंने नारे लगाये और मुसलमानों पर गुलाल इत्यादि डाली। यह बातें तथ्य से परे हैं वास्तविक बात यह है कि जुलूस उसी रास्ते में गया जहां कि हर साल जाता रहा और वह उदयपुर के चौड़े रास्ते में से एक रास्ता है और वहां दरवाजा पड़ता है। बाकी घर वहां २५ हिन्दुओं के हैं, उसमें एक चक्की है और एक सत्यनारायण का मन्दिर है। माननीय गृह मन्त्री जी ने खबर उन लोगों से ली है जो कि स्वयं इसके अन्दर इनवॉल्व हैं और उन्होंने उनके सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि हमने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर ज्ञात किया कि वास्तविक बात क्या है, वह मोहल्ला उनका नहीं है बल्कि उनके वहां केवल ३ ही घर हैं। ऐसा हमें हमारे प्रतिनिधियों ने लाकर खबर दी है........

**श्री मूलचन्द डागा :** आपके कौन से प्रतिनिधि हैं? कौन गये?

**श्री तनसिंह** : आप अपने प्रतिनिधियों को बता दीजिए फिर तो हम भी बता देंगे। यह जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधियों के नाम बता दें। देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरीका है बीच में बोलने का। बीच में वह डिसटर्ब इसलिए करते हैं कि उनको नागवार गुजरता है।

उस दिन जब यह जुलूस जा रहा था उस समय पुलिसवालों ने तो रोकने की कोशिश की, केवल पहले से इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है उसके ऊपर और बिना इस बात की जानकारी किये कि वास्तव में वहां पर ब्रीच ऑफ पीस का कितना अन्देशा है और मैं तो इतना कहूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अपीज़मेन्ट की है। पुलिस वहां पर सहयोग देने के लिए पहुंच जाती है और पुलिस उनको रोकती है और रोकने के बाद में जब उत्तेजना फैलती है तो पुलिस ही लाठी चार्ज नहीं करतीहै बल्कि एस०डी०एम० साहब स्वयं लाठी चलाते हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो मैं नहीं समझ सकता कि जो न्याय करने वाले हैं वह यदि डंडा लेकर चले जायें और पुलिस का काम वह अपने हाथ में लेलें तो पुलिस और न्यायपालिका में क्या अन्तर रहा.......

**श्री अध्यक्ष** : यह ६ तारीख की घटना का उल्लेख कर रहे हैं?

**श्री तनसिंह** : जी हां। मैं यह समझ लूं कि एस०डी०एम० साहब स्वयं पुलिस अधिकारी हैं तो कोई अन्तर नहीं है। एक एस०डी०एम० को लेकर इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है कि एस०डी०एम० ने स्वयं ने लाठी चार्ज किया और अब चूंकि परिस्थिति विपरीत हो गई तो एस. डी. एम. ने अपने बचाव के लिए आपस में लोगों का समझौता नहीं होने दिया। वस्तुस्थिति यह है कि राजस्थान में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि हिन्दु-मुस्लिम रॉइट्स हुए हों, लेकिन यह जो स्थिति पैदा की गई है उसमें एस. डी. एम. ने बहुत कुछ अपने आपको बचाने की स्थिति में की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस छोटी सी बात को लेकर वहां के लोग आपस में कभी झगड़ा नहीं करते। फिर वहां पर कुछ समझाने के लिए आये जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। उन लोगों के समझाने के बाद वह मान गये थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार और सरकार के अधिकारी यह चाहते तो यह स्थिति शुरू में ही दब जाती, लेकिन जान बूझकर उस स्थिति को और भी अधिक बढ़ाने में एस० डी० एम० और दूसरे कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी समझी। जिस समय एस० डी० एम० ने स्वयं ने लाठी चार्ज किया उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था और उसके फलस्वरूप उन्होंने जुलूस निकाला और पुलिस ने उस जुलूस को कामखानियों के मोहल्ले से नहीं जाने दिया। इस पर लोगों ने आम सभा की और उस आम सभा में उन्होंने तीन मांगें रख कर आम हड़ताल शुरू की। उनकी पहली मांग तो यह थी कि जुलूस उस स्थान से निकलता रहा है और उनका जुलूस, जो शांतिपूर्ण है, उसको वहां से जाने दिया जाय; दूसरी मांग उनकी थी कि जिन १५ आदमियों को गिरफ्तार किया था उन पर जो मुकदमे किये गये हैं उनको वापिस लिया जाय और तीसरी मांग उनकी थी कि एस० डी० एम० ने जो भी कार्यवाही की उसकी जांच हो जानी चाहिये। यह स्थिति ६ तारीख की है। उसके बाद फिर रोज-रोज जुलूस निकालते थे, दुकानें बन्द रहती थी। जब एस० डी० एम० साहब ने

( श्री तनसिंह )

और सरकारी अधिकारियों ने देखा कि परिस्थिति सुलझने वाली नहीं है और यह मामला और ज्यादा गम्भीर हो गया तो उन्होंने इधर उधर से लोगों को बुलाकर कोशिश की कि मामला सुलझ जाये और गांव वाले लोग चाहते थे भी कि यह मामला सुलझ जाये और साथ ही कामलानी लोग भी चाहते थे कि यह सुलझ जाये। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने हिन्दुओं को उस रास्ते से निकलने की बात के लिए दस्तखत भी कर दिये, लेकिन ज्योंही एस० डी० एम० साहब बीच में पड़ जाते तो मामला बीच में ही बिगड़ जाता था। कारण यह कि एस० डी० एम० साहब ने अपने दो एक आदमियों को पटा रखा था। मुझे विश्वास है कि अगर इस स्थिति में एस० डी० एम० की कार्यवाही की जांच सम्बन्धी कोई बात नहीं होती यह मामला कभी का सुलझ गया होता। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे अधिकारी हमारी सरकार के पास सूचना भेज देते हैं कि यहां हिन्दू-मुस्लिम दंगे की शक्ल है और यहां पर साम्प्रदायिक मन-मुटाव चल पड़ा है। इसके बाद में वहां पर जब यह बात हुई तब कलेक्टर को इन्फॉर्म किया गया। कलेक्टर साहब और वहां पर तीन आदमी आये। उनमें एक थे कांग्रेस के श्री विद्याधर कुलहरि जो कि वकील हैं, दूसरे एस. पी. साहब आये। दोनों आदमियों ने आकर कहा कि शान्तिपूर्वक जुलूस निकालें तो इजाजत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए। लेकिन जब निकालने के लिये तैयार करने लगे तो अटक गये। उन्होंने इस तरह से किया कि कार्य को फिर रोक लिया। इस तरह अध्यक्ष महोदय,...

**श्री मूलचन्द डागा** : कैसे बीच में लिन्क तोड़ रहे हैं, उनको रोक दिया, क्यों रोक दिया ?

**श्री तनसिंह** : आपके कारण लिन्क टूटी है। बैठ जाइये आप।

दो प्रतिनिधि आये कि बातें हो जायं आपस में और बात तय हो गई और तय होने के बाद में जुलूस ले जाने की बात हुई तो फिर रोक दिया। इसके बाद १६-३-५८ को आपस में समझौता हुआ और समझौता होने में जुलूस निकालने का तय किया था जिसमें श्री सेन, सी. आई. व डी. वाई. एस. पी. श्री पुरुषोत्तम नाम करके हैं, उन्होंने यह व्यवस्था की कि हम जुलूस निकलवा देंगे, लेकिन आप लोग गंदे नारे नहीं लगायें, गालियां नहीं बोलें और धूल नहीं उछालें। तो मैं मानता हूं कि होली के दिन में यह हो सकता था और हुआ भी होगा, परन्तु प्रश्न यह है कि इस समय क्या इस बात की संभावना थी, क्या ये लोग इस बात को समझने के बाद भी इस तरह की जिद्द कर सकते थे कि गालियां बोलेंगे ! मैं निवेदन करूंगा कि स्थिति यह है कि वहां पर परिस्थिति वह पैदा हुई कि इस बार न तो गाली निकालने का सवाल था और न धूल उड़ाने का सवाल था उनकी जिद्द इस बात की थी कि जुलूस निकाल कर वहां से जाने दिया जाय। केवल इस जिद्द को दबाये रखने के लिए उसके बदले में क्या किया कि केवल २-३ आदमियों को, खास तौर से एस. डी. एम. के व्यक्तिगत इन्वॉल्व्ड होने के कारण, उनको फिर रोका गया। तीन, चार बार आपस में समझौता होने के बावजूद रोका गया। इससे परिस्थिति बढ़ गई। फिर उसके बाद हड़ताल प्रारम्भ की गई और इसके लिए जो मजदूर थे वह भी काम पर जाने से असहमत हो गये। यहां तक कि वहां खाने की चीजें मिलना कठिन होगया और

(श्री तनसिंह)

एक, डेढ़ रुपये की चीजें भी चोरी में बिकने लगीं, क्योंकि कई दिनों से आम हड़ताल चल रही थी और इतनी स्थिति होने के बाद में जब सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि सरकार ने अपनी ओर से हिन्दुओं को दबाने की कोशिश की। यह लिया गया कि हिन्दू मुस्लिम रॉइट है, वहां कोई सख्ती करनी चाहिए। न वहां पर जांच करने की कोशिश की। अधिकारियों ने गलत उत्तर दिया है। वे वास्तव में सोचते हैं स्वयं अधिकारी अपने आपको बचाव करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि कई दिन से आज उदयपुर में हड़ताल चल रही है, लेकिन उनके बीच बचाव की कोशिश से और मनमुटाव हो रहा है। हमारी सरकार उस मनमुटाव को बढ़ाने के बजाय उसको मिटाने की और समाप्ति करने की कोशिश करे। यहां पर बढ़ा कर वक्तव्य दिया गया है कि हिन्दू-मुस्लिम रॉइट की स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि पुलिस यह सब कर रही है, एक अधिकारी को बचाने के लिए, गलती से बचाने के लिए एक भयानक गलती यह कर रही है। इधर तो आप यह कह रहे हैं और दूसरी ओर यह हो रहा है कि आप स्वयं इस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज उससे पहले स्थिति संभल सकती थी। आज भी स्थिति कोई बिगड़ी हुई नहीं है, लेकिन खेद इस बात का है कि हम चाह नहीं रहे हैं, हमारा पुलिस विभाग और खास तौर से एस. डी. एम. यह चीज वहां पर नहीं चाह रहा है और हम लोग, यहां प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, उन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है और राजस्थान में होने वाले छोटे से काम के लिए राजनैतिक स्टन्ट खड़ा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त गम्भीर स्थिति जब ऐसी पैदा हो गई, तो एक माननीय सदस्य, श्री जगदीशप्रसाद माथुर, वहां गये। उसके बाद में लाठी चार्ज हुआ। यह तो निश्चित रूप से मानने की बात है, कि जब इस तरह की कार्यवाही होती है तो उसका निश्चित रूप से, जनता विरोध करेगी और हड़ताल होगी, जुलूस भी निकलेंगे, सभाएं भी होंगी, लेकिन दूसरी ओर जहां सरकार एस० डी० एम० की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाती है, उस ओर जब सरकार यह भी सोचती है कि मामला सैटिल किया जाय तो वह भी हो सकता है; लेकिन वह भी नहीं किया गया। इस उत्तेजना देने के कारण नतीजा यह हुआ कि स्थिति इस तरह से बिगड़ी कि जुलूस निकला, मारपीट हुई, वहीं मारपीट नहीं हुई बल्कि इन्फॉर्मेशन तो यह भी है कि श्री जगदीशप्रसाद को थाने के अन्दर पीटा गया। यदि यह स्थिति पैदा होती है तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गृह मन्त्री जी को गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए। स्वयं जाकर स्थिति का अध्ययन करें। स्वयं अपनी आंखों से देख लें कि सही हालत क्या है और यदि वह यह नहीं करते हैं तो उनको इस सदन के मेम्बर के उत्तरदायित्व की भावना का अनुभव करना चाहिए। जो लोग वहां पहुंचे हैं, जिन लोगों ने बात की है तो उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश की जो एस० डी० एम० के कब्जे में है। यह स्थिति है वहां, न कि होम मिनिस्टर साहब ने अपने वक्तव्य में फरमाया है, वह है। मैं इस पर इतना अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और एकाध और साथी इस पर बोलेंगे। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शिवनाथसिंह (मांडल) : अध्यक्ष

(श्री शिवनाथसिंह)

महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के वाद-विवाद में पड़ूं। अभी एक माननीय सदस्य ने सदन के सामने तथ्य रखे हैं उसको सुनने के बाद मुझे बाध्य होना पड़ा कि वस्तुस्थिति का कुछ स्पष्टीकरण करूं। उदयपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, कई दफा यह झगड़ा हुआ। मैंने वस्तुस्थिति को देखा है, मौके को देखा है, इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूं कि सदन के सामने वस्तुस्थिति को रखूं। माननीय सदस्य के अपने भाषण से यह जाहिर नहीं हुआ कि उस जगह क्या हुआ, किस तरह से हुआ ? उसको छोड़कर उन्होंने एस० डी० एम० को अपना केन्द्र-बिन्दु बना लिया। उनका कहना है कि हर कार्यवाही एस० डी० एम० साहब ने की। वह हर मामले में एस० डी० एम० साहब को घसीटना चाहते हैं कि लाठी चार्ज किया, यह किया, वह किया। मैं सदन के सामने स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि ६ तारीख को लाठी चार्ज का कहा जाता है यह बिल्कुल तथ्य से परे है। ६ तारीख को लाठी चार्ज नहीं हुआ; किसी पक्ष से नहीं हुआ; न वहां किसी आदमी को चोट आई। यदि माननीय सदस्य यह दावा करते हैं कि लाठी चार्ज हुआ, तो उनके चोटें आई होंगी और हॉस्पिटल में डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट भी तैयार हुई होगी। यह सब मन गढ़न्त बातें हैं। ६ तारीख को पत्थर फेंके गये पब्लिक की तरफ से तो एस० डी० एम० साहब और सी० आई० साहब गये और उनके खिलाफ मुकदमे तैयार हुए, तो यह स्टंट बनाया गया कि एस० डी० एम० साहब ने लाठी चार्ज किया। जिस समय जुलूस निकाला गया तो ६ तारीख की सुबह एस० डी० एम० साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। सन् १९५४ में उसी गली में जुलूस निकालने की कोशिश की गई जिसके फलस्वरूप हिन्दु-मुस्लिम दंगा हुआ और केसेज चले। बाद में दोनों को आपस में समझा कर राजीनामा कराया। वे शान्ति से बैठे रहे और मुकदमें चलते रहे। अब जाकर उनका फैसला हुआ। पुलिस ने इन्तजाम कर लिया था। जुलूस उस जगह आया, जहां पर लडाई की शुरूआत थी, तो पुलिस के समझाने बुझाने से, वह जुलूस तितर बितर हो गया था। बाद में जो लोग कहते हैं कि एस० डी० एम० साहब बाधा डालते हैं, उन्हीं लोगों के उन्हीं तत्वों के बहकाने से फिर जनता इकट्ठी हुई और जुलूस निकालने पर आमादा हुई। जुलूस निकालने के लिए गये। शाम को ४ बजे एस. डी. एम. साहब पहुंचते हैं और एस. डी. एम. साहब के समझाने बुझाने से पब्लिक बिखर गई। फिर सेकन्ड डे यानी ७ तारीख को कलेक्टर साहब पहुँच जाते हैं और लोगों को बात करने के लिए बुलाते हैं तो वे ही लोग कहते हैं कि अगर कलेक्टर को पीक होगी तो हमारे पास आ जायेगा। इस तरह से जनता का व्यवहार होता है तो हम कहां तक एस. डी. एम. साहब या पुलिस के अधिकारियों को दोष दे सकते हैं ! उसके बाद ११ तारीख को फैसले की कोशिश की गई और मैं समझता हूँ कि जनता वहां पर इकट्ठी हुई। मुसलमानों से बात की गई, हिन्दुओं से बात की गई, सब लोग एग्री हो गये कि हड़ताल खोल देंगे, लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए, हम इस जिद्द में नहीं पड़ते हैं कि होली का जुलूस निकालें, क्योंकि जुलूस का टाइम निकल गया आयन्दा किस रास्ते से जुलूस निकले यह बात तय हो जाय। कलेक्टर साहब ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि आप लोग हड़ताल खोल

(श्री शिवनाथसिंह)

दें और आयन्दा होली का जुलूस किस रास्ते निकलेगा उसका बाद में फैसला हो जायगा और आप लोगों को मान लेना चाहिये कि जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं उनकी जितनी आवश्यकता होगी जांच होगी और मुकदमों में आपके साथ में किसी किस्म की गैरजांब्तगी नहीं होगी और इस तरह से कानून से काम होगा। इस तरह से इतना आश्वासन देने के बाद में जनता को यह आशा हो गई कि हड़ताल खुल जायेगी। दूसरे दिन रात में कुछ तत्व पहुँचते हैं और फिर इस मामले में गड़बड़ी करते हैं और दोष यह देते हैं कि एस. डी. एम. साहब ने किया है। यह बिल्कुल गलत है। एस. डी. एम. साहब का जो विरोधी पक्ष की तरफ से नाम लिया जाता है वह बहुत ही गलत है। यह परिस्थिति है। उसके पहले एस. डी. एम. साहब गये नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद में एस. डी. एम. वहां गए नहीं और जो २३ तारीख को लाठी चार्ज की बात कहते हैं उस रोज एस. डी. एम. वहां नहीं थे। उनको किस तरह से इन्डल्ज किया जा रहा है, यह समझ में नहीं आता। हो सकता है कि इस रास्ते से जलूस जाये या नहीं, यह दूसरी बात है। जनता ने भी मांग की थी कि कोर्ट द्वारा निर्णय करा लेंगे या और किसी तरह से निर्णय करा लेंगे। तब फिर जनता को उकसाने और भड़काने की बात किसे आई। उस रोज हड़ताल कोई हुई हो गई। लोग मान गये कि निर्णय करा लेंगे। फिर क्या आवश्यकता थी जनता को भड़काने की? भड़काने की कोशिश की गई। शहर के जिम्मेदार आदमियों ने शरीक होने से इन्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती से जलूस निकाला जायगा तो हम शामिल नहीं होंगे। फिर कुछ लड़कों को बहकाकर जलूस निकाला गया। भीड़ को लाठी चार्ज करके हटाया नहीं जाता तो परिणाम यह होता कि हम सब को दुःख होता। दोनों तरफ के लोग तैयार थे हथियार लिए हुए, मुसलमान भी तैयार थे हथियार लिए हुए और उधर हिन्दू भी तैयार थे। सिर्फ यह कहना कि एक तरफ से ही ज्यादती हुई है, मैं सही नहीं मान सकता। जनता ने मांग की थी कि इन्क्वायरी ने सही जुडिशियल आफिसर से निर्णय करा लेंगे और जो निर्णय होगा उसको हम मान लेंगे। फिर भी इस तरह की बातें करके गांवों में अशांति का वातावरण पैदा करना ठीक नहीं है। जो तथ्य माननीय सदस्य ने रखा है या तो उनको गलत सूचना मिली है या जानबूझ कर कहा है लेकिन यह तथ्य नहीं है। जो होम मिनिस्टर साहब ने तथ्य प्रगट किया है वह सच्चा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।

(करतल-ध्वनि)

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष :** समय हो रहा है इसलिये संक्षेप में बोलें।

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :** मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा और गृह मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट सदन में दिया है मैं केवल अपने भाषण को उस स्टेटमेंट तक ही सीमित रख कर जानकारी दूंगा। इस स्टेटमेंट की लाइन दो में लिखा है, "होली गेर के सम्बन्ध में निकाली जो बाजार तथा राजपूत और कसाइयों के मोहल्ले से गुजरता हुआ कायमखानियों के मोहल्ले के सम्मुख जाकर रुका।"

यह इस प्रकार की लाइन और वाक्य है जिससे यह नतीजा निकल सकता है कि वह

(श्री भैरोंसिंह)

झगड़ा हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा था या नहीं। गृह मन्त्रीजी ने स्वीकार किया कि जुलूस कसाइयों के मोहल्ले में से निकल कर कायमखानियों के मोहल्ले में जा रहा था। उदयपुर में १०-१२ हजार की आबादी है जिसमें से ४०० मुसलमान वोटर्स हैं, पूरी आबादी में ६००-७०० मुसलमान हो सकते हैं। तो ऐसा कस्बा जिसमें १०-१२ हजार हिंदू हैं और ६००-७०० मुसलमान हैं, उसमें भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की कसाइयों के मोहल्ले में है; वहां से जुलूस निकल जाता है और वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती है। फिर कायमखानियों के मोहल्ले में आते हैं जिसमें केवल ३० कोटड़ियें हैं जो रास्ते में आती हैं तो वहां के १०-१२ हजार हिन्दुओं को अधिकार है कि वहां से जुलूस निकाल सकते हैं या नहीं, तो सरकार कहती है कि नहीं निकलना चाहिये।

दूसरा प्रश्न आता है कि यह हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा था या नहीं ? आगे स्टेटमेंट में कहा है कि, "उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति अश्लील नारे लगाते हुए, गुलाल मुसलमानों पर डालते हुए", मैं आज भी कहता हूं कि शेखावटी में कई स्थान ऐसे हैं जहां हिन्दू और मुसलमान मिल कर होली की गेर निकालते हैं, उदयपुर में भी मुसलमान शामिल होते हैं और हुए हैं, उन पर गुलाल भी डाली जाती है, लेकिन जिस समय वे लोग कायमखानियों के मोहल्ले में पहुंचे उस समय स्थानीय कायमखानियों में कोई रोष नहीं था, लेकिन जमियत उल उलेमा के लोगों ने कहा कि आज डटे रहोगे तो कभी जुलूस इधर से नहीं निकलेगा वरना हमेशा इधर से जुलूस निकलेगा। कायमखानी सीधे-सादे लोग होते हैं वे उनसे गुमराह हो गये और कहने लगे कि जुलूस नहीं निकलेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उदयपुर नगरपालिका के अध्यक्ष जनसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे राम-राज्य परिषद के भी सदस्य नहीं हैं और न वे प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं बल्कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं। वे भी उन लोगों में से हैं जो यह कहते हैं कि जुलूस हमेशा से निकलता आया है और यह कहते हैं कि यह सार्वजनिक रास्ता है, यहां से जाते हुए जुलूस को रोकने का अधिकार नहीं है। वे ऐसे तत्व हैं हमारे कहने में या सरकार के कहने में नहीं आ सकते। वे किसी के भी हों, उनको सही बात कहने का अधिकार है और कर गुजरने का अधिकार होता है। अब प्रश्न यह आता है कि वह आम रास्ता है या नहीं। मैं सदन के किसी भी माननीय सदस्य को निमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ उदयपुर चलें और उस रास्ते को देखें और नक्शा देखें और कहें कि वहां से जुलूस निकलने का अधिकार है या नहीं ? मैं समझता हूं, कोई भी सदस्य यह स्वीकार नहीं करेगा कि जुलूस वहां से नहीं निकलना चाहिये।

अब प्रश्न आता है कि जुलूस पहले वहां से निकलता था या नहीं ? वहां पर जितने भी हिन्दू हैं वे कहते हैं कि हमेशा वहां से जुलूस निकलता था। होली का प्रश्न नहीं था, डफ और ढोल का प्रश्न नहीं था, गुलाल का प्रश्न नहीं था। १२ बजे के बाद पब्लिक इकट्ठा होकर, राजस्थानी भाषा में जिसे फूलडोल कहते हैं, ठाकुरजी की मूर्ति निकाली जाती है, गुलाल डाली जाती है और भजन बोले जाते हैं। भजन बोलना भी राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को अखरता है और वह समझती है कि यदि ऐसा हुआ तो आफत होगी ।

अब प्रश्न आता है एस. डी. एम. का। ऐसा भ्रम होता है कि कहीं एस. डी. एम. विधान सभा का सदस्य तो नहीं है जिसके लिये इतना कहा जा रहा है। कोई निष्पक्ष आदमी जांच करे तो पता चलेगा कि यदि उस तारीख को एस. डी. एम. वहां नहीं होते, तो जुलूस आसानी से निकल जाता। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हाल हो रहा है कि वहां का एस. पी. कलेक्टर को नीचा दिखाना चाहता है और कलेक्टर एस. पी. को नीचा दिखाना चाहता है और झुंझुनू का एस. डी. एम. नवलगढ़ के एस. डी. एम. को नीचा दिखाना चाहता है। और नवलगढ़ का एस. डी. एम. झुंझुनू के एस. डी. एम. को नीचा दिखाना चाहता है। आज वहां पर इस प्रकार की स्थिति बन गई है, लेकिन हमारी राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो लोग ६ तारीख से २३ तारीख तक हड़ताल करते हैं पर गृह मन्त्रीजी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जनता के २५ आदमियों ने आकर बातें कहीं तो भी कोई नतीजा नहीं हुआ। उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया उसमें लिखा है कि २३ तारीख को जगदीशप्रसाद माथुर ८ बजे प्रातःकाल पहुंचे और सरकार और मुसलमानों के विरुद्ध नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और मोहल्ला कायमखानी में बलपूर्वक प्रवेश करने की चेष्टा की। मैं उनके स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करता हूं या तो राजस्थान विधान सभा से वे त्यागपत्र दें या मैं त्यागपत्र दूंगा। वे कहते हैं कि जगदीशप्रसाद ८ बजे प्रातः उदयपुर में थे, लेकिन मैं कहता हूं कि ८ बजे प्रातःकाल श्री जगदीशप्रसाद नवलगढ़ में थे। वे रात की गाड़ी से नवलगढ़ गये और सवेरे बस में बैठ कर उदयपुर पहुंचे। बस ८ बजे से पहले नहीं पहुंची। उस समय जुलूस की कोई बात नहीं थी। जो व्यक्ति गृह मन्त्रीजी से मिल कर गये थे उन्होंने कहा कि जुलूस निकलेगा नहीं। भाषण में कहा जाता है कि लाठियें, बर्छियें लेकर गये थे। मुझे इसमें संदेह है। मैंने आंख से देखा नहीं; लेकिन सूचना प्राप्त हुई है कि लाठी, बर्छी का कोई सवाल नहीं था। गणगोर का समय था। गणगोर निकालने का सबको अधिकार है, लेकिन सरकार अधिकार का उपयोग नहीं करने देती है। लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जुलूस निकालने दिया जाय। एस. डी. एम. ने कहा कि तुम हड़ताल खोलो। तब लोगों ने कहा कि हड़ताल तब खोलेंगे जब हमारी बात तय होगी। जिस समय चर्चा हो रही थी उस समय लोग मेले में इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन इस स्टेटमेन्ट में अजीब बात कही गई है कि मुसलमान लाठियें, बर्छियों से सुशोभित थे। मैं कहता हूं कि न्याय की बात क्या है? न्याय यह कि किसी व्यक्ति को विधान सभा में घुसने का अधिकार है लेकिन सार्जेन्ट एट आर्म्स उसको [illegible] रोक सकता है और यह कहता है कि विधान सभा में कोई भी आदमी घुस नहीं सकता। अगर कोई आदमी घुस आता है तो मैं समझता हूं कि विधान सभा में घुसने वाले की गलती नहीं है, उसको रोकने वाले की गलती है। कोई रास्ता आम है, उस रास्ते से गुजरने का सबको अधिकार है, अगर कोई उस अधिकार को एन्क्रोच करता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये न कि उसी आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाय कि जिस अधिकारी ने जिसे अधिकार का प्रयोगी

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिए, अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। अफसोस की बात है कि राज्य सरकार ६ तारीख से लेकर आज तक सोती रही। एस. डी. एम. से शिकायत की, नवलगढ़ गये, उदयपुर गये और शिकायत की लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, जिसको लेकर लोगों में संतोष हो। मैं आज भी कहता हूं, मुझे अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, भले ही माननीय गृह मन्त्रीजी कहें कि चोटें नहीं आई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर सदन के एक सदस्य के साथ बुरा बर्ताव हुआ है तो सारे सदन को उसके प्रति सहानुभूति बतानी चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूं कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर को, राजस्थान विधान सभा के एक माननीय सदस्य को, इस बुरी तरह से पीटा गया, उस थानेदार के द्वारा पीटा गया, जिसके खिलाफ प्रिविलेज़ मोशन मूव किया गया था (शेम, शेम) और उस थानेदार ने कहा कि जगदीशप्रसाद, आपने शिकायत की, उसका बदला मैंने ले लिया है। अभी अभी मैंने झुन्झुनू से टेलीफोन करके पूछा था कि उनको कितनी चोट आई है तो मुझे झुंझुनू के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति देख ले, उनका सारा अंग-अंग तोड़ा हुआ है। लेकिन हमारे गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि चोटें हल्की आई हैं, इस प्रकार पुलिस वालों का बचाव किया है। पुलिस वाले और डॉक्टर, राज्य सरकार के नौकर हैं। अगर डॉक्टरी मुआयना लिया जाता है और मुआयना करने के बाद जो उनके शरीर पर चोटें आई हैं, उस सम्बन्ध में इस सदन का अगर विश्वास प्राप्त करने के लिए उनके शरीर की मेडिकल इन्क्वायरी कराके सदन को जानकारी देते कि उनके शरीर पर कितनी चोटें आई हैं। नवलगढ़ से जो व्यक्ति आया है, उसने आंखों देखा हाल बताया है कि श्री जगदीशप्रसाद का एक हाथ टुला हुआ था, सारे शरीर के कपड़े खून से लथपथ थे या तो उनके ऊपर राज्य सरकार ने खून डाला हो या किसी व्यक्ति ने खून निकाल कर उनके ऊपर डाला हो, ऐसी स्थिति नहीं थी....

**श्री शिवनाथसिंह :** झूंठ की भाई हद होती है ......

**श्री भैरोंसिंह :** आप बैठ जाइये, आप कुछ समझते नहीं हैं।

(श्री शिवनाथसिंह के पुनः बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** What is that, point of order, point of disorder, point of information or what?

**श्री अध्यक्ष :** समय हो गया है।

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय, जो मुकदमे बनाये हैं, वे ३५३, ३३२, १४८, १४६ और ३०७ के मातहत बनाये हैं कि श्री जगदीशप्रसाद ने अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने के लिए उन्होंने कोई काम किया। मैं समझता हूं कि आज तक इस प्रकार का मुकदमा नहीं बना है। माननीय सदस्य जो नवलगढ़ से आये हैं वे बता दें कि श्री जगदीशप्रसाद ने ३०७ का काम किया है, तो हम स्वीकार करें कोर्ट में खड़े होकर। मैं आपको बताऊं कि एक जुलूस जा रहा है, उसमें लाखों लोग जा रहे थे, श्री जगदीशप्रसादजी ने उसमें भाषण भी दिया, यह बात सही है, लेकिन श्री जगदीशप्रसाद ने किसी को मारने के इरादे से जुलूस निकला, इस सम्बन्ध में मैं चुनौती

( श्री भैरोंसिंह )

देकर कहता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य यह स्वीकार करे कि श्री जगदीशप्रसाद इस तरह का आदमी है और उसने ऐसा किया है, तो मैं कहता हूँ कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है; वह आदमी इस बात को स्वीकार करेगा। ३०७ के मातहत अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का मुकदमा इस सदन के एक सदस्य के ऊपर लगाना राज्य सरकार के लिए बहुत ही अशोभनीय चीज है। मैं उन सारी चीजों को न दोहरा कर एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार परिस्थिति को काबू में रखना चाहती है तो रख सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को तुरन्त एक बड़े अधिकारी को जांच करने के लिए भेजना चाहिए, उसे इस बात की जांच करने के लिए भेजे कि जो रास्ता आम है, उस पर होकर जुलूस जा सकता था या नहीं। जुलूस उस रास्ते से जाने से जिन लोगों के दिल पर आघात पहुंचता था, उनमें किनकी मेजोरिटी थी और जो रास्ता आम है, जिस पर गुजरने का हरएक व्यक्ति को अधिकार है, उनको उस रास्ते न गुजरने देने की पाबन्दी हो सकती है या नहीं, इन सब बातों की जांच करे। यह भी देखें कि ६ तारीख को जुलूस को न रोक कर वहां शांति और व्यवस्था की जाती तो क्या यह गड़बड़ी हो सकती थी। मैं इस मामले को लेकर एक बवंडर नहीं मचाना चाहता और न मैं यह पसन्द करूंगा कि हिन्दू मुसलमान के नाम पर झुंझुनू में गड़बड़ हो, झुंझुनू में मुसलमान भी काफी हैं और हिन्दु भी काफी हैं, वहां इस प्रसंग को लेकर कोई ऐसी बात की जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को स्वयं देखें और गृह मंत्री जी के ऊपर नहीं छोड़ें। इस बात को देखते हुए वे एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करें जो इस मामले की जांच करे और जांच से जो अच्छा नतीजा निकले, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। यह एक रास्ता हो सकता है जिस रास्ते को लेकर जिसने गलती की है, वह उस गलती का खामियाजा उठाये; मैं साथ ही यह निवेदन करूंगा कि जांच शुरू की जाय उसके पहले जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका डॉक्टरी मुआयना किया जाय और रिलीज़ कर दिया जाय और जब अच्छा एटमोसफिअर निर्माण हो जाय, तब इस मामले की जांच की जाय। इस जांच का जिस प्रकार का भी नतीजा आये, वह हमारे सामने आये, यह सदन उस पर विचार करे या सरकार विचार करे। इस प्रसंग को लेकर मैं अन्त में गृह मंत्री और मुख्य मंत्री, दोनों, से निवेदन करूंगा कि आज भी स्थिति को काबू में लिया जा सकता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि स्थिति को काबू में नहीं लिया गया और एस. डी. एम. आदि की पैरवी की तो झगड़ा आगे बढ़ेगा। सरकार कहे कि हमारे पास पुलिस है। मैं मानता हूं कि पुलिस भी है, लेकिन जहां तक व्यवस्था रखने का प्रश्न है लाठी चार्ज करने के पहले अश्रु गैस छोड़ी जाय ताकि ६ तारीख को जो मामला हुआ, उदयपुर में स्थिति खराब हुई, वहां लाठी चार्ज करने के मौके से पहले अश्रु गैस छोड़नी चाहिए थी। लाठी चार्ज के पुलिस के अधिकार हैं, वे जनता की भावना को भड़काते हैं, अगर इस भड़की हुई भावना को नहीं रोकेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जिन लोगों के दिल में जो परेशानी है, उसको दूर करने के लिए इन्क्वायरी की जाय और जितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाय। उनको छोड़ देने के बाद जो इन्क्वायरी का नतीजा आये, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मन्त्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं कि जनता और सरकार, दोनों का यह काम है कि जहां तक हो सके, शांति भंग न हो, लड़ाई झगड़ा न हो मारपीट न हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी काम जरूरी हैं, वे करने चाहिए और उनको करना उचित है। उदयपुर के कस्बे, जहां का जिक्र है, के बारे में यहां वाद-विवाद चल रहा है। उसकी स्थिति मैंने आपकी जानकारी के लिए अपने वक्तव्य में दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि होली के मौके पर जुलूस निकालने की बात थी और जुलूस ऐसे रास्ते से निकाला जाना था जिसके लिए पुलिस वाले चाहते हैं कि इस रास्ते से जुलूस नहीं निकले। पुलिस और मजिस्ट्रेट चाहते थे कि किसी तरह से भी शान्ति भंग न हो। उस रास्ते से जुलूस निकालना चाहते थे, जिस रास्ते से निकालने की पद्धति नहीं थी। सन् १९५६ में उस रास्ते से, जिस रास्ते से अब निकालना चाहते थे, जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी, नतीजा यह हुआ कि वहां आपसी साम्प्रदायिक दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। फिर दुबारा उस चीज को रिपीट करके उस रास्ते से निकालने की इजाजत दी जाती तो मैं समझता हूं उसका परिणाम १९५७ में वही होता जो १९५६ में हुआ। सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि हिंदुओं को अगर किसी रास्ते से जाने का अधिकार है तो उसे रोक कैसे सकते हैं? यह उनका राइट है। मैं कहता हूं कि कानून की यह दृष्टि नहीं होती कि जहां हर आदमी का जाने का अधिकार है, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पुलिस एक्ट और सी. आर. पी. सी. में दिया हुआ है, उसमें ऐसा अधिकार दिया हुआ है कि अगर ऐसा रास्ता है जहां झगड़ा होने की सम्भावना है, जहां नुक्से अमन हो सकता है, गवर्नमेंट का अधिकार है कि उस रूट को नियन्त्रित करे और वह उस रास्ते से जाने से रोक सकती है। यह अधिकार की बात थी, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, अगर वह उस रास्ते से जाने से नहीं रोकती, तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता था। एक गलती जो हो चुकी है, उसका दुबारा तजुर्बा करना अच्छी बात नहीं है। जो हम १९५६ में देख चुके हैं, उसको हम १९५८ में देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी चीज़ के लिए गवर्नमेन्ट को इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर उस तारीख को नहीं रोकते तो उसका परिणाम न मालूम क्या होता, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब एक बात कही जाती है कि एस. डी. एम. जो एक अधिकारी हैं गवर्नमेन्ट के, उन्होंने सारे मामले का अच्छी तरह फैसला नहीं किया। जो बात श्री तनसिंहजी ने कही और जो मैंने कही उसमें कुछ अन्तर नहीं मिला, उसमें कुछ इन्टरप्रिटेशन की बात हो सकती है, लेकिन जहां तक फेक्चुअल स्थिति की बात है, उसमें अन्तर नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं थोड़े में कह देता हूं कि पुलिस अधिकारी और एस. डी. एम. चाहते थे कि राजीनामा हो, वह राजीनामा कराना चाहते थे, उसके लिये वे शुरू से कोशिश करते रहे कि किसी तरह झगड़ा न हो अगर झगड़ा कराने की नीयत होती तो वे इस बात पर जोर नहीं देते और रूट पर पाबन्दी लगाने की जरूरत नहीं होती और सब कुछ इसीलिये ही किया जा रहा था। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के थे, जो यह चाहते थे कि प्रोसेशन उधर से जाय, चाहे तोड़-फोड़ हो, चाहे लड़ाई-झगड़ा हो, चाहे जो हो, वे उस रास्ते से जाना चाहते थे। उस रास्ते जाना चाहते थे, जिसके लिये पुलिस वाले कहते थे कि नहीं

( श्री रामकिशोर व्यास )

जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार उन्होंने प्रोसेशन को रोका है, तीन मर्तबा प्रोसेशन निकला, सुबह नौ बजे निकला, एस. डी. एम. आदि ने उनको समझाया-बुझाया, वे वापिस चले गये। दुबारा मीटिंग होती है और फिर प्रोसेशन निकाला जाता है साढ़े तीन बजे, फिर एस. डी. एम. और पुलिस वाले समझाते हैं। वे फिर वापिस चले जाते हैं। इसके बाद फिर मीटिंग होती है और फिर निश्चित करके प्रोसेशन निकाला जाता है, उनको मना किया जाता है तो पत्थर फैंके जाते हैं, एक आदमी लकड़ी की मारता है कॉन्स्टेबिल के, तो एस. डी. एम. लकड़ी पकड़ लेता है, उसके लिये यह कहा जाय कि एस. डी. एम. लाठी चला रहा था...

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : On a point of information, Sir, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन बातों का इस प्रकार का वर्डिक्ट नहीं दें, उनके नीचे के अधिकारी जो बातें कहते हैं, उनसे प्रेज्युडिस्ड न हो जांय।

**श्री रामकिशोर व्यास** : प्रेज्युडिस्ड होने का सवाल नहीं....

**श्री भैरोंसिंह** : वे स्वयं कहते हैं कि जो तार और सूचना उन्हें मिली है उसके आधार पर भाषण दे रहे हैं, पर कह ऐसे रहे हैं कि वे खुद देख कर आये हैं। आपकी तरफ से वर्डिक्ट नहीं होना चाहिए।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसमें नाराजी की बात नहीं, जैसे आपने कहा है मैं भी कह रहा हूं। तो यह कहना कि एस. डी. एम. लाठी चार्ज कर रहे थे, यह सही नहीं है, वे तो राजीनामा कराने की बराबर कोशिश करते रहे। एक बात कही गई कि होली का जुलूस उस रूट से निकला करता था, तो होली के जुलूस का सवाल नहीं था, उसमें से फूलडोल निकला करता था, होली का जुलस उस रूट से नहीं निकलता था।

**श्री भैरोंसिंह** : जो रोका गया वह फूलडोल का जुलूस था, होली का जुलूस नहीं था।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आपकी बात से ही पता चलता है कि होली का जुलूस उस रूट से नहीं निकलता था तो यह कहना कि होली का जुलूस उस रूट से हमेशा निकलता था, कहां तक उचित है ?

२३ तारीख का कहा गया, इसके लिये हमें खुद को अफसोस है, हमारे सदन के माननीय सदस्य वहां उपस्थित थे, उनके चोट आई बताई जाती है। हमें अफसोस है कि उनके चोट आई। अगर वे उस सेक्शन को तोड़ कर जुलूस को उस रूट से ले जाना चाहते हैं, उस रूट से वे जाते हैं और लग जाती है तो उसके लिये क्या किया जा सकता है ? हां, कोई बेजा बात उनके साथ की गई हो तो उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं, किसी तरह से अधिकारियों की तरफ से उनके साथ ज्यादती की गई हो तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। उस रूट से जाते हैं और प्रोसेशन को ले जाते हैं और लग गई तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ? सवाल यह है कि अगर किसी ने गलती की हो, उसके साथ किसी तरह की ज्यादती की हो तो मैं जांच कराने के लिए और दोषी को सजा देने के लिए तैयार हूं। जब तक कि यह पता नहीं चले कि उनके चोट आई है, कितनी चोट आई है, क्या किया जा सकता है ?

( श्री रामकिशोर व्यास )

उनको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा है, हो रहा है, उससे पता चलेगा कि कितनी चोट आई है। छिपाना चाहते हों, यह तो हमारी मंशा नहीं है, इसमें किसी की गलती है और कार्यवाही करना है, वह जरूर करेंगे।

एक बात अर्ज करूं कि इस प्रोब्लम को शान्ति से हल करने और बजाय सुलझाने के उलझाया जा रहा है। मेरे लिए कहा गया कि होम मिनिस्टर से मिले, पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ३ बातें रखीं। एक बात यह थी कि उसी रूट से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाय, दूसरी बात यह थी कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच की जाय और तीसरी बात यह रखी कि जो मुकदमें रजिस्टर हुए हैं वे वापिस लिये जांय।

इन तीनों बातों का मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता था जब तक कि मैं पूरी तरह जानकारी नहीं कर लूं। मैंने जानकारी की, ५६ में इस रूट से जुलूस गया था पर अब तो होली खत्म हो गई, अब उस रूट से होली का जुलूस निकालने में कोई सेंस नहीं क्योंकि होली तो खत्म हो गई। आयन्दा होली आयेगी उससे पहले पहले तय करेंगे, जो सबको एग्रीएबल होगा वह करेंगे।

आपकी तीन बातें थीं उसमें यदि किसी अधिकारी की तरफ से, पुलिस अधिकारी की तरफ से ज्यादती हुई है तो उसके लिए जांच की जायगी और जांच से जो दोषी साबित हुआ तो सजा दी जायगी, ऐसा मैंने कहा। पर इत्तफाक से मैं सारी मांगें पूरी नहीं कर सका इसलिए नाराजी है, ढिलमिलापन है। नहीं तो इन्क्वायरी की बात है वह की जायगी। किसी वजह से शायद आपको जानकारी हो, कुछ मेरी मजबूरियां हैं कि आपने जो फरमाया उसकी तामील नहीं कर सका।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कानूनन ठीक होगा, श्री जगदीशप्रसादजी के साथ ज्यादती हुई है तो उसके लिए कार्यवाही करूंगा, जरा वहां पीसफुल एटमोस्फियर हो जाय तो इसकी मुनासिब कार्यवाही करूंगा। मुझे यही अर्ज करना था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : माननीय अध्यक्ष, मैं सूचनार्थ दो प्रश्न पूछना चाहता हूं; एक तो यह कि इस समय श्री जगदीश प्रसाद माथुर कहां हैं? एक यह कहा गया कि अगर अधिकारियों की तरफ से ज्यादती हुई है तो इन्क्वायरी करेंगे, तो किस अधिकारी को कब तक इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त करेंगे, तो किसको करेंगे?

**श्री रामकिशोर व्यास** : दुबारा फरमाइये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक तो आपने फरमाया है कि ज्यादतियां हुई हैं, उनके बारे में इन्क्वायरी करेंगे और जो दोषी पाया जायगा उसको दंड देंगे। कृपया यह जानकारी दें कि कब इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करेंगे, कब इन्क्वायरी शुरू होगी और किसको इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करेंगे?

दूसरी सूचना यह भी देने की कृपा करें कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, कहां हैं और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है कि नहीं?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आपने यह जानकारी चाही थी की श्री जगदीशप्रसाद माथुर कहां हैं, मैं निवेदन करूं कि वे झुंझुनू में हैं।

# Page No.116



( श्री रामकिशोर व्यास )

दूसरी बात कही गई कि कौन इन्क्वायरी करेंगे · इसके बारे में मैं कहूँ कि जैसे ही नोर्मल कन्डीशन्स आ जायंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर को मुकर्रर करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन ऑफीसर होंगे नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष : बाद में बता देंगे।

सदन की कार्यवाही कल म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर म० प० ५.१८ बजे सदन की कार्यवाही २६ मार्च, १६५८ के ११ बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई )

# संक्षिप्त-विवरण

( मंगलवार, २५ मार्च, १९५८ )

स्कम्भ

## तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान कॉलेज ।

तहसीलदार की नियुक्ति ।

शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ।

पट्टियों की खानें ।

ग्राम रावतसर कंजला, तहसील राजगढ़ (चूरू) में फर्जी नामों पर तकावी का विवरण ।

सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास एवं समारोह के उद्घाटन ।

पाली तहसील में धर्मपुरा नामक संस्था को दी जाने वाली सहायता ।

लूणकरणसर में नमक बनाने का कार्य पुनः चालू किये जाने की व्यवस्था ।

चौमू के बाढ़ ग्रसित लोगों को दी गई सहायता ।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग ।

खरंजा बनाने का ठेका ।

हनुमानगढ़ में किसानों को बेदखल कर जंगलात के लिए जमीन का छुड़वाया जाना ।

राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड ।

शिक्षा-शुल्क ।

पुरुषार्थी नारीशाला, कोटा ।

भाखरा क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नई मंडियों व शहरों के लिये सीमेंट, लोहे इत्यादि के वितरण की व्यवस्था ।

४७२५ शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दी गई सहायता, जिला जयपुर ।

भाखरा क्षेत्र में प्रति परिवार हेतु सिंचित भूमि का आवन्टन ।

कच्चे मकानों को पक्के बनाने पर नजराने की वसूली, जिला जयपुर ।

राजबाग (जोधपुर) की अनुसूचित जाति द्वारा भवन-निर्माण हेतु ऋण की मांग ।

माध्यमिक पाठशाला, ग्राम बूसी तहसील देसूरी ।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्र के गांवों में लगान की छूट ।

चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों का वेतन ।

तहसील किशनगढ़ में पटवारियों द्वारा किसानों को गश्त गिरदावरी की पर्चियां नहीं दिये जाने की शिकायत ।

प्राथमिक पाठशाला ग्राम मोरन (सवाई माधोपुर) ।

भूमिहीन लोगों को काश्त के लिये दी गई जमीन, जिला टोंक ।

खेती की जमीन का लगान, जिला बाड़मेर ।

राष्ट्रीय विकास सेवा-खण्ड हनुमानगढ़ ।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा ठिकाना शाहपुरा की रकम का भुगतान ।

तहसीलदार सुजानगढ़ ।

## विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ४७८०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त-मंत्री,

स्कम्भ

ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ पुरःस्थापित किया।

**स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य बीकानेर क्षेत्र में ऊन के भावों में आकस्मिक गिरावट सम्बन्धी** ४७७६

(१) बीकानेर शहर में ऊन के भावों में गिरावट आने के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल द्वारा दिया गया था उस बारे में आज श्री नाथूराम मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया।

(२) श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने निम्नलिखित विषयों पर वक्तव्य दिया :

(क) उदयपुर (शेखावटी) में हिन्दू-मुस्लिम तनाजे के संबंध में।

(ख) तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू, के थानेदार द्वारा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

**अन्य प्रस्ताव**

**श्री पालीवाल के आचरण सम्बन्धी एक समिति का निर्माण किये जाने विषयक** ४७८०

श्री टीकाराम पालीवाल, सदस्य-राजस्थान विधान सभा, का सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण के सम्बन्ध में श्री होतीलाल द्वारा दिये गये प्रस्ताव को सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया गया।

स्कम्भ

**अनुदानों की मांगों पर मतदान**

**(१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा** ४७८५

उपरोक्त मांग पर अब तक की गई बहस का उत्तर आज श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा दिया गया। ३६ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

**(२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा** ४८४८

यह मांग श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर निम्न सदस्यों ने ३६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

(१) श्री लक्ष्मीचन्द
(२) ,, लक्ष्मण हीरात
(३) ,, तनसिंह
(४) रावराजा श्री सरदारसिंह
(५) श्री रघुवीरसिंह
(६) ,, रामकरणसिंह
(७) ,, जनार्दनराय नागर
(८) डॉ० बहादुरसिंह
(९) श्री श्रीभानसिंह
(१०) ,, नाथूराम
(११) ,, तेजाराम
(१२) ,, शिवचरणदास
(१३) ,, बालमुकुन्द
(१४) ,, विद्यासागर
(१५) ,, भीमसेन
(१६) डॉ० चन्द्रकला
(१७) श्री मनोहर कोठारी
(१८) ,, पी. के. चौधरी
(१९) ,, दयाकृष्ण विजय

# Page No.119



स्कम्भ

(२०) श्री धन्नालाल हरित.
(२१) ,, चन्दनमल वेद

**उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दू-मुस्लिम तनाव सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव विषयक** ४६३०

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, के वक्तव्य पर हुई बहस में निम्न सदस्यों ने भाग लिया : श्री तनसिंह, श्री शिवनाथसिंह व श्री भैरोंसिंह (१४) गृह मन्त्री के उत्तर के पश्चात् बहस समाप्त हुई ।

स्कम्भ

**बुधवार, दिनांक २६ मार्च, १६५८ की कार्य-सूची**

मांगों पर मतदान ।

# परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८३८ का उत्तर देखिये)

## RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD, JAIPUR.

STATEMENT SHOWING THE DISBURSEMENT OF FUNDS TO NON EDIBLE OIL SOAP INDUSTRY FOR 1956-57

| S. N. | Name of the Institution | Loan | Subsidy | Total | Remark. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kendriya Sarvodaya Sahakari Samity Ltd., Jaipur. | 6,000/- | — | 6,000/- | B. |
| 2. | Krishak Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Chechut. | 9,000/- | 4,187.50 | 13,187,50 | B. |
| 3. | Rajasthan Seva Sangh, Dungarpur. | 36,750/- | 16,750/- | 53,500/- | B. |
| 4. | Matsaya Raj Gram Seva Mandal, Karauli. | 36,750/- | 16,750/- | 53,500/- | Under construction |
| 5. | Matsaya Raj Gram Seva Mandal, Alwar. | 19,250/- | 10,450/- | 29,700/- | B. |
| 6. | Gramodyog Parishikshan Kendra, Sanganer. | 36,750/- | 16,750/- | 53,500/- | B. |
| 7. | Marwar Khadi Sangh, Jodhpur. | 19,250/- | 10,450/- | 29,700/- | B. |
| 8. | Gramodyog Vikas Samity, Chittorgarh. | 9,250/- | 9,250/- | 18,500/- | Under construction |
| 9. | Ajmer Merwara Gram Seva Mandal, Ajmer. | 10,250/- | 6,150/- | 16,400/- | B. |
| 10. | Khari Tat Sarvodaya Sangh, Shahapura. | 10,250/- | 6,150/- | 16,400/- | Under construction |
| | | 193,500 | 96.887,50 | 290,387,50 | |

RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD, JAIPUR

Statement showing the Disbursment of Funds to Leather Industries for the year 1956-57

| S. No. | Name of the Institution | Loan | Subsidy | Total | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khora Bisal Regaran Sahakari Samity Ltd., Korabisal. | 2,300 | — | 2,300 | (B) |
| 2. | Sayal Brahat Askeria Sahakary samity Ltd., Sayala. | 3,720 | 4,500 | 8,220 | Less 720 (B) |
| 3. | Harijan Tennore Co-operative Society Hindaun. | 3,720 | 3,000 | 6,720 | Under (C) |
| 4. | Balmiki Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Jodhpur. | 3,720 | 3,000 | 6 720 | Under (C) |
| 5. | Kundanpura Regaran Sahakari Samity Ltd., Kundanpura | — | 1,000 | 1,000 | (B) |
| 6. | Bandhpura Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Bandhpura. | 3,720 | 3,000 | 6,720 | Under (C) |
| 7. | Hadoti khadi Sangh. Baran. | 15,370 | 11,550 | 27,020 | (C) |
| 8. | Nainwa Chamaron Utpadak Sahakari Samity Ltd., Nainwa. | 9,720 | 3,000 | 6,720 | -- |
| 9. | Rajasthan Khadi Sangh, Chomu. | 13,220 | 10,500 | 23,720 | — |
| 10. | B. D. O., Hindaun. | — | 1,500 | 1,500 | (B) |
| 11. | Rajasthan Go Seva Sangh, Jaipur. | 3,720 | 3,000 | 6,720 | (B) |
| 12. | Ganga Charam Utpadak Sahakari Samity Ltd., Bisalpura | 3,720 | 3,000 | 6,720 | Under (C) |
| 13. | Mohanpura Charm Utpadak Sahakari Samity Ltd., Bassi. | -- | 1,000 | 1,000 | (B) |
| 14. | Charmodyog Sahakari Samity Ltd., Bayana. | 2,400 | 3,200 | 5,000 | (B) |
| 15. | Delwara Regaran Sahakari Samity Ltd., Delwara. | — | 400 | 400 | (B) |
| 16. | Charmodyog Sahakari Samity Ltd., Karauli. | 3,720 | 3,400 | 7,120 | Under (C) |
| 17. | B. D. O., Sambhar. | -- | 1,200 | 1,200 | (B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Rural Arts & Craft, Sumerpur. | — | 200 | 200 | (B) |
| 19. | Training Cum Production Centre, Sanganer. | 23,220 | 24,380 | 47,520 | Less 17000 (B) Reserved |
| 20. | Gram Sava Mandal, Kishorepura. | 3,720 | 3,000 | 6,720 | Under (C) |
| 21. | Badalayas Sarvajanik Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd. | 3,720 | 3,000 | 6,720 | Under (C) |
| 22. | Khadi Gramodyog Bhawan, Jaipur. | 25,000 | 22,000 | 47,000 | (B) |
| 23. | B. D. O., Amate. | — | 500 | 500 | (B) |
| 24. | B. D. O., Sankad. | — | 1,000 | 1,000 | (B) |
| 25. | Nav Nirman Sangh, Udaipur. | — | 3,100 | 3,100 | (B) |
| 26. | Haddi Khad Utpadak Sahakari Samity Ltd., Baskho. | — | 3,000 | 3,000 | Under (C) |
| | Totals:— | 1,18,710 | 1,16,450 | 2,35,160 | |

# परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८५७ का उत्तर देखिये)

हनुमानगढ़ ग्राम सेवा खण्ड में २-१०-५६ से १५-२-५८ तक किये गये कूएं, डिग्गी, स्कूल आदि निर्माण कार्यों की सूची

| क्रमांक, नाम गांव | | डिग्गी | स्कूल | अध्यापक क्वार्टर | कूए | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १—नूरपुरा | | — | १ | | — | |
| २—रोड़ावाली | — | १ | — | — | | ६ हैण्ड पम्प |
| ३—पीरकामरिया | | • | — | | | |
| ४—तख्तहजारा | — | १ | = | | — | |
| ५—डबली राठन | — | १ | = | | — | |
| ६—जण्डांवाली | — | २ | = | | — | |
| ७—मालारामपुरा | — | — | | — | — | |
| ८—भाखरांवाली | — | १ | | | — | |
| ९—नुकेरां | — | — | | — | — | |
| १०—कोहलां | | — | | — | १ — | |
| ११—मोरजण्ड सिखान | | १ | | | — | |
| १२—श्रीनगर | — | १ | = | | — | |
| १३—खैरुवाला | — | १ | = | | — | |
| १४—जोड़कियां | — | — | | — | — | |
| १५—शेरेकां | | — | | — | — | |
| १६—पक्कासारनान | — | — | | — | — | |
| १७—लीलांवाली | — | — | | — | — | |
| १८—रामसरानारायण | | — | — | — | १ — | |
| १९—खाटसजवार | — | १ | — | | — | |
| | — | | = | — | — | |

हनुमानगढ़ ग्राम सेवा खण्ड में २-१०-५६ से १५-२-५८ तक किये गये खर्चे की सूची।

| | |
|---|---|
| कुल खर्चा | १,११,७०० |
| तकावी खर्चा | १२,००० |

## परिशिष्ट

कूए, डिग्गी, स्कूल भवन, अध्यापक क्वार्टर तथा ग्राम सेवक निवास स्थान व तकावी पर किये खर्चे की गांव–वाईज़ सूची।

| क्रमांक | नाम गांव | कुआं | डिग्गी | स्कूल भवन | अध्यापक क्वार्टर | ग्राम सेवक निवास स्थान | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | नूरपुरा | – | – | ५००) | – | – | ५००) |
| २. | रोड़ावाली (वास्ते पंचायत चिस्तियां) | – | १०००) | – | – | २७००) | ३७००) |
| ३. | पीरकामरियां | १२००) हैण्ड पम्प | – | – | – | – | १२००) |
| ४. | तख्तहजारा | – | ८००) | – | – | – | ८००) |
| ५. | डबली राठन | – | ७००) | – | – | – | ७००) |
| ६. | जण्डावाली | – | ३०००) | – | – | – | ३०००) |
| ७. | मालारामपुरा | – | – | १०००) | – | – | १०००) |
| ८. | माखरांवाली | – | २२००) | ५००) | – | – | २७००) |
| ९. | नुकेरा | – | – | १०००) | – | – | १०००) |
| १०. | कोहला | – | – | १०००) | २५०) | – | १२५०) |
| ११. | मोरज़ण्डसिखान | – | ३०००) | १०००) | – | – | ४०००) |
| १२. | श्रीनगर | – | २०००) | – | – | – | २०००) |
| १३. | खैरुवाला | – | १०००) | – | – | – | १०००) |
| १४. | जोड़किया | – | – | ५००) | – | – | ५००) |
| १५. | शेरेकां | – | – | १०००) | ५००) | – | १५००) |
| १६. | पक्कासारनान | – | – | ५००) | – | – | ५००) |
| १७. | लीलांवाली | – | – | ५००) | – | – | ५००) |
| १८. | रामसरानारायण | – | – | – | २५०) | – | २५०) |
| १९. | खाटसजवार | – | १०००) | – | – | – | १०००) |
| २०. | मक्कासर | – | – | – | – | २७००) | २७००) |
| | | | | | | | २६८०० |
| | पी० लोन्स एण्ड एडवांस एड | | | | | | |
| २१. | कमरानी | – | – | – | – | – | ७०००) |
| २२. | हिरनावाली | – | – | – | – | – | ५०००) |
| | | | | | | | १२०००) |

## परिशिष्ट ३

( कृपया प्रश्न संख्या ८५८ का उत्तर देखिये )

### ठिकाने शाहपुरा से दीगर ठिकानेजात को दिये कर्जे की सूची

| रकम ठिकाना जिसको कर्जा दिया गया | तारीख | तादाद रकम | सूद दर | वसूली तारीख | असल ब्याज | मीजान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. बरताला | २२-४-४७ | ३९०००) | ३ प्रतिशत | १६-६-४८ | ३५००) | |
| | | | | ३१-८-४८ | ४०००) | |
| | | | | ६-६-४९ | ४५६)॥ | |
| | | | | १६-१-५० | ६५००) | |
| | | | | १६-५-५० | ३७००) | |
| | | | | ३१-३-५१ | २०००) | |
| | | | | ३-८-५१ | ७०००) | |
| | | | | ६-५-५२ | १०००) | |
| | | | | ३१-३-५३ | १६०००) | |
| | | | | २५-३-५३ | ४१०॥≡) | |
| | | | | ८-४-५३ | ४१४३॥=)॥। | |
| | | | | २५-२-५४ | ४२९१॥≡)॥। | |
| | | | | २७-३-५४ | १२९७॥-)। | |
| | | | | | | ३९९००) |
| २. पामाड़ी पट्टी खींवसिंह | २३-६-४७ | १५४०) | एजन | १९-३-५३ | २५०) | |
| | | | | २७-१२-५४ | ३००) | |
| | | | | १-५-५६ | ३५०) | |
| | | | | २१-१२-५६ | ६४०) | |
| | | | | | | १५४०) |
| ३. ठिकाना त्रिचून | १८-३-४९ | २८८९०) | एजन | १८-४-५१ | १०००) | |
| | | | | ८-५-५१ | ८०००) | |
| | | | | २५-३-५३ | २२॥।) | |
| | | | | २२-४-५४ | ५०००) | |
| | | | | १४-१०-५४ | ७०००) | |
| | | | | | | २१०२२॥।) |
| ४. ठिकाना कोलिन्डा | १८-५-४९ | ६०००) | एजन | | | |
| | १७-९-४९ | १५८२) | | | | |
| | | ७५८२) | | | | |

४६६६

## परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ५. ठिकाना मुरलीपुरा | ११-१-४६ | १०,०००) एजन | २४-३-५१ | ४००) | |
| | | | २-११-५१ | २५००) | |
| | | | ८-६-५४ | ४००) | |
| | | | २०-३-५७ | १२००) | |
| | | | | | ५४००) |
| ६. पूनर पाड़ा | २६-५-४६ | २००) ३ प्रतिशत | १६-६-५० | ४०) | १४०) |
| ७. ठिकाना गहनोली | १-६-४६ | १५००) एजन | २२-५-५३ | ४४३=)। | |
| | | | २०-२-५८ | २००) | |
| | | | | | ६४३=)। |
| ८. ठिकाना नुदवाड़ा डि० टौंक | १६-६-४६ | ५०००) एजन | २-३-५६ | ५००) | |
| | २६-६-५१ | ४०००) | | | |
| | | ६०००) | | | ५००) |
| ९. प० पशुपतिनाथ (कौल | २३-७-४६ | १००००) एजन | २-११-५० | १००००) | |
| | | | | | १००००) |
| १०. ठिकाना डाबड़ी (डि० झुंझुनू | १३-८-४६ | १५८) एजन | | | |
| ११. ठिकाना दिन्डार | १३-८-४६ | १६४२) एजन | ६-५-५२ | ७१) | |
| डि० झुंझुनू | | | २५-५-५३ | ५।=) | |
| | | | | | ८०।= |
| १२. ठिकाना बडियाल | २८-१०-४६ | ४०००) एजन | ३१-१२-४६ | २७५०) | |
| | | | २५-५-५३ | ६६।।।)।।। | |
| | | | | | २८१६।।।)।।। |
| १३. ठिकाना पिचूपाड़ा | २०-६-५० | १०००) एजन | ३१-३-४५ | ५००) | |
| | | | २०-६-५४ | ३००) | |
| | | | ५-४-५६ | २००) | १७२।।=) |
| | | | | | ११७२।।=) |

## परिशिष्ट ४

(सदन की मेज पर रखे गये वे तारांकित प्रश्न जो प्रश्नोत्तर काल में न पूछे जा सके)

### कोटा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का खोला जाना

८६१. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार का कोटा नगर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

स्थानाभाव की कमी के कारण गर्ल्स कॉलेज, कोटा को अभी डिगरी कॉलेज बनाने में दिक्कत अनुभव की जा रही है फिर भी प्रयत्न जारी हैं।

---

### तहसील हैडक्वार्टर का स्थानान्तरण

८६२. श्री शिवनाथसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी स्थित तहसील हैडक्वार्टर को वहां से हटा कर नवलगढ़ लाया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इस विषय में कलेक्टर, झुंझुनूं के यहां से भी कोई सुझाव सरकार के पास आये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। ऐसा प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

(२) कारण प्रशासनिक व अन्य कठिनाइयां बतलाई गई हैं।

जी नहीं।

(३) जी हां।

---

### राजस्थान फ्लाईंग क्लब

८६३. श्री गिरधारीलाल (टोंक) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान फ्लाईंग क्लब कब खुला ?

(ख) सरकार उपरोक्त क्लब को सालाना कितनी धनराशि सहायता के रूप में देती है ?

(ग) उपरोक्त फ्लाईंग क्लब ने आज तक क्या प्रगति की ?

(घ) क्या यह सही है कि फ्लाईंग क्लब की आज तक एक भी शाखा अन्य जगह नहीं खोली गई ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) इसका उद्घाटन ३०।३।५२ को किया गया।

(ख) २०,००० रु०

(ग) क्लब द्वारा १०४ व्यक्तियों को (जिसमें १० लेडीज़ हैं) फ्लाईंग इन्सट्रक्शन दिये। २० व्यक्तियों ने ए क्लास लाइसेन्स प्राप्त किये। तीन पाइलट इन्सट्रक्टरों ने डाकोटा कनवेशन कोर्स किया और एक पाइलट इन्सट्रक्टर ने ग्लाइडिंग इन्सट्रक्शन कोर्स प्राप्त किया। क्लब के प्लेनों ने ४३०५,३५ घंटों की उडान समाप्त की। गत वर्ष से एन. सी. सी. के केडेटों को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू कर दिया गया है और युरूप इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

(घ) धन की कमी के कारण कोई ब्रांच नहीं खोली गई।

**औषधालय भवन, मनोहरपुर, ठि० शाहपुरा की जमीन का नजराना**

**८६४. श्री महादेवप्रसाद बंका** (खेतड़ी) : क्या जागीर मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठिकाना शाहपुरा में औषधालय, मनोहरपुर के भवन की जमीन का नजराना जमा हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो कितना रुपया जमा कराया गया और किसके द्वारा ?

(ग) क्या उक्त जमीन का पट्टा कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने बना कर दिया ?

(घ) यदि हां, तो कब व किसके नाम से पट्टा बना कर दिया गया ?

(ङ.) क्या सन् ५० में कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने इस भवन में ठिकाने के रुपये से परिवर्धन एवं परिवर्तन करवाया ?

(च) क्या उक्त भवन में ठिकाना रिज़्यूम होने तक औषधालय चलता था ?

(छ) यदि हां, तो ठिकाने के रिज़्यूम होने पर उक्त औषधालय व भवन को सरकार ने अपने अधिकार व प्रबंध में क्यों नहीं लिया ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) जी हां।

(च) जी हां।

(छ) इस औषधालय से सम्बन्धित पत्रादि जागीर कमिश्नर राजस्थान के पास विचाराधीन हैं जिन पर ११-५-५८ नियत हैं।

**प्राइमरी व मिडिल स्कूल की अध्यापिकाओं का वेतन, जिला जयपुर**

**८६५. श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) जयपुर जिले की प्राइमरी व मिडिल स्कूल की अध्यापिकाओं को वेतन महीने के अन्त में किस तारीख को मिलता है ?

(२) गत ६ माह में वेतन किस किस तिथि को मिला ?

उत्तर

(क) अधिकतर तो महीने के पहिले या दूसरे सप्ताह में वेतन दे दिया जाता है लेकिन कभी कभी किन्हीं खास कारणों से देरी भी हो जाती है; जैसे हाजरी रजिस्टरों के समय पर प्राप्त न होने के कारण, तबादले के कारण, अध्यापकों के पद ग्रहण करने की रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण, तथा ट्रेज़री द्वारा एतराज होने के कारण ।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

37-Education
C-Primary
II-Girls Schools.
Jaipur District.

OFFICE OF THE DY. INSPECTRESS OF GIRLS SCHOOLS, JAIPUR

| S.No. | Details of the salary bills | Date of encashment of the bills (Tehsil-wise Jaipur District | | | | | | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | August 57 | September 57 | October 57 | November 57 | December 57 | January, 58 | |
| 1. | Salary bill City Primary schools | 11.9.57 | 4-10-57 | 1-11-57 | 20-12-57 | 24-1-58 | 15-2-58 | |
| 2. | „ „ Tahsil Jaipur | 5-9-57 | 4-10-57 | 1-11-57 | 18-12-57 | 24-1-58 | 15-2-58 | |
| 3. | „ „ „ Amber | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 29-1-58 | 25-2-58 | |
| 4. | „ „ „ Jamwa Ramgarh | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 20-1-58 | 25-2-58 | |
| 5. | „ „ Baswa | 2-9-57 | 9-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 29-1-58 | 25-2-58 | |
| 6. | „ „ Sikrai | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 20-1-58 | 25-2-58 | |
| 7. | „ „ Chaksu | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 15-2-58 | 20-2-58 | |
| 8. | „ „ Dausa | 5-10-5[illegible] | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-58 | 15-2-58 | 18-2-58 | |
| 9. | „ „ Phagi | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-58 | 15-2-58 | 18-2-58 | |
| 10. | „ „ Bairath | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 15-2-58 | ... ...)* | * Passed salary bills have been sent to the pay-centre for disbursment. |
| 11. | „ „ Kotputli | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 15-2-58 | ... ...) | |
| 12. | „ „ Phulera | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 15-2-58 | ... ...) | |
| 13. | „ „ Lalsot | 2-9-57 | 5-10-57 | 1-11-57 | 12-12-57 | 15-2-58 | ... ...) | |

OFFICE OF THE DEPUTY INSPECTRESS' OF GIRLS SCHOOS, JAIPUR.

The Date of encashment are given for the month.

Major Head. 37 Education.
Minor Head. B-Secondary.
Sub- Head II Girls Schools.

GOVT. GIRLS MIDDLE SCHOOLS, JAIPUR CITY AND DISTRICT.

| S. | Details of the Bills. | August. 57. | September 57. | October. 57. | November. 57. | December. 57. | January. 58. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | City Middle Schools, Jaipur City. Jaipur. | 6-9-57. | 4-10-57. | 8-11-57. Teacher<br>2-11-57. C. IV. S. | 17-12-57 C. IV. S.<br>20-12-57 Teacher. | 16-1-58. Teachers.<br>11-1-58. C. IV. S. | 8-2-58. |
| 2. | Teh. Baswa. | 19-10-57. Teacher.<br>10-10-57. C. IV. S. | 19-10-57. | 16-11-57. | 27-12-57. | 18-1-58. | 13-2-58. |
| 3. | Teh. Dausa. | 14-10-57. Teacher.<br>10-10-57. C. IV. S. | 19-10-57. | 16-11-57. | 18-12-57. | 3-2-58. | The Passed Bills have been sent to Pay centre for encashement (21-2-58) |
| 4. | Teh. Phulera. | 14-10-57 Teachers.<br>10-10-57. C. IV. S. | 3-10-57. | 16-11-57. | 27-12-57. | 24-1-58. | The Passed bills have been sent to Pay centre for encashement |
| 5. | Teh. Kotputli. | 14-10-57 Teacher.<br>10-10-57. C. IV. S. | 3-10-57. | 16-11-57. | 20-12-57. | The bills have been sent to Pay centre for encashement. on Date of encashment. 15-2-58. | nil<br>-do-<br>29-1-58. |

अतिवृष्टि, बाढ़ ग्रसित लोगों को दी गई सहायता तहसील बाड़ी

८६६. श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील बाड़ी में अतिवृष्टि, बाढ़ व आग से कितने घर बरबाद हो गए हैं तथा कहां कहां फसल कितनी कितनी नष्ट हुई है और क्षतिग्रस्त ग्रामों व व्यक्तियों को सरकार ने क्या सहायता दी है ?

उत्तर

१. तहसील बाड़ी में अधिक वर्षा के कारण किसी भी ग्राम में फसल को हानि नहीं हुई। ५४५ घरों को नुकसान हुआ।

२. तीन अग्निकांडों से २५ घर जले हैं।

३. कोई भी ग्राम अकालग्रस्त नहीं है। बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने ४०५ रु० बतौर रिलीफ व ६४६ रु० मकानों के लिए दिए हैं।

४. चूंकि यह क्षेत्र अकाल ग्रस्त नहीं है, ऐसी सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता जो अकालग्रस्त क्षेत्र को दी जाती है जिसके अन्तर्गत राहतकार्य आदि खोले जाते हैं।

५. सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

१. बेघरबार व्यक्तियों को पुनः बसाया जाता है।

२. पीड़ित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था।

३. खाद्यान्न की व्यवस्था।

चूंकि ऐसी क्षति नहीं हुई थी जिससे कि उपरोक्त व्यवस्था की जाय फिर भी राज्य सरकार द्वारा ७१००० रु० की धनराशि आयुक्त अजमेर को प्रदान कर दी गई।

अकालग्रस्त कोई क्षेत्र नहीं है अतएव सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अग्निपीड़ितों के लिए ३००० रु० की धनराशि आयुक्त अजमेर द्वारा और मांगी गई है।

बालिका विद्यालयों की स्थापना, किशनगढ़

८६७. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

सरकार किशनगढ़ सब-डिविजन में कितने व कहां कहां बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है और वे कब तक खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

बालिकाओं के लिये अलग प्राइमरी पाठशालाएं अब नहीं खोली जातीं बल्कि बालकों व बालिकाओं के लिये सह-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

## तहसील आबूरोड के ग्रामों में लोकल फंड की वसूली

**८६८. श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि आबूरोड तहसील के गांवों में जनता से लोकल फंड वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर वसूल किया जाता है ?

(२) उक्त फंड में से कितनी धनराशि पंचायतों को दी जाती है ?

उत्तर

(१) जी हां, तीन आने प्रति रुपया की दर से।

(२) इस फंड में से पंचायतों को कुछ नहीं दिया जाता।

## शुद्धि-पत्र

( मंगलवार, दिनांक २५ मार्च, १९५८ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| ४७३५ | ४ | पट्टि ों की खानें | पट्टियों की खानें |
| ४७४६ | शीर्ष | तारां [४७०६ | तारांकित प्रश्नोत्तर [४७४६ |
| ४७५३ | अन्तिम दो पंक्तियें | उत्तर । है, सरकार के द्वारा जो नक्शा प्रे ... | उत्तर दिया है, सरकार के द्वारा जो नक्शा प्रेम्काइव |
| ४७६९ | २१ | deep and detaile | deep and detailed |
| ४७८० | ५ | नहीं दिया गया गया । | नहीं दिया गया । |
| ,, | ८ | रा स्थान सैल्स टेक्स | राजस्थान सेल्स टैक्स |
| ४७८३ | अन्तिम से ४ | Hon. m ber was keen | Hon. Member was keen |
| ४७८५ | शीर्ष | श्री पालीवाल सम्बन्धी प्रस्ताव | सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक |
| ४८२४ | २२ | मैं अपना कटौती | मैं अपने कटौती |
| ४८२७ | १ | श्री दयकृष्ण विजय | श्री दयाकृष्ण विजय |
| ४८४२ | ९ | श्री हरदेव जोशी | श्री हरदेव जोशी |
| ४८७५ | १६ | आयुर्वेद के लिए ५ | आयुर्वेद के लिए ४५ |
| ४८७६ | ७ | जो त्तुद्र प्रयत्न सरकार | जो क्षुद्र प्रयत्न सरकार |
| ४८८२ | ६ व ८ | इडियन | इंडियन |
| ४८८६ | १६ | 'He is heimselg the Government. | 'He is himself the Government' |
| ४८६० | अन्तिम ८ व ७ | to estatblish the bonat-ides | te establish the bonafides. |
| ४८६२ | १२ | के ऑपरेशन्त हुए थे | के ऑपरेशन्स हुए थे |
| ,, | २४ | हास्पिटिल है, | हॉस्पिटल है, |
| ४८६३ | अन्तिम से ३ | कम डाइट पेशन्ट्स | कम डाइट पेशेन्ट्स |
| ४९०० | अन्तिम से ७ | इसी साल सेबीकानेर | इसी साल से बीकानेर |
| ४९०१ | ४ | इन्क्वायारी कमेटी की | इन्क्वायरी कमेटी की |
| ४९०२ | २० | दुबारा चालू किया नाय | दुबारा चालू किया जाय |
| ४९०६ | १३ | औषधालयें के साथ कम | औषधालयों के साथ कम |
| ४९१६ | ? | और सरका को देखना | और सरकार को देखना |
| ,, | ५ | वे लो फायदा नहीं | वे लोग फायदा नहीं |
| ४९२२ | अन्तिम से ६ व ५ | जब ये शफाख चल | जब ये शफाखाने चल |
| ४९२८ | ५ | दवाओं का स्टेन्डड कायम | दवाओं का स्टेन्डर्ड कायम |
| ४९४६ | १६ | that, point of order | that point of order |
| ४९४९ | २४ | वहां आपसी साम्प्रदादिक | वहां आपसी साम्प्रदायिक |
| ४९७२ | ३ | तबादले के ारण | तबादले के कारण |
| ४९७४ | चतुर्थ कॉलम (७-८) | tof encashmoht | for encashment |
| ४९७६ | अंतिम पंक्ति | कुछ नहीं दिया । जाता | कुछ नहीं दिया जाता |